وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿۱۹۸﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ

और जो **अल्लाह** के पास है वोह नेकों के लिये सब से भला[386] और बेशक कुछ किताबी ऐसे हैं कि **अल्लाह** पर

بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ

ईमान लाते हैं और उस पर जो तुम्हारी त़रफ़ उतरा और जो उन की त़रफ़ उतरा[387] उन के दिल **अल्लाह** के हुज़ूर झुके हुए[388] **अल्लाह** की

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

आयतों के बदले ज़लील दाम नहीं लेते[389] येह वोह हैं जिन का सवाब उन के रब के पास है और **अल्लाह** जल्द

سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف

हिसाब करने वाला है ऐ ईमान वालो सब्र करो[390] और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۲۰۰﴾ ع ۲۰

और **अल्लाह** से डरते रहो इस उम्मीद पर कि काम्याब हो

اٰیاتها ۱۷۶ | ۴ سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ ۹۲ | رکوعاتها ۲۴

सूरए निसाअ मदनिय्या है, इस में एक सो छिहत्तर आयतें और चौबीस रुकूअ़ हैं

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रहम वाला[1]

386 : बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस में है कि ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم की दौलत सराए अक़्दस में ह़ाज़िर हुए तो उन्हों ने देखा कि सुल्त़ाने कौनैन एक बोरिये पर आराम फ़रमा हैं, चमड़े का तक्या जिस में नारियल के रेशे भरे हुए हैं ज़ेरे सरे मुबारक है, जिस्मे अक़्दस में बोरिये के नक़्श हो गए हैं, येह ह़ाल देख कर ह़ज़रते फ़ारूक़ रो पड़े, सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ने सबबे गिर्या दरयाफ़्त किया तो अ़र्ज़ किया : **या रसूलल्लाह !** क़ैसरो किस्रा तो ऐ़शो राह़त में हों और आप रसूले ख़ुदा हो कर इस ह़ालत में, फ़रमाया : क्या तुम्हें पसन्द नहीं कि उन के लिये दुन्या हो और हमारे लिये आख़िरत। **387 शाने नुज़ूल :** ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا ने फ़रमाया : येह आयत नज्जाशी बादशाहे ह़बशा के बाब में नाज़िल हुई, उन की वफ़ात के दिन सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ने अपने अस्ह़ाब से फ़रमाया : चलो और अपने भाई की नमाज़ पढ़ो जिस ने दूसरे मुल्क में वफ़ात पाई है, हुज़ूर बक़ीअ़ शरीफ़ में तशरीफ़ ले गए और ज़मीने ह़बशा आप के सामने की गई और नज्जाशी बादशाह का जनाज़ा पेशे नज़र हुवा उस पर आप ने चार तक्बीरों के साथ नमाज़ पढ़ी और उस के लिये इस्तिग़्फ़ार फ़रमाया। سبحان اللہ ! क्या नज़र है क्या शान है सर ज़मीने ह़बशा ह़िजाज़ में सामने पेश कर दी जाती है। मुनाफ़िक़ीन ने इस पर त़ा'न किया और कहा देखो ह़बशा के नसरानी पर नमाज़ पढ़ते हैं जिस को आप ने कभी देखा भी नहीं और वोह आप के दीन पर भी न था, इस पर **अल्लाह** तआ़ला ने येह आयत नाज़िल फ़रमाई। **388 :** इज़्ज़ो इन्किसार और तवाज़ोअ़ व इख़्लास के साथ। **389 :** जैसा कि यहूद के रुअसा लेते हैं। **390 :** अपने दीन पर और इस को किसी शिद्दत व तक्लीफ़ वग़ैरा की वज्ह से न छोड़ो। सब्र के मा'ना में ह़ज़रते जुनैद رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ने फ़रमाया कि सब्र नफ़्स को ना गवार अम्र पर रोकना है बिग़ैर जज़्अ़ के। बा'ज़ ह़ुकमा ने कहा सब्र की तीन क़िस्में हैं : (1) तर्के शिकायत (2) क़बूले क़ज़ा (3) सिद्क़े रिज़ा। **1 :** सूरए निसाअ मदीनए त़य्यिबा में नाज़िल हुई, इस में एक सो छिहत्तर आयतें हैं और तीन हज़ार पेंतालीस कलिमे और सोलह हज़ार तीस ह़र्फ़ हैं।

www.dawateislami.net

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ

ऐ लोगो[2] अपने रब से डरो जिस ने तुम्हें एक जान से पैदा किया[3] और उसी में

مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ

से उस का जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द व औरत फैला दिये और अल्लाह से डरो जिस के

تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ۝۱ وَ اٰتُوا

नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज़ रखो[4] बेशक अल्लाह हर वक़्त तुम्हें देख रहा है और

الْیَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیْثَ بِالطَّیِّبِ ۪ وَ لَا تَاْكُلُوْۤا

यतीमों को उन के माल दो[5] और सुथरे[6] के बदले गन्दा न लो[7] और उन के

اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِیْرًا ۝۲ وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

माल अपने मालों में मिला कर न खा जाओ बेशक येह बड़ा गुनाह है और अगर तुम्हें अन्देशा हो कि

2 : येह ख़िताब आम है तमाम बनी आदम को। **3 :** अबुल बशर हज़रते आदम से जिन को बिग़ैर मां बाप के मिट्टी से पैदा किया था। इन्सान की इब्तिदाए पैदाइश का बयान कर के क़ुदरते इलाहिय्यह की अज़मत का बयान फ़रमाया गया, अगर्चे दुन्या के बे दीन बद अक़्ली व ना फ़हमी से इस का मज़ाक उड़ाते हैं लेकिन अस्हाबे फ़हमो ख़िरद जानते हैं कि येह मज़मून ऐसी ज़बर दस्त बुरहान से साबित है जिस का इन्कार मुहाल है। मर्दम शुमारी का हिसाब पता देता है कि आज से सो बरस क़ब्ल दुन्या में इन्सानों की ता'दाद आज से बहुत कम थी और इस से सो बरस पहले और भी कम तो इस तरह जानिबे माज़ी में चलते चलते इस कमी की हद एक ज़ात क़रार पाएगी, या यूं कहिये कि क़बाइल की कसीर ता'दादें एक शख़्स की तरफ़ मुन्तहा हो जाती हैं मसलन सय्यिद दुन्या में करोड़ों पाए जाएंगे मगर जानिबे माज़ी में इन की निहायत सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की एक ज़ात पर होगी और बनी इसराईल कितने भी कसीर हों मगर इस तमाम कसरत का मरजअ हज़रते या'क़ूब عَلَيْهِ السَّلَام की एक ज़ात होगी, इसी तरह और ऊपर को चलना शुरूअ करें तो इन्सान के तमाम शुऊब व क़बाइल की इन्तिहा एक ज़ात पर होगी, उस का नाम कुतुबे इलाहिय्यह में आदम عَلَيْهِ السَّلَام है और मुम्किन नहीं कि वोह एक शख़्स तवालुदो तनासुल के मा'मूली तरीक़े से पैदा हो सके, अगर उस के लिये बाप फ़र्ज़ भी किया जाए तो मां कहां से आए लिहाज़ा ज़रूरी है कि उस की पैदाइश बिग़ैर मां बाप के हो और जब बिग़ैर मां बाप के पैदा हुवा तो बिल यक़ीन उन्हीं अनासिर से पैदा होगा जो उस के वुजूद में पाए जाते हैं, फ़िर अनासिर में से जो उन्सर उस का मस्कन हो और जिस के सिवा दूसरे में वोह न रह सके लाज़िम है कि वोही उस के वुजूद में ग़ालिब हो इस लिये पैदाइश की निस्बत उसी उन्सर की तरफ़ की जाएगी, येह भी ज़ाहिर है कि तवालुदो तनासुल का मा'मूली तरीक़ा एक शख़्स से जारी नहीं हो सकता इस लिये उस के साथ एक और भी हो कि जोड़ा हो जाए और वोह दूसरा शख़्से इन्सानी जो उस के बा'द पैदा हो मुक़्तज़ाए हिक्मत येही है कि उसी के जिस्म से पैदा किया जाए क्यूं कि एक शख़्स के पैदा होने से नौअ मौजूद हो चुकी, मगर येह भी लाज़िम है (कि) उस की ख़िल्क़त पहले इन्सान से तवालुदे मा'मूली के सिवा किसी और तरीक़े से हो क्यूं कि तवालुदे मा'मूली बिग़ैर दो के मुम्किन ही नहीं और यहां एक ही है, लिहाज़ा हिक्मते इलाहिय्यह ने हज़रते आदम की एक बाईं पस्ली उन के ख़्वाब के वक़्त निकाली और उन से उन की बीबी हज़रते हव्वा को पैदा किया, चूंकि हज़रते हव्वा ब तरीक़े तवालुदे मा'मूली (आम बच्चों की तरह) पैदा नहीं हुईं इस लिये वोह औलाद नहीं हो सकतीं जिस तरह कि इस तरीक़े के ख़िलाफ़ जिस्मे इन्सानी से बहुत से कीड़े पैदा हुवा करते हैं वोह उस की औलाद नहीं हो सकते हैं, ख़्वाब से बेदार हो कर हज़रते आदम ने अपने पास हज़रते हव्वा को देखा तो महब्बते जिन्सिय्यत दिल में मोज्ज़न हुई उन से फ़रमाया : तुम कौन हो ? उन्हों ने अर्ज़ किया : औरत। फ़रमाया : किस लिये पैदा की गई हो ? अर्ज़ किया : आप की तस्कीने ख़ातिर के लिये तो आप उन से मानूस हुए। **4 :** इन्हें क़त्अ न करो। हदीस शरीफ़ में है : जो रिज़्क़ की कशाइश चाहे उस को चाहिये कि सिलए रेहमी करे और रिश्तेदारों के हुक़ूक़ की रिआयत रखे। **5 शाने नुज़ूल :** एक शख़्स की निगरानी में उस के यतीम भतीजे का कसीर माल था जब वोह यतीम बालिग़ हुवा और उस ने अपना माल तलब किया तो चचा ने देने से इन्कार कर दिया। इस पर येह आयत नाज़िल हुई, इस को सुन कर उस शख़्स ने यतीम का माल उस के हवाले किया और कहा कि हम अल्लाह और उस के रसूल की इताअत करते हैं। **6 :** या'नी अपने हलाल माल **7 :** यतीम का माल जो तुम्हारे लिये

www.dawateislami.net

تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ

यतीम लड़कियों में इन्साफ़ न करोगे[8] तो निकाह़ में लाओ जो औ़रतें तुम्हें ख़ुश आएं दो दो और तीन तीन

وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ

और चार चार[9] फिर अगर डरो कि दो बीबियों को बराबर न रख सकोगे तो एक ही करो या कनीज़ें जिन के तुम मालिक हो

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ؕ﴿۳﴾ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ

येह इस से ज़ियादा क़रीब है कि तुम से ज़ुल्म न हो[10] और औ़रतों को उन के मह्र ख़ुशी से दो[11] फिर अगर

طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ﴿۴﴾ وَلَا تُؤْتُوا

वोह अपने दिल की ख़ुशी से मह्र में से तुम्हें कुछ दे दें तो उसे खाओ रचता पचता (ख़ुश गवार और मज़े से)[12] और बे अ़क़्लों

السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَاكْسُوْهُمْ

को[13] उन के माल न दो जो तुम्हारे पास हैं जिन को अल्लाह ने तुम्हारी बसरे अवक़ात किया है और उन्हें उस में से खिलाओ और पहनाओ

ह़राम है उस को अच्छा समझ कर अपने रद्दी माल से न बदलो क्यूं कि वोह रद्दी तुम्हारे लिये ह़लाल व त़य्यिब है और येह ह़राम व ख़बीस। **8 :** और उन के हुक़ूक़ की रिआ़यत न रख सकोगे **9 :** आयत के मा'ना में चन्द क़ौल हैं। ह़सन का क़ौल है कि पहले ज़माने में मदीने के लोग अपनी ज़ेरे विलायत यतीम लड़की से उस के माल की वज्ह से निकाह़ कर लेते बा वुजूदे कि उस की त़रफ़ रग़बत न होती फिर उस के साथ सोह़बत व मुआ़शरत में अच्छा सुलूक न करते और उस के माल के वारिस बनने के लिये उस की मौत के मुन्तज़िर रहते, इस आयत में उन्हें इस से रोका गया। एक क़ौल येह है कि लोग यतीमों की विलायत से तो बे इन्साफ़ी हो जाने के अन्देशे से घबराते थे और ज़िना की परवा न करते थे। उन्हें बताया गया कि अगर तुम ना इन्साफ़ी के अन्देशे से यतीमों की विलायत से गुरेज़ करते हो तो ज़िना से भी ख़ौफ़ करो और इस से बचने के लिये जो औ़रतें तुम्हारे लिये ह़लाल हैं उन से निकाह़ करो और ह़राम के क़रीब मत जाओ। एक क़ौल येह है कि लोग यतीमों की विलायत व सर परस्ती में तो ना इन्साफ़ी का अन्देशा करते थे और बहुत से निकाह़ करने में कुछ बाक (ख़ौफ़) नहीं रखते थे, उन्हें बताया गया कि जब ज़ियादा औ़रतें निकाह़ में हों तो उन के ह़क़ में ना इन्साफ़ी से भी डरो, उतनी ही औ़रतों से निकाह़ करो जिन के हुक़ूक़ अदा कर सको। इ़क्रिमा ने ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास से रिवायत की, कि क़ुरैश दस दस बल्कि इस से ज़ियादा औ़रतें करते थे और जब उन का बार न उठ सकता तो जो यतीम लड़कियां उन की सर परस्ती में होतीं उन के माल ख़र्च कर डालते। इस आयत में फ़रमाया गया कि अपनी इस्तित़ाअ़त देख लो और चार से ज़ियादा न करो ताकि तुम्हें यतीमों का माल ख़र्च करने की ह़ाजत पेश न आए। **मस्अला :** इस आयत से मा'लूम हुवा कि आज़ाद मर्द के लिये एक वक़्त में चार औ़रतों तक से निकाह़ जाइज़ है ख़्वाह वोह ह़ुर्रा (आज़ाद) हों या अमह या'नी बांदी। **मस्अला :** तमाम उम्मत का इज्माअ़ है कि एक वक़्त में चार औ़रतों से ज़ियादा निकाह़ में रखना किसी के लिये जाइज़ नहीं सिवाए रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم के, येह आप के ख़साइस में से है। अबू दावूद की ह़दीस में है कि एक शख़्स इस्लाम लाए उन की आठ बीबियां थीं ह़ुज़ूर ने फ़रमाया : उन में से चार रखना। तिरमिज़ी की ह़दीस में है कि ग़ैलान बिन सलमा सक़फ़ी इस्लाम लाए उन के दस बीबियां थीं वोह साथ मुसल्मान हुईं, ह़ुज़ूर ने हुक्म दिया कि इन में से चार रखो। **10 मस्अला :** इस से मा'लूम हुवा कि बीबियों के दरमियान अ़द्ल फ़र्ज़ है। नई, पुरानी, बाकिरा (कुंवारी), सय्यिबा (शादी शुदा) सब इस इस्तिह़क़ाक़ (ह़क़दारी) में बराबर हैं। येह अ़द्ल लिबास में, खाने पीने में, सक्ना या'नी रहने की जगह में और रात को रहने में लाज़िम है, इन उमूर में सब के साथ यक्सां सुलूक हो। **11 :** इस से मा'लूम हुवा कि मह्र की मुस्तह़िक़ औ़रतें हैं न कि इन के औलिया, अगर औलिया ने मह्र वुसूल कर लिया हो तो उन्हें लाज़िम है कि वोह मह्र उस की मुस्तह़िक़ औ़रत को पहुंचा दें। **12 मस्अला :** औ़रतों को इख़्तियार है कि वोह अपने शोहरों को मह्र का कोई जुज़्व हिबा करें या कुल मह्र मगर मह्र बख़्शवाने के लिये उन्हें मजबूर करना उन के साथ बद ख़ुल्क़ी करना न चाहिये क्यूं कि अल्लाह तआ़ला ने طِبْنَ لَكُمْ फ़रमाया जिस के मा'ना हैं दिल की ख़ुशी से मुआ़फ़ करना। **13 :** जो इतनी समझ नहीं रखते कि माल का मसरफ़ पहचानें, इस को बे मह़ल ख़र्च करते हैं और अगर उन पर छोड़ दिया जाए तो वोह जल्द ज़ाएअ़ कर देंगे।

www.dawateislami.net

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٥ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

और उन से अच्छी बात कहो[14] और यतीमों को आज़माते रहो[15] यहां तक कि जब वोह निकाह़ के क़ाबिल हों

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ

तो अगर तुम उन की समझ ठीक देखो तो उन के माल उन्हें सिपुर्द कर दो और उन्हें न खाओ

اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ

ह़द से बढ़ कर और इस जल्दी में कि कहीं बड़े न हो जाएं और जिसे ह़ाजत न हो वोह बचता रहे[16] और जो

كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

ह़ाजत मन्द हो वोह ब क़दरे मुनासिब खाए फिर जब तुम उन के माल उन्हें सिपुर्द करो

فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٦ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا

तो उन पर गवाह कर लो और अल्लाह काफ़ी है ह़िसाब लेने को मर्दों के लिये ह़िस्सा है

تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ

उस में से जो छोड़ गए मां बाप और क़राबत वाले और औ़रतों के लिये ह़िस्सा है उस में से जो छोड़ गए मां बाप

وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧ وَاِذَا حَضَرَ

और क़राबत वाले तर्का थोड़ा हो या बहुत ह़िस्सा है अन्दाज़ा बांधा हुवा[17] फिर बांटते वक़्त

الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا

अगर रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन[18] आ जाएं तो उस में से उन्हें भी कुछ दो[19] और उन से

لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٨ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً

अच्छी बात कहो[20] और डरें[21] वोह लोग कि अगर अपने बा'द नातुवान औलाद छोड़ते तो उन का कैसा उन्हें

14 : जिस से उन के दिल को तसल्ली हो और वोह परेशान न हों, मसलन येह कि माल तुम्हारा है और तुम होशियार हो जाओगे तो तुम्हें सिपुर्द किया जाएगा। **15 :** कि उन में होशियारी और मुआ़मला फ़हमी पैदा हुई या नहीं **16 :** यतीम का माल खाने से **17 :** ज़मानए जाहिलिय्यत में औ़रतों और बच्चों को विरसा न देते थे इस आयत में इस रस्म को बात़िल किया गया। **18 :** अजनबी जिन में से कोई मय्यित का वारिस न हो **19 :** क़ब्ले तक़्सीम और येह देना मुस्तह़ब है। **20 :** इस में उ़ज़्रे जमील, वा'दए ह़सना और दुआ़ए ख़ैर सब दाख़िल हैं। इस आयत में मय्यित के तर्के से ग़ैर वारिस रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों को कुछ बतौ़रे सदक़ा देने और क़ौले मा'रूफ़ (अच्छी बात) कहने का ह़ुक्म दिया, ज़मानए सह़ाबा में इस पर अ़मल था। मुह़म्मद बिन सीरीन से मरवी है कि इन के वालिद ने तक़्सीमे मीरास के वक़्त एक बकरी ज़ब्ह़ करा के खाना पकाया और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों को खिलाया और येह आयत पढ़ी, इब्ने सीरीन ने इसी मज़मून की उ़बैदा सलमानी से भी रिवायत की है उस में येह भी है कि कहा कि अगर येह आयत न आई होती तो येह सदक़ा मैं अपने माल से करता। तीजा जिस को सिवुम कहते हैं और मुसल्मानों में मा'मूल है वोह भी इसी आयत का इत्तिबाअ़ है कि इस में रिश्तेदारों, यतीमों व मिस्कीनों पर तसद्दुक़

www.dawateislami.net

ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَیْهِمْ ۪ فَلْیَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْیَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِیْدًا ۝۹ اِنَّ

ख़तरा होता तो चाहिये कि अल्लाह से डरें[22] और सीधी बात करें[23] वोह

الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ

जो यतीमों का माल नाहक़ खाते हैं वोह तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं[24]

وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ۝۱۰ ع یُوْصِیْكُمُ اللّٰهُ فِیْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

और कोई दम जाता है कि भड़कते धड़े (भड़क्ती आग) में जाएंगे अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है[25] तुम्हारी औलाद के बारे में[26] बेटे का हिस्सा

الْاُنْثَیَیْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

दो[2] बेटियों बराबर[27] फिर अगर निरी लड़कियां हों अगर्चे दो से ऊपर[28] तो उन को तर्के की दो तिहाई

وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

और अगर एक लड़की तो उस का आधा[29] और मय्यित के मां बाप को हर एक को

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ

उस के तर्के से छटा अगर मय्यित के औलाद हो[30] फिर अगर उस की औलाद न हो और मां बाप

اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ

छोड़े[31] तो मां का तिहाई फिर अगर उस के कई बहन भाई (हों)[32] तो मां का छटा[33] बा'द उस

होता है और कलिमे का ख़त्म और क़ुरआने पाक की तिलावत और दुआ क़ौले मा'रूफ़ है, इस में बा'ज़ लोगों को बे जा इसरार हो गया है जो बुज़ुर्गों के इस अ़मल का माख़ज़ तो तलाश न कर सके बा वुजूदे कि इतना साफ़ क़ुरआने पाक में मौजूद था लेकिन उन्हों ने अपनी राय को दीन में दख़्ल दिया और अ़मले ख़ैर को रोकने पर मुसिर हो गए। अल्लाह हिदायत करे। **21 :** वसी और यतीमों के वली और वोह लोग जो क़रीबे मौत मरने वाले के पास मौजूद हों। **22 :** और मरने वाले की ज़ुर्रिय्यत के साथ ख़िलाफ़े शफ़्क़त कोई कारवाई न करें जिस से उस की औलाद परेशान हो। **23 :** मरीज़ के पास उस की मौत के क़रीब मौजूद होने वालों की सीधी बात तो येह है कि उसे सदक़ा व वसिय्यत में येह राय दें कि वोह इतने माल से करे जिस से उस की औलाद तंगदस्त नादार न रह जाए और वसी व वली की सीधी बात येह है कि वोह मरने वाले की ज़ुर्रिय्यत से हुस्ने ख़ुल्क़ के साथ कलाम करें जैसा अपनी औलाद के साथ करते हैं। **24 :** या'नी यतीमों का माल नाहक़ खाना गोया आग खाना है क्यूं कि वोह सबब है अ़ज़ाब का। हदीस शरीफ़ में है : रोज़े क़ियामत यतीमों का माल खाने वाले इस तरह उठाए जाएंगे कि उन की क़ब्रों से और उन के मुंह से और उन के कानों से धूआं निकलता होगा तो लोग पहचानेंगे कि येह यतीम का माल खाने वाला है। **25 :** विरसे के मुतअ़ल्लिक़ **26 :** अगर मय्यित ने बेटे बेटियां दोनों छोड़ी हों तो **27 :** या'नी दुख़्तर का हिस्सा पिसर से आधा है और अगर मरने वाले ने सिर्फ़ लड़के छोड़े हों तो कुल माल उन का। **28 :** या दो **29 :** इस से मा'लूम हुवा कि अगर अकेला लड़का वारिस रहा हो तो कुल माल उस का होगा क्यूं कि ऊपर बेटे का हिस्सा बेटियों से दूना बताया गया है तो जब अकेली लड़की का निस्फ़ हुवा तो अकेले लड़के का इस से दूना हुवा और वोह कुल है। **30 :** ख़्वाह लड़का हो या लड़की कि इन में से हर एक को औलाद कहा जाता है। **31 :** या'नी सिर्फ़ मां बाप छोड़े और अगर मां बाप के साथ ज़ौज या ज़ौजा में से किसी को छोड़ा तो मां का हिस्सा ज़ौज का हिस्सा निकालने के बा'द जो बाक़ी बचे उस का तिहाई होगा न कि कुल का तिहाई। **32 :** सगे ख़्वाह सोतेले **33 :** और एक ही भाई हो तो वोह मां का हिस्सा नहीं घटा सकता।

www.dawateislami.net

وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ

वसिय्यत के जो कर गया और दैन के[34] तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि इन में कौन

اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱﴾

तुम्हारे ज़ियादा काम आएगा[35] येह हिस्सा बांधा हुवा है अल्लाह की तरफ़ से बेशक अल्लाह इल्म वाला हिक्मत वाला है

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ

और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं उस में से तुम्हें आधा है अगर उन की औलाद न हो फिर अगर

لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ

उन की औलाद हो तो उन के तर्के में से तुम्हें चौथाई है जो वसिय्यत वोह कर गईं और दैन

اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ

निकाल कर और तुम्हारे तर्के में औरतों का चौथाई है[36] अगर तुम्हारे औलाद न हो फिर अगर

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ

तुम्हारे औलाद हो तो उन का तुम्हारे तर्के में से आठवां[37] जो वसिय्यत तुम कर जाओ

بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ

और दैन निकाल कर और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तर्का बटता हो जिस ने मां बाप औलाद कुछ न छोड़े और मां की तरफ़ से उस का भाई या

اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

बहन है तो उन में से हर एक को छटा फिर अगर वोह बहन भाई एक से ज़ियादा हों

فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ

तो सब तिहाई में शरीक हैं[38] मय्यित की वसिय्यत और दैन निकाल कर जिस में उस ने नुक़्सान न

مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ

पहुंचाया हो[39] येह अल्लाह का इर्शाद है और अल्लाह इल्म वाला हिल्म वाला है येह अल्लाह की हदें हैं

34 : क्यूं कि वसिय्यत और दैन या'नी क़र्ज़ विरसे की तक़्सीम से मुक़द्दम है और दैन वसिय्यत पर भी मुक़द्दम है। हदीस शरीफ़ में है "اِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّة"। **35 :** इस लिये हिस्सों की ता'यीन तुम्हारी राय पर नहीं छोड़ी। **36 :** ख़्वाह एक बीबी हो या कई, एक होगी तो वोह अकेली चौथाई पाएगी, कई होंगी तो सब उस चौथाई में बराबर शरीक होंगी ख़्वाह बीबी एक हो या कई हों हिस्सा येही रहेगा। **37 :** ख़्वाह बीबी एक हो या ज़ियादा। **38 :** क्यूं कि वोह मां के रिश्ते की बदौलत मुस्तहिक़ हुए और मां तिहाई से ज़ियादा नहीं पाती और इसी लिये इन में मर्द का हिस्सा औरत से ज़ियादा नहीं है। **39 :** अपने वारिसों को तिहाई से ज़ियादा वसिय्यत कर के या किसी वारिस के हक़ में वसिय्यत

www.dawateislami.net

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

और जो हुक्म माने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अल्लाह उसे बाग़ों में ले जाएगा जिन के नीचे नहरें रवां

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

हमेशा उन में रहेंगे और येही है बड़ी काम्याबी और जो अल्लाह और उस के रसूल की ना फ़रमानी करे

وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾ ع

और उस की कुल हदों से बढ़ जाए अल्लाह उसे आग में दाख़िल करेगा जिस में हमेशा रहेगा और उस के लिये ख़्वारी का अ़ज़ाब है[40]

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً

और तुम्हारी औरतों में जो बदकारी करें उन पर ख़ास अपने में के[41] चार मर्दों की

مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ

गवाही लो फिर अगर वोह गवाही दे दें तो उन औरतों को घर में बन्द रखो[42] यहां तक कि उन्हें मौत उठा ले

कर के। **मसाइले फ़राइज़ :–** वारिस कई क़िस्म हैं, **अस्हाबे फ़राइज़ :** येह वोह लोग हैं जिन के लिये हिस्से मुक़र्रर हैं मसलन बेटी एक हो तो आधे माल की मालिक, ज़ियादा हों तो सब के लिये दो तिहाई, पोती और परपोती और इस से नीचे की हर पोती अगर मय्यित के औलाद न हो तो बेटी के हुक्म में है और अगर मय्यित ने एक बेटी छोड़ी हो तो येह उस के साथ छटा पाएगी और अगर मय्यित ने बेटा छोड़ा तो साक़ित् हो जाएगी कुछ न पाएगी और अगर मय्यित ने दो बेटियां छोड़ीं तो भी पोती साक़ित् होगी लेकिन अगर उस के साथ या उस के नीचे दरजे में कोई लड़का होगा तो वोह उस को अ़सबा बना देगा। सगी बहन मय्यित के बेटा या पोता न छोड़ने की सूरत में बेटियों के हुक्म में है। अ़ल्लाती बहनें जो बाप में शरीक हों और उन की माएं अ़लाहृदा अ़लाहृदा हों वोह हक़ीक़ी बहनों के न होने की सूरत में उन की मिस्ल हैं और दोनों क़िस्म की बहनें या'नी अ़ल्लाती व हक़ीक़ी मय्यित की बेटी या पोती के साथ अ़सबा हो जाती हैं और बेटे और पोते और इस के मा तह्त के पोते और बाप के साथ साक़ित् और इमाम साहिब के नज़्दीक दादा के साथ भी महरूम हैं। सोतेले भाई बहन जो फ़क़त् मां में शरीक हों उन में से एक हो तो छटा और ज़ियादा हों तो तिहाई और उन में मर्द व औ़रत बराबर हिस्सा पाएंगे और बेटे पोते और उस के मा तह्त के पोते और बाप दादा के होते साक़ित् हो जाएंगे। बाप छटा हिस्सा पाएगा अगर मय्यित ने बेटा या पोता या इस से नीचे के पोते छोड़े हों और अगर मय्यित ने बेटी या पोती, या और नीचे की कोई पोती छोड़ी हो तो बाप छटा और वोह बाक़ी भी पाएगा जो अस्हाबे फ़र्ज़ को दे कर बचे। दादा या'नी बाप का बाप बाप के न होने की सूरत में मिस्ल बाप के है सिवाए इस के कि मां को सुल्स मा बक़ा की त़रफ़ रद न कर सकेगा। मां का छटा हिस्सा है अगर मय्यित ने अपनी औलाद या अपने बेटे या पोते या परपोते की औलाद या बहन भाई में से दो छोड़े हों ख़्वाह वोह भाई सगे हों या सोतेले और अगर इन में से कोई न छोड़ा हो तो मां कुल माल का तिहाई पाएगी और अगर मय्यित ने ज़ौज या ज़ौजा और मां बाप छोड़े हों तो मां को ज़ौज या ज़ौजा का हिस्सा देने के बा'द जो बाक़ी रहे उस का तिहाई मिलेगा और जद्दा का छटा हिस्सा है ख़्वाह वोह मां की त़रफ़ से हो या'नी नानी या बाप की त़रफ़ से हो या'नी दादी एक हो या ज़ियादा हों और क़रीब वाली दूर वाली के लिये हाजिब हो जाती है और मां हर एक जद्दा को महजूब करती है और बाप की त़रफ़ की जद्दात बाप के होने से महजूब होती हैं इस सूरत में कुछ न मिलेगा। ज़ौज चहारुम पाएगा अगर मय्यित ने अपनी या अपने बेटे पोते परपोते वग़ैरा की औलाद छोड़ी हो और अगर इस क़िस्म की औलाद न छोड़ी हो तो शोहर निस्फ़ पाएगा। ज़ौजा मय्यित की और उस के बेटे पोते वग़ैरा की औलाद होने की सूरत में आठवां हिस्सा पाएगी और न होने की सूरत में चौथाई। **अ़सबात :** वोह वारिस हैं जिन के लिये कोई हिस्सा मुअ़य्यन नहीं अस्हाबे फ़र्ज़ से जो बाक़ी बचता है वोह पाते हैं, इन में सब से औला बेटा है फिर उस का बेटा फिर और नीचे के पोते फिर बाप फिर दादा फिर आबाई सिल्सिले में जहां तक कोई पाया जाए, फिर हक़ीक़ी भाई, फिर सोतेला या'नी बाप शरीक भाई फिर सगे भाई का बेटा फिर बाप शरीक भाई का बेटा, फिर चचा फिर बाप के चचा फिर दादा के चचा फिर आज़ाद करने वाला फिर उस के अ़सबात तरतीब वार और जिन औ़रतों का हिस्सा निस्फ़ या दो तिहाई है वोह अपने भाइयों के साथ अ़सबा हो जाती हैं और जो ऐसी न हों वोह नहीं। **ज़विल अरहाम :** अस्हाबे फ़र्ज़ और अ़सबात के सिवा जो अक़ारिब हैं वोह ज़विल अरहाम में दाख़िल हैं और इन की तरतीब अ़सबात की मिस्ल है। **40 :** क्यूं कि कुल हदों से तजावुज़ करने वाला काफ़िर है इस लिये कि मोमिन कैसा भी गुनहगार हो ईमान की हद से तो न गुज़रेगा। **41 :** या'नी मुसल्मानों में के **42 :** कि वोह बदकारी न

اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾ وَالّٰذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ

या अल्लाह उन की कुछ राह निकाले[43] और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें उन को ईज़ा दो[44]

فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

फिर अगर वोह तौबा कर लें और नेक हो जाएं तो उन का पीछा छोड़ दो बेशक अल्लाह बड़ा तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान है[45]

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ

वोह तौबा जिस का क़बूल करना अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से लाज़िम कर लिया है वोह उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठें फिर थोड़ी ही देर में

مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

तौबा कर लें[46] ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रुजूअ़ करता है और अल्लाह इल्म व हिक्मत वाला है

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ

और वोह तौबा उन की नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं[47] यहां तक कि जब उन में किसी को

الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ

मौत आए तो कहे अब मैं ने तौबा की[48] और न उन की जो काफ़िर मरें उन के लिये

اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

हम ने दर्दनाक अ़ज़ाब तय्यार कर रखा है[49] ऐ ईमान वालो तुम्हें ह़लाल नहीं कि

تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

औरतों के वारिस बन जाओ ज़बर दस्ती[50] और औरतों को रोको नहीं इस निय्यत से कि जो मह्र उन को दिया था उस में से कुछ ले लो[51]

करने पाएं **43 :** या'नी ह़द मुक़र्रर फ़रमाए या तौबा और निकाह़ की तौफ़ीक़ दे। जो मुफ़स्सिरीन इस आयत में "اَلْفَاحِشَةَ" (बदकारी) से ज़िना मुराद लेते हैं वोह कहते हैं कि ह़ब्स (औरतों को घर में क़ैद रखने) का ह़ुक्म ह़ुदूद नाज़िल होने से क़ब्ल था, ह़ुदूद के साथ मन्सूख़ किया गया। (خازن وجلالین واحمدی) **44 :** झिड़को घुड़को बुरा कहो शर्म दिलाओ जूतियां मारो। (جلالین ومدارک وخازن وغیرہ) **45 :** हसन का क़ौल है कि ज़िना की सज़ा पहले ईज़ा मुक़र्रर की गई फिर ह़ब्स फिर कोड़े मारना या संगसार करना। इब्ने बह्र का क़ौल है कि पहली आयत "وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ" उन औरतों के बाब में है जो औरतों के साथ (ब त़रीक़े मुसाह़क़त) बदकारी करती हैं और दूसरी आयत "وَالّٰذٰنِ" लिवात़त करने वालों के ह़क़ में है और ज़ानी और ज़ानिया का ह़ुक्म सूरए नूर में बयान फ़रमाया गया, इस तक़्दीर पर येह आयतें ग़ैर मन्सूख़ हैं और इन में इमाम अबू ह़नीफ़ा رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के लिये दलील ज़ाहिर है इस पर जो वोह फ़रमाते हैं कि लिवात़त में ता'ज़ीर है ह़द नहीं। **46 :** ज़ह्ह़ाक का क़ौल है कि जो तौबा मौत से पहले हो वोह क़रीब है। **47 :** और तौबा में ताख़ीर करते जाते हैं। **48 :** क़बूले तौबा का वा'दा जो ऊपर की आयत में गुज़रा वोह ऐसे लोगों के लिये नहीं है। अल्लाह मालिक है जो चाहे करे उन की तौबा क़बूल करे या न करे बख़्शे या अ़ज़ाब फ़रमाए उस की मरज़ी। (احمدی) **49 :** इस से मा'लूम हुवा कि वक़्ते मौत काफ़िर की तौबा और उस का ईमान मक़्बूल नहीं। **50 शाने नुज़ूल :** ज़मानए जाहिलिय्यत के लोग माल की त़रह़ अपने अक़ारिब की बीबियों के भी वारिस बन जाते थे फिर अगर चाहते तो बे मह्र उन्हें अपनी ज़ौजिय्यत में रखते या किसी और के साथ शादी कर देते और ख़ुद मह्र ले लेते या उन्हें क़ैद कर रखते कि जो विरसा उन्हों ने पाया है वोह दे कर रिहाई ह़ासिल करें या मर जाएं तो येह उन के वारिस हो जाएं, ग़रज़ वोह औरतें बिल्कुल उन के हाथ में मजबूर होती थीं और अपने इख़्तियार से कुछ भी

www.dawateislami.net

اِلَّاۤ اَنْ یَّاْتِیْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ

मगर इस सूरत में कि सरीह़ बे ह़याई का काम करें[52] और उन से अच्छा बरताव करो[53] फिर अगर

كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْــٴًـا وَّ یَجْعَلَ اللّٰهُ فِیْهِ خَیْرًا

वोह तुम्हें पसन्द न आएं[54] तो क़रीब है कि कोई चीज़ तुम्हें ना पसन्द हो और **अल्लाह** उस में बहुत भलाई

كَثِیْرًا ﴿۱۹﴾ وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍۙ وَّ اٰتَیْتُمْ

रखे[55] और अगर तुम एक बीबी के बदले दूसरी बदलना चाहो[56] और उसे ढेरों

اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَیْــٴًـاؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا

माल दे चुके हो[57] तो उस में से कुछ वापस न लो[58] क्या उसे वापस लोगे झूट बांध कर और खुले

مُّبِیْنًا ﴿۲۰﴾ وَ كَیْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَ قَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّ اَخَذْنَ

गुनाह से[59] और क्यूंकर उसे वापस लोगे ह़ालां कि तुम में एक दूसरे के सामने बे पर्दा हो लिया और वोह तुम

مِنْكُمْ مِّیْثَاقًا غَلِیْظًا ﴿۲۱﴾ وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا

से गाढ़ा अ़ह्द ले चुकीं[60] और बाप दादा की मन्कूह़ा से निकाह़ न करो[61] मगर जो

٣ ع ٨ ١٤ قَدْ سَلَفَؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًاؕ وَ سَآءَ سَبِیْلًا ﴿۲۲﴾ ع حُرِّمَتْ

हो गुज़रा वोह बेशक बे ह़याई[62] और ग़ज़ब का काम है और बहुत बुरी राह[63] ह़राम हुईं

न कर सकती थीं इस रस्म को मिटाने के लिये येह आयत नाज़िल फ़रमाई गई। **51 :** ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا ने फ़रमाया : येह उस के मुतअ़ल्लिक़ है जो अपनी बीबी से नफ़रत रखता हो और इस लिये बद सुलूकी करता हो कि औ़रत परेशान हो कर महर वापस कर दे या छोड़ दे इस की **अल्लाह** तआ़ला ने मुमानअ़त फ़रमाई। एक क़ौल येह है कि लोग औ़रत को त़लाक़ देते फिर रज्अ़त करते फिर त़लाक़ देते इस त़रह़ उस को मुअ़ल्लक़ रखते थे कि न वोह उन के पास आराम पा सकती न दूसरी जगह ठिकाना कर सकती इस को मन्अ़ फ़रमाया गया। एक क़ौल येह है कि मय्यित के औलिया को ख़ित़ाब है कि वोह अपने मूरिस की बीबी को न रोकें। **52 :** शोहर की ना फ़रमानी या उस की या उस के घर वालों की ईज़ा व बद ज़बानी या ह़राम कारी ऐसी कोई ह़ालत हो तो ख़ुलअ़ चाहने में मुज़ायक़ा नहीं। **53 :** खिलाने पहनाने में बातचीत में और ज़ौजिय्यत के उमूर में **54 :** बद ख़ुल्क़ी या सूरत ना पसन्द होने की वज्ह से तो सब्र करो और जुदाई मत चाहो। **55 :** वलदे सालेह़ वग़ैरा। **56 :** या'नी एक को त़लाक़ दे कर दूसरी से निकाह़ करना। **57 :** इस आयत से गिरां महर मुक़र्रर करने के जवाज़ पर दलील लाई गई है। ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ने बरसरे मिम्बर फ़रमाया कि औ़रतों के महर गिरां न करो। एक औ़रत ने येह आयत पढ़ कर कहा कि ऐ इब्ने ख़त़्त़ाब ! **अल्लाह** हमें देता है और तुम मन्अ़ करते हो, इस पर अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ने फ़रमाया : ऐ उ़मर ! तुझ से हर शख़्स ज़ियादा समझदार है जो चाहो मुक़र्रर करो, سُبْحٰنَ اللّٰہ ! ख़लीफ़ए रसूल की शाने इन्साफ़ और नफ़्स शरीफ़ की पाकी رَزَقَنَا اللّٰہُ تَعَالٰی اِتِّبَاعَہٗ۔آمین। **58 :** क्यूं कि जुदाई तुम्हारी त़रफ़ से है। **59 :** येह अहले जाहिलिय्यत के उस फ़े'ल का रद है जब उन्हें कोई दूसरी औ़रत पसन्द आती तो वोह अपनी बीबी पर तोहमत लगाते ताकि वोह इस से परेशान हो कर जो कुछ ले चुकी है वापस दे दे, इस त़रीक़े को इस आयत में मन्अ़ फ़रमाया और झूट और गुनाह बताया। **60 :** वोह अ़ह्द **अल्लाह** तआ़ला का येह इर्शाद है ''فَاِمْسَاکٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌۢ بِاِحْسَانٍ''। **मस्अला :** येह आयत दलील है इस पर कि ख़ल्वते सह़ीह़ा से महर मुअक्कद हो जाता है। **61 :** जैसा कि ज़मानए जाहिलिय्यत में रवाज था कि अपनी मां के सिवा बाप के बा'द उस की दूसरी औ़रत को बेटा बियाह लेता था। **62 :** क्यूं कि बाप की बीबी ब मन्ज़िलए मां के है, कहा गया है निकाह़ से वत़ी मुराद है। इस से साबित होता है कि बाप की मौतूअह या'नी जिस से उस ने सोह़बत की हो ख़्वाह निकाह़ कर के या ब त़रीक़े ज़िना या वोह बांदी हो उस का वोह मालिक हो कर इन में से हर सूरत में बेटे का उस से निकाह़ ह़राम है। **63 :** अब इस के बा'द जिस क़दर औ़रतें

عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ

तुम पर तुम्हारी माएं[64] और बेटियां[65] और बहनें और फूफियां और ख़ालाएं और भतीजियां

وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

और भान्जियां[66] और तुम्हारी माएं जिन्हों ने दूध पिलाया[67] और दूध की बहनें

وَاُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَرَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ

और औ़रतों की माएं[68] और उन की बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं[69] उन बीबियों से जिन से

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۪

तुम सोहबत कर चुके हो तो फिर अगर तुम ने उन से सोहबत न की हो तो उन की बेटियों में हरज नहीं[70]

وَحَلَآىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ

और तुम्हारी नस्ली बेटों की बीबियें[71] और दो बहनें इकठ्ठी

الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۳﴾

करना[72] मगर जो हो गुज़रा बेशक **अल्लाह** बख़्शने वाला मेहरबान है

हराम हैं उन का बयान फ़रमाया जाता है इन में सात तो नसब से हराम हैं। **64 :** और हर औ़रत जिस की तरफ़ बाप या मां के ज़रीए से नसब रुजूअ़ करता हो या'नी दादियां व नानियां ख़्वाह क़रीब की हों या दूर की सब माएं हैं और अपनी वालिदा के हुक्म में दाख़िल हैं। **65 :** पोतियां और नवासियां किसी दरजे की हों बेटियों में दाख़िल हैं। **66 :** येह सब सगी हों या सोतेली। इन के बा'द उन औ़रतों का बयान किया जाता है जो सबब से हराम हैं। **67 : दूध के रिश्ते :** शीर ख़्वारी की मुद्दत में क़लील दूध पिया जाए या कसीर इस के साथ हुरमत मुतअ़ल्लिक़ होती है। शीर ख़्वारी की मुद्दत हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ के नज़्दीक तीस माह और साहिबैन के नज़्दीक दो साल हैं। शीर ख़्वारी की मुद्दत के बा'द जो दूध पिया जाए उस से हुरमत मुतअ़ल्लिक़ नहीं होती। **अल्लाह** तआ़ला ने रज़ाअ़त (दूध पिलाने) को नसब के क़ाइम मक़ाम किया है और दूध पिलाने वाली को शीर ख़्वार की मां और उस की लड़की को शीर ख़्वार की बहन फ़रमाया, इसी तरह दूध पिलाई का शोहर शीर ख़्वार का बाप और उस का बाप शीर ख़्वार का दादा और उस की बहन उस की फूफी और उस का हर बच्चा जो दूध पिलाई के सिवा और किसी औ़रत से भी हो ख़्वाह वोह क़ब्ल शीर ख़्वारी के पैदा हुवा या इस के बा'द वोह सब इस के सोतेले भाई बहन हैं और दूध पिलाई की मां शीर ख़्वार की नानी और उस की बहन इस की ख़ाला और उस शोहर से उस के जो बच्चे पैदा हों वोह शीर ख़्वार के रज़ाई भाई बहन और उस शोहर के इलावा दूसरे शोहर से जो हों वोह इस के सोतेले भाई बहन। इस में अस्ल येह हदीस है कि रज़ाअ़ से वोह रिश्ते हराम हो जाते हैं, जो नसब से हराम हैं इस लिये शीर ख़्वार पर उस के रज़ाई मां बाप और उन के नसबी व रज़ाई उसूल व फ़ुरूअ़ सब हराम हैं। **68 :** यहां से मुहर्रमात बिस्सेहरिय्यह (सुसराली रिश्तेदारी की वज्ह से जो औ़रतें हराम हैं उन) का बयान है वोह तीन ज़िक्र फ़रमाई गई बीबियों की माएं बीबियों की बेटियां और बेटों की बीबियां, बीबियों की माएं सिर्फ़ अ़क़्दे निकाह से हराम हो जाती हैं ख़्वाह वोह बीबियां मदख़ूला हों या ग़ैर मदख़ूला (या'नी उन से हम बिस्तरी हुई हो या न हुई हो)। **69 :** गोद में होना ग़ालिब हाल का बयान है हुरमत के लिये शर्त नहीं। **70 :** उन की मांओं से तलाक़ या मौत वग़ैरा के ज़रीए से क़ब्ले सोहबत जुदाई होने की सूरत में उन के साथ निकाह जाइज़ है। **71 :** इस से मुतबन्ना (मुंहबोले बेटे) निकल गए। इन की औ़रतों के साथ निकाह जाइज़ है और रज़ाई बेटे की बीबी भी हराम है क्यूं कि वोह नसबी के हुक्म में है और पोते परपोते बेटों में दाख़िल हैं। **72 :** येह भी हराम है ख़्वाह दोनों बहनों को निकाह में जम्अ़ किया जाए या मिल्के यमीन के ज़रीए से वती में, और हदीस शरीफ़ में फूफी भतीजी और ख़ाला भान्जी का निकाह में

www.dawateislami.net

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ

और हराम हैं शोहर दार औरतें मगर काफ़िरों की औरतें जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं[73] येह अल्लाह का नविश्ता (मुक़र्रर कर्दा) है तुम पर

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ

और उन[74] के सिवा जो रहीं वोह तुम्हें हलाल हैं कि अपने मालों के इवज़ तलाश करो क़ैद लाते[75] न

مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ

पानी गिराते[76] तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उन के बंधे हुए महर उन्हें दो

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

और क़रार दाद (तै शुदा) के बा'द अगर तुम्हारे आपस में कुछ रिज़ा मन्दी हो जाए तो इस में गुनाह नहीं[77] बेशक अल्लाह

كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ

इल्मो हिक्मत वाला है और तुम में बे मक्दूरी के बाइस जिन के निकाह में

الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ

आज़ाद औरतें ईमान वालियां न हों तो उन से निकाह करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं ईमान वाली

जम्अ करना भी हराम फ़रमाया गया और ज़ाबिता येह है कि निकाह में हर ऐसी दो औरतों का जम्अ करना हराम है जिन में से हर एक को मर्द फ़र्ज़ करने से दूसरी उस के लिये हलाल न हो, जैसे कि फूफी भतीजी, कि अगर फूफी को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो चचा हुवा भतीजी उस पर हराम है और अगर भतीजी को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो भतीजा हुवा फूफी इस पर हराम है, हुरमत दोनों तरफ़ है और अगर सिर्फ़ एक तरफ़ से हो तो जम्अ हराम न होगी, जैसे कि औरत और उस के शोहर की लड़की इन दोनों को जम्अ करना हलाल है क्यूं कि शोहर की लड़की को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो इस के लिये बाप की बीबी तो हराम रहती है। मगर दूसरी तरफ़ से येह बात नहीं है या'नी शोहर की बीबी को अगर मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो येह अजनबी होगा और कोई रिश्ता ही न रहेगा। **73 :** गिरिफ़्तार हो कर बिग़ैर अपने शोहरों के वोह तुम्हारे लिये बा'दे इस्तिब्रा (या'नी हैज़ आ जाने और बच्चा जनने के बा'द) हलाल हैं अगर्चे दारुल हर्ब में उन के शोहर मौजूद हों क्यूं कि तबायुने दारैन (मुल्क बदल जाने) की वज्ह से उन की शोहरों से फ़ुरक़त हो चुकी। **शाने नुज़ूल :** हज़रते अबू सईद ख़ुदरी رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया हम ने एक रोज़ बहुत सी क़ैदी औरतें पाईं जिन के शोहर दारुल हर्ब में मौजूद थे तो हम ने उन से क़ुरबत में तअम्मुल किया और सय्यिदे आलम صلی اللہ علیہ وسلم से मस्अला दरयाफ़्त किया, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। **74 :** मुहर्रमाते मज़्कूरा **75 :** निकाह से या मिल्के यमीन से। इस आयत से कई मस्अले साबित हुए। **मस्अला :** निकाह में महर ज़रूरी है। **मस्अला :** अगर महर मुअय्यन न किया हो जब भी वाजिब होता है। **मस्अला :** महर माल ही होता है न कि ख़िदमत व ता'लीम वग़ैरा जो चीज़ें माल नहीं हैं। **मस्अला :** इतना क़लील जिस को माल न कहा जाए महर होने की सलाहिय्यत नहीं रखता। हज़रते जाबिर और हज़रत अलिय्ये मुर्तज़ा رضی اللہ عنہما से मरवी है कि महर की अदना मिक़्दार दस दिरहम हैं इस से कम नहीं हो सकता। **76 :** इस से हराम कारी मुराद है और इस ता'बीर (मा'ना बयान करने) में तम्बीह है कि ज़ानी महूज़ शहवत रानी करता और मस्ती निकालता है और उस का फ़े'ल ग़रज़े सहीह और मक़्सदे हसन से ख़ाली होता है न औलाद हासिल करना न नस्ल व नसब महफ़ूज़ रखना न अपने नफ़्स को हराम से बचाना इन में से कोई बात उस को मद्दे नज़र नहीं होती, वोह अपने नुत्फ़े व माल को ज़ाएअ कर के दीनो दुन्या के ख़सारे में गिरिफ़्तार होता है। **77 :** ख़्वाह औरत महर मुक़र्रर शुदा से कम कर दे या बिल्कुल बख़्श दे या मर्द मिक़्दार महर की और ज़ियादा कर दे।

www.dawateislami.net

الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ

कनीज़ें[78] और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ख़ूब जानता है तुम में एक दूसरे से है तो उन से निकाह़ करो[79]

بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ

उन के मालिकों की इजाज़त से[80] और ह़स्बे दस्तूर उन के महर उन्हें दो[81] क़ैद में आतियां न

مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

मस्ती निकालती और न यार बनाती[82] जब वोह क़ैद में आ जाएं[83] फिर बुरा काम करें

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

तो उन पर उस सज़ा की आधी है जो आज़ाद औ़रतों पर है[84] येह[85] उस के लिये जिसे तुम में से ज़िना का

الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۵﴾ يُرِيْدُ ع ٤

अन्देशा है और सब्र करना तुम्हारे लिये बेहतर है[86] और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है अल्लाह चाहता

اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ

है कि अपने अह़काम तुम्हारे लिये साफ़ बयान कर दे और तुम्हें अगलों की रविशें (त़ौर त़रीक़े) बतावे[87] और तुम पर अपनी रह़मत से

عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۶﴾ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَ

रुजूअ़ फ़रमाए और अल्लाह इ़ल्मो ह़िक्मत वाला है और अल्लाह तुम पर अपनी रह़मत से रुजूअ़ फ़रमाना चाहता है और

يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿۲۷﴾ يُرِيْدُ

जो अपने मज़ों के पीछे पड़े हैं वोह चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत अलग हो जाओ[88] अल्लाह चाहता

78 : या'नी मुसल्मानों की ईमानदार कनीज़ें, क्यूं कि निकाह़ अपनी कनीज़ से नहीं होता वोह बिग़ैर निकाह़ ही मौला के लिये ह़लाल है, मा'ना येह हैं कि जो शख़्स हुर्रए मोमिना से निकाह़ की मक़्दिरत (त़ाक़त) व वुस्अ़त न रखता हो वोह ईमानदार कनीज़ से निकाह़ करे येह बात आ़र की नहीं है। **मस्अला :** जो शख़्स हुर्रा से निकाह़ की वुस्अ़त रखता हो उस को भी मुसल्मान बांदी से निकाह़ करना जाइ़ज़ है, येह मस्अला इस आयत में तो नहीं है मगर ऊपर की आयत "وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ" (और इन ह़राम की गई औ़रतों के सिवा जो रहीं वोह तुम्हें ह़लाल हैं) से साबित है। **मस्अला :** ऐसे ही किताबिया बांदी से भी निकाह़ जाइ़ज़ है और मोमिना के साथ अफ़्ज़ल व मुस्त़ह़ब है जैसा कि इस आयत से साबित हुवा। **79 :** येह कोई आ़र की बात नहीं, फ़ज़ीलत ईमान से है इसी को काफ़ी समझो। **80 मस्अला :** इस से मा'लूम हुवा कि बांदी को अपने मौला की इजाज़त के बिग़ैर निकाह़ का ह़क़ नहीं, इसी त़रह़ ग़ुलाम को **81 :** अगर्चे मालिक उन के महर के मौला हैं लेकिन बांदियों को देना मौला ही को देना है क्यूं कि ख़ुद वोह और जो कुछ उन के क़ब्ज़े में हो सब मौला की मिल्क है, या येह मा'ना हैं कि उन के मालिकों की इजाज़त से महर उन्हें दो। **82 :** या'नी अ़लानिया व ख़ुफ़्या किसी त़रह़ बदकारी नहीं करतीं **83 :** और शोहर दार हो जाएं **84 :** जो शोहर दार न हों या'नी पचास ताज़ियाने (कोड़े) क्यूं कि हुर्रा के लिये सो ताज़ियाने हैं और बांदियों को रज्म नहीं किया जाता क्यूं कि "रज्म" क़ाबिले तन्सीफ़ (दो ह़िस्सों में तक़्सीम के क़ाबिल) नहीं है। **85 :** बांदी से निकाह़ करना **86 :** बांदी के साथ निकाह़ करने से क्यूं कि उस से औलाद मम्लूक (ग़ुलाम) पैदा होगी। **87 :** अम्बिया व सालिह़ीन की **88 :** और ह़राम में मुब्तला हो कर उन्हीं की त़रह़ हो जाओ।

www.dawateislami.net

اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

है कि तुम पर तख़्फ़ीफ़ (आसानी) करे[89] और आदमी कमज़ोर बनाया गया[90] ऐ ईमान वालो

اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

आपस में एक दूसरे के माल नाहक़ न खाओ[91] मगर येह कि कोई सौदा

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

तुम्हारी बाहमी रिज़ा मन्दी का हो[92] और अपनी जानें क़त्ल न करो[93] बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ

और जो ज़ुल्मो ज़ियादती से ऐसा करेगा तो अन्क़रीब हम उसे आग में दाख़िल करेंगे और येह

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ

अल्लाह को आसान है अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों से जिन की तुम्हें मुमानअ़त है[94] तो तुम्हारे

عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ

और गुनाह[95] हम बख़्श देंगे और तुम्हें इ़ज़्ज़त की जगह दाख़िल करेंगे और उस की आरज़ू न करो जिस से अल्लाह

اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَ

ने तुम में एक को दूसरे पर बड़ाई दी[96] मर्दों के लिये उन की कमाई से हिस्सा है और

89 : और अपने फ़ज़्ल से अह़काम सह़ल (आसान) करे। **90 :** इस को औ़रतों से और शहवात से सब्र दुश्वार है। ह़दीस में है : सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : औ़रतों में भलाई नहीं और उन की त़रफ़ से सब्र भी नहीं हो सकता, नेकों पर वोह ग़ालिब आती हैं, बद उन पर ग़ालिब आ जाते हैं। **91 :** चोरी, ख़ियानत, ग़स्ब, जुवा, सूद जितने ह़राम त़रीक़े हैं सब नाह़क़ हैं सब की मुमानअ़त है **92 :** वोह तुम्हारे लिये ह़लाल है **93 :** ऐसे अफ़्आ़ल इख़्तियार कर के जो दुन्या या आख़िरत में हलाकत का बाइ़स हों, इस में मुसल्मानों को क़त्ल करना भी आ गया और मोमिन का क़त्ल ख़ुद अपना ही क़त्ल है क्यूं कि तमाम मोमिन नफ़्से वाह़िद की त़रह़ हैं। **मस्अला :** इस आयत से ख़ुदकुशी की ह़ुरमत भी साबित हुई और नफ़्स का इत्तिबाअ़ कर के ह़राम में मुब्तला होना भी अपने आप को हलाक करना है। **94 :** और जिन पर वईद आई या'नी वा'दए अ़ज़ाब दिया गया मिस्ले क़त्ल, ज़िना, चोरी वग़ैरा के। **95 :** सग़ाइर। **मस्अला :** कुफ़्रो शिर्क तो न बख़्शा जाएगा अगर आदमी इसी पर मरा (अल्लाह की पनाह) बाक़ी तमाम गुनाह सग़ीरा हों या कबीरा अल्लाह की मशिय्यत में हैं चाहे उन पर अ़ज़ाब करे चाहे मुआ़फ़ फ़रमाए। **96 :** ख़्वाह दुन्या की जिहत से या दीन की, कि आपस में ह़सद व बुग़्ज़ न पैदा हो। ह़सद निहायत बुरी सिफ़त है ह़सद वाला दूसरे को अच्छे ह़ाल में देखता है तो अपने लिये उस की ख़्वाहिश करता है और साथ में येह भी चाहता है कि उस का भाई इस ने'मत से महरूम हो जाए येह मम्नूअ़ है, बन्दे को चाहिये कि अल्लाह तआ़ला की तक़्दीर पर राज़ी रहे, उस ने जिस बन्दे को जो फ़ज़ीलत दी ख़्वाह दौलत व ग़ना की या दीनी मनासिब व मदारिज की, येह उस की ह़िक्मत है। **शाने नुज़ूल :** जब आयते मीरास में "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ" (बेटों का ह़िस्सा दो बेटियों बराबर है) नाज़िल हुवा और मय्यित के तर्के में मर्द का ह़िस्सा औ़रत से दूना मुक़र्रर किया गया तो मर्दों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आख़िरत में नेकियों का सवाब भी हमें औ़रतों से दूना मिलेगा और औ़रतों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि गुनाह का अ़ज़ाब हमें मर्दों से आधा होगा, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और इस में बताया गया कि अल्लाह तआ़ला ने जिस को जो फ़ज़्ल दिया वोह ऐन ह़िक्मत है, बन्दे को चाहिये कि वोह उस की क़ज़ा पर राज़ी रहे।

www.dawateislami.net

لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَ سْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

औ़रतों के लिये उन की कमाई से हिस्सा[97] और अल्लाह से उस का फ़ज़्ल मांगो बेशक अल्लाह

بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۳۲﴾ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ

सब कुछ जानता है और हम ने सब के लिये माल के मुस्तहि़क़ बना दिये हैं जो कुछ छोड़ जाएं मां बाप

وَ الْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَ الَّذِیْنَ عَقَدَتْ اَیْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِیْبَهُمْ ؕ اِنَّ

और क़राबत वाले और वोह जिन से तुम्हारा ह़ल्फ़ बंध चुका[98] उन्हें उन का हिस्सा दो बेशक

اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدًا ﴿۳۳﴾ ع اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا ع ٥ ٨ ٢

हर चीज़ अल्लाह के सामने है मर्द अफ़्सर हैं औ़रतों पर[99] इस लिये कि

فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ

अल्लाह ने इन में एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी[100] और इस लिये कि मर्दों ने उन पर अपने माल ख़र्च किये[101] तो नेक बख़्त औ़रतें

قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ

अदब वालियां हैं ख़ावन्द के पीछे हि़फ़ाज़त रखती हैं[102] जिस त़रह़ अल्लाह ने हि़फ़ाज़त का हुक्म दिया और जिन औ़रतों की ना फ़रमानी का तुम्हें अन्देशा हो

فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ

तो उन्हें समझाओ[103] और उन से अलग सोओ और उन्हें मारो[104] फिर अगर वोह तुम्हारे हुक्म में आ जाएं

97 : हर एक को उस के आ'माल की जज़ा। **शाने नुज़ूल :** उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते उम्मे सलमा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ने फ़रमाया कि हम भी अगर मर्द होते तो जिहाद करते और मर्दों की त़रह़ जान फ़िदा करने का सवाबे अ़ज़ीम पाते, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन्हें तस्कीन दी गई कि मर्द जिहाद से सवाब ह़ासिल कर सकते हैं तो औ़रतें शोहरों की इत़ाअ़त और पाक दामनी से सवाब ह़ासिल कर सकती हैं। **98 :** इस से अ़क़्दे मुवालात मुराद है, इस की सूरत येह है कि कोई मज्हूलुन्नसब शख़्स (जिस के नसब का कुछ पता न हो वोह) दूसरे से येह कहे कि तू मेरा मौला है मैं मर जाऊं तो तू मेरा वारिस होगा और मैं कोई जिनायत करूं तो तुझे दियत देनी होगी, दूसरा कहे मैं ने क़बूल किया इस सूरत में येह अ़क़्द सह़ीह़ हो जाता है और क़बूल करने वाला वारिस बन जाता है और दियत भी उस पर आ जाती है और दूसरा भी उसी की त़रह़ से मज्हूलुन्नसब हो और ऐसा ही कहे और येह भी क़बूल कर ले तो इन में से हर एक दूसरे का वारिस और उस की दियत का ज़िम्मादार होगा, येह अ़क़्द साबित है, सह़ाबा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم इस के क़ाइल हैं। **99 :** तो औ़रतों को उन की इत़ाअ़त लाज़िम और मर्दों को ह़क़ है कि वोह औ़रतों पर रिआ़या की त़रह़ हुक्मरानी करें और उन के मसालेह़ और तदाबीर और तादीब व हि़फ़ाज़त की सर अन्जाम देही करें। **शाने नुज़ूल :** ह़ज़रते सा'द बिन रबीअ़ ने अपनी बीबी ह़बीबा को किसी ख़त़ा पर एक त़मांचा मारा, उन के वालिद उन्हें सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में ले गए और उन के शोहर की शिकायत की, इस बाब में येह आयत नाज़िल हुई। **100 :** या'नी मर्दों को औ़रतों पर अ़क़्लो दानाई और जिहाद और नुबुव्वत व ख़िलाफ़त व इमामत व अज़ान व ख़ुत़्बा व जमाअ़त व जुमुआ़ व तक्बीर व तश्रीक़ और ह़द व क़िसास की शहादत के और विरसे में दूने हि़स्से और ता'सीब और निकाह़ व त़लाक़ के मालिक होने और नसबों के इन की त़रफ़ निस्बत किये जाने और नमाज़ व रोज़े के कामिल त़ौर पर क़ाबिल होने के साथ कि इन के लिये कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि नमाज़ व रोज़े के क़ाबिल न हों और दाढ़ियों और इमामों के साथ फ़ज़ीलत दी। **101 मस्अला :** इस आयत से मा'लूम हुवा कि औ़रतों के नफ़क़े मर्दों पर वाजिब हैं। **102 :** अपनी इफ़्फ़त और शोहरों के घर, माल और उन के राज़ की **103 :** उन्हें शोहर की ना फ़रमानी और उस के इत़ाअ़त न करने और उस के हुक़ूक़ का लिह़ाज़ न रखने के नताइज समझाओ जो दुन्या व आख़िरत में पेश आते हैं और अल्लाह के अ़ज़ाब का ख़ौफ़ दिलाओ और बताओ कि हमारा तुम पर शरअ़न ह़क़ है और हमारी इत़ाअ़त तुम पर फ़र्ज़ है अगर इस पर भी न मानें **104 :** ज़र्बे ग़ैर शदीद

www.dawateislami.net

فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ

तो उन पर ज़ियादती की कोई राह न चाहो बेशक अल्लाह बुलन्द बड़ा है[105] और अगर तुम को मियां बीबी के

شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ

झगड़े का ख़ौफ़ हो[106] तो एक पन्च मर्द वालों की तरफ़ से भेजो और एक पन्च औरत वालों की तरफ़ से[107] येह दोनों

يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿۳۵﴾

अगर सुल्ह कराना चाहेंगे तो अल्लाह उन में मेल (मुवाफ़क़त पैदा) कर देगा बेशक अल्लाह जानने वाला ख़बरदार है[108]

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى

और अल्लाह की बन्दगी करो और उस का शरीक किसी को न ठहराओ[109] और मां बाप से भलाई करो[110] और

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

रिश्तेदारों[111] और यतीमों और मोहताजों[112] और पास के हमसाए और दूर के हमसाए[113]

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

और करवट के साथी[114] और राहगीर[115] और अपनी बांदी ग़ुलाम से[116] बेशक अल्लाह

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿۳۶﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ

को ख़ुश (पसन्द) नहीं आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने वाला[117] जो आप बुख़्ल करें और औरों

105 : और तुम गुनाह करते हो फिर भी वोह तुम्हारी तौबा क़बूल फ़रमाता है तो तुम्हारी ज़ेरे दस्त औरतें अगर क़ुसूर करने के बा'द मुआफ़ी चाहें तो तुम्हें ब तरीक़े औला मुआफ़ करना चाहिये और अल्लाह की क़ुदरत व बरतरी का लिहाज़ रख कर ज़ुल्म से मुज्तनिब (बचते) रहना चाहिये। **106 :** और तुम देखो कि समझाना, अलाहदा सोना, मारना कुछ भी कारआमद न हुवा और दोनों की ना इत्तिफ़ाक़ी रफ़अ न हुई। **107 :** क्यूं कि अक़ारिब अपने रिश्तेदारों के ख़ानगी हालात से वाक़िफ़ होते हैं और ज़ौजैन के दरमियान मुवाफ़क़त की ख़्वाहिश भी रखते हैं और फ़रीक़ैन को उन पर इत्मीनान भी होता है और उन से अपने दिल की बात कहने में तअम्मुल भी नहीं होता है। **108 :** जानता है कि ज़ौजैन में ज़ालिम कौन है। **मस्अला :** पन्चों (किसी भी बिरादरी में फ़ैसले के लिये मुक़र्रर कर्दा अफ़राद) को ज़ौजैन में तफ़रीक़ कर देने का इख़्तियार नहीं। **109 :** न जानदार को न बेजान को न उस की रबूबिय्यत में न उस की इबादत में। **110 :** अदबो ता'ज़ीम के साथ और उन की ख़िदमत में मुस्तइद रहना और उन पर ख़र्च करने में कमी न करो। मुस्लिम शरीफ़ की हदीस है : सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने तीन मरतबा फ़रमाया : उस की नाक ख़ाक आलूद हो। हज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ने अर्ज़ किया : किस की **या रसूलल्लाह?** फ़रमाया : जिस ने बूढ़े मां बाप पाए या उन में से एक को पाया और जन्नती न हो गया। **111 :** हदीस शरीफ़ में है : रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक करने वालों की उम्र दराज़ और रिज़्क़ वसीअ होता है। (بخاری و مسلم) **112 हदीस :** सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मैं और यतीम की सर परस्ती करने वाला ऐसे क़रीब होंगे जैसे अंगुश्ते शहादत और बीच की उंगली। (بخاری شریف) **हदीस :** सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बेवा और मिस्कीन की इमदाद व ख़बर गीरी करने वाला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के मिस्ल है। **113 :** सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया की जिब्रील मुझे हमेशा हमसायों के साथ एहसान करने की ताकीद करते रहे इस हद तक कि गुमान होता था कि इन को वारिस क़रार दें। (بخاری و مسلم) **114 :** या'नी बीबी या जो सोहबत में रहे या रफ़ीक़े सफ़र हो या साथ पढ़े या मजलिस व मस्जिद में बराबर बैठे **115 :** और मुसाफ़िर व मेहमान। **हदीस :** जो अल्लाह और रोज़े क़ियामत पर ईमान रखे उसे चाहिये कि मेहमान का इक्राम करे। (بخاری و مسلم) **116 :** कि उन्हें ताक़त से ज़ियादा तक्लीफ़ न दो और सख़्त कलामी न करो और खाना कपड़ा ब क़दरे ज़रूरत दो। **हदीस :** रसूले अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जन्नत में बद ख़ुल्क़ दाख़िल न होगा। (ترمذی) **117 :** मुतकब्बिर ख़ुदबीं जो रिश्तेदारों और हमसायों को ज़लील समझे।

www.dawateislami.net

النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا

से बुख़्ल के लिये कहें[118] और अल्लाह ने जो उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया है उसे छुपाएं[119] और काफ़िरों के लिये

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ﴿۳۷﴾ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ

हम ने ज़िल्लत का अ़ज़ाब तय्यार कर रखा है और वोह जो अपने माल लोगों के दिखावे को ख़र्च करते हैं[120]

وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ

और ईमान नहीं लाते अल्लाह और न क़ियामत पर और जिस का मुसाहिब (साथी व मुशीर) शैतान हुवा[121]

قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

तो कितना बुरा मुसाहिब है और उन का क्या नुक़्सान था अगर ईमान लाते अल्लाह और क़ियामत पर

وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ

और अल्लाह के दिये में से उस की राह में ख़र्च करते[122] और अल्लाह उन को जानता है अल्लाह एक ज़र्रा भर

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا

ज़ुल्म नहीं फ़रमाता और अगर कोई नेकी हो तो उसे दूनी करता और अपने पास से बड़ा सवाब

عَظِيْمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ

देता है तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं[123] और ऐ महबूब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान

شَهِيْدًا ﴿۴۱﴾ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى

बना कर लाए[124] उस दिन तमन्ना करेंगे वोह जिन्हों ने कुफ़्र किया और रसूल की ना फ़रमानी की काश उन्हें मिट्टी में

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

118 : बुख़्ल येह है कि ख़ुद खाए दूसरे को न दे। "शुह़" येह है कि न खाए न खिलाए, **सख़ा** येह है कि ख़ुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, **जूद** येह है कि आप न खाए दूसरे को खिलाए। **शाने नुज़ूल :** येह आयत यहूद के ह़क़ में नाज़िल हुई जो सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की सिफ़त बयान करने में बुख़्ल करते और छुपाते थे। **मस्अला :** इस से मा'लूम हुवा कि इ़ल्म को छुपाना मज़्मूम है। 119 : ह़दीस शरीफ़ में है कि अल्लाह को पसन्द है कि बन्दे पर उस की ने'मत ज़ाहिर हो। **मस्अला :** अल्लाह की ने'मत का इज़्हार इख़्लास के साथ हो तो येह भी शुक्र है और इस लिये आदमी को अपनी हैसिय्यत के लाइक़ जाइज़ लिबासों में बेहतर पहनना मुस्तह़ब है। 120 : बुख़्ल के बा'द सर्फ़े बे जा की बुराई बयान फ़रमाई कि जो लोग महज़ नुमूदो नुमाइश और नाम आवरी के लिये ख़र्च करते हैं और रिज़ाए इलाही उन्हें मक़्सूद नहीं होती जैसे कि मुश्रिकीन व मुनाफ़िक़ीन, येह भी उन्हीं के ह़ुक्म में हैं जिन का ह़ुक्म ऊपर गुज़र गया। 121 : दुन्या व आख़िरत में। दुन्या में तो इस त़रह़ कि वोह शैत़ानी काम कर के उस को ख़ुश करता रहा और आख़िरत में इस त़रह़ कि हर काफ़िर एक शैत़ान के साथ आतिशी ज़न्जीर में जकड़ा हुवा होगा (خازن) 122 : इस में सरासर उन का नफ़्अ़ ही था। 123 : उस नबी को और वोह अपनी उम्मत के ईमान व कुफ़्र व निफ़ाक़ और तमाम अफ़्आ़ल पर गवाही दें क्यूं कि अम्बिया अपनी उम्मतों के अफ़्आ़ल से बा ख़बर होते हैं। 124 : कि तुम नबिय्युल अम्बिया और सारा आ़लम तुम्हारी उम्मत।

www.dawateislami.net

بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿۴۲﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

दबा कर ज़मीन बराबर कर दी जाए और कोई बात अल्लाह से न छुपा सकेंगे[125] ऐ ईमान वालो

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا

नशे की हालत में नमाज़ के पास न जाओ[126] जब तक इतना होश न हो कि जो कहो उसे समझो और न नापाकी की

اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ

हालत में बे नहाए मगर मुसाफ़िरी में[127] और अगर तुम बीमार हो[128] या सफ़र में या तुम में

اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا

से कोई क़ज़ाए हाजत से आया[129] या तुम ने औरतों को छुवा[130] और पानी न पाया[131] तो पाक मिट्टी

صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا

से तयम्मुम करो[132] तो अपने मुंह और हाथों का मस्ह करो[133] बेशक अल्लाह मुआफ़ फ़रमाने वाला

125 : क्यूं कि जब वोह अपनी ख़ता से मुकरेंगे और क़सम खा कर कहेंगे कि हम मुश्रिक न थे और हम ने ख़ता न की थी तो उन के मूंहों पर मोहर लगा दी जाएगी और उन के आ'ज़ा व जवारेह् को गोयाई दी जाएगी, वोह उन के ख़िलाफ़ शहादत देंगे। **126 शाने नुज़ूल :** हज़रते अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने एक जमाअ़ते सहाबा की दा'वत की, उस में खाने के बा'द शराब पेश की गई, बा'ज़ों ने पी क्यूं कि उस वक़्त तक शराब हराम न हुई थी, फिर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, इमाम नशे में "قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَاَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ" पढ़ गए और दोनों जगह "لَا" तर्क कर दिया और नशे में ख़बर न हुई और मा'ना फ़ासिद हो गए, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और उन्हें नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने से मन्अ़ फ़रमा दिया गया तो मुसल्मानों ने नमाज़ के अवक़ात में शराब तर्क कर दी इस के बा'द शराब बिल्कुल हराम कर दी गई। **मस्अला :** इस से साबित हुवा कि आदमी नशे की हालत में कलिमए कुफ़्र ज़बान पर लाने से काफ़िर नहीं होता इस लिये कि "قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ" में दोनों जगह "لَا" का तर्क कुफ़्र है, लेकिन इस हालत में हुज़ूर ने इस पर कुफ़्र का हुक्म न फ़रमाया बल्कि क़ुरआने पाक में उन को "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا" से ख़िताब फ़रमाया गया। **127 :** जब कि पानी न पाओ तयम्मुम कर लो **128 :** और पानी का इस्ति'माल ज़रर करता हो **129 :** येह किनाया है बे वुज़ू होने से **130 :** या'नी जिमाअ़ किया **131 :** उस के इस्ति'माल पर क़ादिर न होने, ख़्वाह पानी मौजूद न होने के बाइस या दूर होने के सबब या उस के हासिल करने का आला न होने के सबब या सांप, दरिन्दा, दुश्मन वग़ैरा कोई मानेअ़ होने के बाइस **132 :** येह हुक्म मरीज़ों, मुसाफ़िरों, जनाबत और हदस वालों को शामिल है जो पानी न पाएं या उस के इस्ति'माल से आजिज़ हों। (مدارک) **मस्अला :** हैज़ो निफ़ास से तहारत के लिये भी पानी से आजिज़ होने की सूरत में तयम्मुम जाइज़ है जैसा कि हदीस शरीफ़ में आया है। **133 तरीक़ए तयम्मुम :** तयम्मुम करने वाला दिल से पाकी हासिल करने की निय्यत करे, तयम्मुम में निय्यत बिल इज्माअ़ शर्त है क्यूं कि वोह नस्स से साबित है। जो चीज़ मिट्टी की जिन्स से हो जैसे गर्द, रेता, पथ्थर इन सब पर तयम्मुम जाइज़ है ख़्वाह पथ्थर पर ग़ुबार भी न हो लेकिन पाक होना इन चीज़ों का शर्त है। तयम्मुम में दो ज़र्बें हैं : एक मरतबा हाथ मार कर चेहरे पर फेर लें दूसरी मरतबा हाथों पर। **मस्अला :** पानी के साथ तहारत अस्ल है और तयम्मुम पानी से आजिज़ होने की हालत में इस का पूरा पूरा क़ाइम मक़ाम है, जिस तरह हदस पानी से ज़ाइल होता है इसी तरह तयम्मुम से, हत्ता कि एक तयम्मुम से बहुत से फ़राइज़ो नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं। **मस्अला :** तयम्मुम करने वाले के पीछे ग़ुस्ल और वुज़ू करने वाले की इक़्तिदा सहीह है। **शाने नुज़ूल :** ग़ज़्वए बनी अल मुस्तलिक़ में जब लश्करे इस्लाम शब को एक बयाबान में उतरा जहां पानी न था और सुब्ह वहां से कूच करने का इरादा था वहां उम्मुल मुअमिनीन हज़रत आइशा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا का हार गुम हो गया, उस की तलाश के लिये सय्यिदे आलम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ने वहां इक़ामत फ़रमाई, सुब्ह हुई तो पानी न था, अल्लाह तआ़ला ने आयते तयम्मुम नाज़िल फ़रमाई। उसैद बिन हुज़ैर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने कहा कि ऐ आले अबू बक्र ! येह तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है या'नी तुम्हारी बरकत से मुसल्मानों को बहुत आसानियां हुईं और बहुत फ़वाइद पहुंचे, फिर ऊंट उठाया गया तो उस के नीचे हार मिला। हार गुम होने और सय्यिदे आलम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم के न बताने में बहुत हिक्मतें हैं, हज़रते सिद्दीक़ा के हार की वज्ह से क़ियाम इन की फ़ज़ीलतो मन्ज़िलत का मुश्इ़र (ज़ाहिर करने वाला) है, सहाबा का जुस्तजू फ़रमाना, इस में हिदायत है कि हुज़ूर की अज़्वाज की ख़िदमत मोमिनीन की सआ़दत है और फिर हुक्मे तयम्मुम होना मा'लूम होता है कि हुज़ूर की अज़्वाज की ख़िदमत का ऐसा सिला है जिस से क़ियामत तक मुसल्मान मुन्तफ़ेअ़ होते रहेंगे, سُبْحٰنَ اللّٰہ।

www.dawateislami.net

غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ

बख़्शने वाला है क्या तुम ने उन्हें न देखा जिन को किताब से एक हिस्सा मिला[134] गुमराही मोल

الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ

लेते हैं[135] और चाहते हैं[136] कि तुम भी राह से बहक जाओ और अल्लाह ख़ूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को[137]

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿٤٥﴾ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا

और अल्लाह काफ़ी है वाली[138] और अल्लाह काफ़ी है मददगार कुछ यहूदी कलामों (इर्शादाते ख़ुदावन्दी)

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ

को उन की जगह से फेरते हैं[139] और[140] कहते हैं हम ने सुना और न माना और[141] सुनिये

غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ

आप सुनाए न जाएं[142] और राइना कहते हैं[143] ज़बानें फेर कर[144] और दीन में त़ा'ने के लिये[145] और अगर वोह[146]

قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ

कहते कि हम ने सुना और माना और हुज़ूर हमारी बात सुनें और हुज़ूर हम पर नज़र फ़रमाएं तो उन के लिये भलाई और रास्ती में ज़ियादा होता

وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾ يٰۤاَيُّهَا

लेकिन उन पर तो अल्लाह ने ला'नत की उन के कुफ़्र के सबब तो यक़ीन नहीं रखते मगर थोड़ा[147] ऐ

الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ

किताब वालो ईमान लाओ उस पर जो हम ने उतारा तुम्हारे साथ वाली किताब[148] की तस्दीक़ फ़रमाता क़ब्ल इस के

---

134 : वोह येह कि तौरैत से उन्हों ने सिर्फ़ हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام की नुबुव्वत को पहचाना और सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم का जो उस में बयान था उस हिस्से से वोह महरूम रहे और आप की नुबुव्वत के मुन्किर हो गए। **शाने नुज़ूल :** येह आयत रिफ़ाआ़ बिन ज़ैद और मालिक बिन दुख़्शुम यहूदियों के हक़ में नाज़िल हुई, येह दोनों जब रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم से बात करते तो ज़बान टेढ़ी कर के बोलते **135 :** हुज़ूर की नुबुव्वत का इन्कार कर के। **136 :** ऐ मुसल्मानो ! **137 :** और उस ने तुम्हें भी उन की अ़दावत पर ख़बरदार कर दिया तो चाहिये कि उन से बचते रहो। **138 :** और जिस का कारसाज़ अल्लाह हो उसे क्या अन्देशा। **139 :** जो तौरैत शरीफ़ में अल्लाह तआ़ला ने सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ना'त में फ़रमाए **140 :** जब सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم उन्हें कुछ हुक्म फ़रमाते हैं तो **141 :** कहते हैं : **142 :** येह कलिमा ज़ू जिहतैन है (या'नी) मद्ह व ज़म के दोनों पहलू रखता है। **मद्ह** का पहलू तो येह है कि कोई ना गवार बात आप के सुनने में न आए और **ज़म** का पहलू येह कि आप को सुनना नसीब न हो। **143 :** बा वुजूदे कि इस कलिमे के साथ ख़िताब की मुमानअ़त की गई है, क्यूं कि येह उन की ज़बान में ख़राब मा'ना रखता है। **144 :** हक़ से बातिल की त़रफ़। **145 :** कि वोह अपने रफ़ीक़ों से कहते थे कि हम हुज़ूर की बदगोई करते हैं अगर आप नबी होते तो आप इस को जान लेते अल्लाह तआ़ला ने उन के ख़ुब्से ज़मा़इर को ज़ाहिर फ़रमा दिया। **146 :** बजाए इन कलिमात के अहले अदब के त़रीक़े पर **147 :** इतना कि अल्लाह ने उन्हें पैदा किया और रोज़ी दी और इस क़दर काफ़ी नहीं जब तक कि तमाम ईमानिय्यात को न मानें और सब की तस्दीक़ न करें। **148 :** तौरैत।

www.dawateislami.net

اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ

कि हम बिगाड़ दें कुछ मूंहों को[149] तो उन्हें फेर दें उन की पीठ की त़रफ़ या उन्हें ला'नत करें जैसी ला'नत की

اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۴۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ

हफ़्ते वालों पर[150] और ख़ुदा का हुक्म हो कर रहे बेशक अल्लाह इसे नहीं बख़्शता कि

يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

उस के साथ कुफ़्र किया जाए और कुफ़्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआ़फ़ फ़रमा देता है[151] और जिस ने ख़ुदा का शरीक ठहराया

فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿۴۸﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ

उस ने बड़े गुनाह का तूफ़ान बांधा क्या तुम ने उन्हें न देखा जो ख़ुद अपनी सुथराई बयान करते हैं[152]

بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿۴۹﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ

बल्कि अल्लाह जिसे चाहे सुथरा करे और उन पर जुल्म न होगा दानए ख़ुरमा के डोरे बराबर[153] देखो कैसा

يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۵۰﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى ع ٨

अल्लाह पर झूट बांध रहे हैं[154] और येह काफ़ी है सरीह़ (खुला) गुनाह क्या तुम ने वोह न देखे

الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ

जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला ईमान लाते हैं बुत और शैत़ान पर

149 : आंख, नाक, अब्रू वग़ैरा नक़्शा मिटा कर 150 : इन दोनों बातों में से एक ज़रूर लाज़िम है और ला'नत तो उन पर ऐसी पड़ी कि दुन्या उन्हें मल्ऊ़न कहती है, यहां मुफ़स्सिरीन के चन्द अक़्वाल हैं : बा'ज़ इस वईद का वुक़ूअ़ दुन्या में बताते हैं, बा'ज़ आख़िरत में, बा'ज़ कहते हैं कि ला'नत हो चुकी और वईद वाक़ेअ़ हो गई, बा'ज़ कहते हैं : अभी इन्तिज़ार है, बा'ज़ का क़ौल है कि येह वईद उस सूरत में थी जब कि यहूद में से कोई ईमान न लाता और चूंकि बहुत से यहूद ईमान ले आए इस लिये शर्त़ नहीं पाई गई और वईद उठ गई। ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम जो आ'ज़म उ़लमाए यहूद से हैं उन्हों ने मुल्के शाम से वापस आते हुए राह में येह आयत सुनी और अपने घर पहुंचने से पहले इस्लाम ला कर सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया : **या रसूलल्लाह !** मैं नहीं ख़याल करता था कि मैं अपना मुंह पीठ की त़रफ़ फिर जाने से पहले और चेहरे का नक़्शा मिट जाने से क़ब्ल आप की ख़िदमत में ह़ाज़िर हो सकूंगा या'नी इस ख़ौफ़ से ईमान लाने में जल्दी की क्यूं कि तौरैत शरीफ़ से उन्हें आप के रसूले बरह़क़ होने का यक़ीनी इ़ल्म था, इसी ख़ौफ़ से ह़ज़रते का'ब अह़बार जो उ़लमाए यहूद में बड़ी मन्ज़िलत रखते थे ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه से येह आयत सुन कर मुसल्मान हो गए। 151 : मा'ना येह हैं कि जो कुफ़्र पर मरे उस की बख़्शिश नहीं इस के लिये हमेशगी का अ़ज़ाब है और जिस ने कुफ़्र न किया हो वोह ख़्वाह कितना ही गुनाहगार, मुरतकिबे कबाइर हो और बे तौबा भी मर जाए तो उस के लिये ख़ुलूद नहीं उस की मग़्फ़िरत अल्लाह की मशिय्यत में है चाहे मुआ़फ़ फ़रमाए या उस के गुनाहों पर अ़ज़ाब करे फिर अपनी रह़मत से जन्नत में दाख़िल फ़रमाए। इस आयत में यहूद को ईमान की तरग़ीब है और इस पर भी दलालत है कि यहूद पर उ़र्फ़े शरअ़ में मुश्रिक का इत्लाक़ दुरुस्त है। 152 : येह आयत यहूदो नसारा के ह़क़ में नाज़िल हुई जो अपने आप को अल्लाह का बेटा और उस का प्यारा बताते थे और कहते थे कि यहूदो नसारा के सिवा कोई जन्नत में न दाख़िल होगा। इस आयत में बताया गया कि इन्सान का दीनदारी और सलाह़ व तक़्वा और क़ुर्ब व मक़्बूलिय्यत का मुद्दई होना और अपने मुंह से अपनी ता'रीफ़ करना काम नहीं आता। 153 : या'नी बिल्कुल जुल्म न होगा वोही सज़ा दी जाएगी जिस के वोह मुस्तह़िक़ हैं। 154 : अपने आप को बे गुनाह और मक़्बूले बारगाह बता कर।

www.dawateislami.net

وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

और काफ़िरों को कहते हैं कि येह मुसल्मानों से ज़ियादा राह

سَبِيْلًا ﴿٥١﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ

पर हैं येह हैं जिन पर अल्लाह ने ला'नत की और जिसे ख़ुदा ला'नत करे तो हरगिज़

تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾ ؕ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ

उस का कोई यार न पाएगा[155] क्या मुल्क में उन का कुछ हिस्सा है[156] ऐसा हो तो लोगों

النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾ ۙ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ

को तिल भर न दें या लोगों से हसद करते हैं[157] उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया[158]

فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

तो हम ने तो इब्राहीम की औलाद को किताब और हिक्मत अ़ता फ़रमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया[159]

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

तो उन में कोई उस पर ईमान लाया[160] और किसी ने उस से मुंह फेरा[161] और दोख़ज़ काफ़ी है भड़क्ती आग[162]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ

जिन्हों ने हमारी आयतों का इन्कार किया अ़न्क़रीब हम उन को आग में दाख़िल करेंगे जब कभी उन की खालें

جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

पक जाएंगी हम उन के सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अ़ज़ाब का मज़ा लें बेशक अल्लाह

155 शाने नुज़ूल : येह आयत का'ब बिन अशरफ़ वग़ैरा उ़लमाए यहूद के हक़ में नाज़िल हुई जो सत्तर सुवारों की जम्इय्यत ले कर कुरैश से सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم के साथ जंग करने पर हल्फ़ लेने पहुंचे, कुरैश ने इन से कहा चूंकि तुम किताबी हो इस लिये तुम सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم के साथ ज़ियादा क़ुर्ब रखते हो हम कैसे इत्मीनान करें कि तुम हम से फ़रेब के साथ नहीं मिल रहे हो अगर इत्मीनान दिलाना हो तो हमारे बुतों को सज्दा करो तो उन्हों ने शैतान की इताअ़त कर के बुतों को सज्दा किया, फिर अबू सुफ़्यान ने कहा कि हम ठीक राह पर हैं या मुहम्मद मुस्तफ़ा (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) ? का'ब बिन अशरफ़ ने कहा : तुम ही ठीक राह पर हो। इस पर येह आयत नाज़िल हुई और अल्लाह तआ़ला ने उन पर ला'नत फ़रमाई कि उन्हों ने हुज़ूर की अ़दावत में मुश्रिकीन के बुतों तक को पूजा। **156 :** यहूद कहते थे कि हम मुल्क व नुबुव्वत के ज़ियादा हक़दार हैं तो हम कैसे अ़रबों का इत्तिबाअ़ करें ! अल्लाह तआ़ला ने इन के इस दा'वे को झुटला दिया कि इन का मुल्क में हिस्सा ही क्या है और अगर बिलफ़र्ज़ कुछ होता तो इन का बुख़्ल इस दरजे का है कि **157 :** नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم और अहले ईमान से **158 :** नुबुव्वत व नुसरत व ग़लबा व इ़ज़्ज़त वग़ैरा ने'मतें। **159 :** जैसा कि हज़रते यूसुफ़ और हज़रते दावूद और हज़रते सुलैमान عَلَيْهِمُ السَّلَام को, तो फिर अगर अपने हबीब सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم पर करम किया तो इस से क्यूं जलते और हसद करते हो। **160 :** जैसे कि हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के साथ वाले सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم पर ईमान लाए। **161 :** और ईमान से महरूम रहा **162 :** उस के लिये जो सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم पर ईमान न लाए।

www.dawateislami.net

عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ

ग़ालिब हिक्मत वाला है और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किये अ़न्क़रीब हम उन्हें

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ

बाग़ों में ले जाएंगे जिन के नीचे नहरें रवां उन में हमेशा रहेंगे उन के लिये वहां

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ

सुथरी बीबियां हैं[163] और हम उन्हें वहां दाख़िल करेंगे जहां साया ही साया होगा[164] बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि

تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا

अमानतें जिन की हैं उन्हीं के सिपुर्द करो[165] और येह कि जब तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इन्साफ़ के

بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

साथ फ़ैसला करो[166] बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही ख़ूब नसीह़त फ़रमाता है बेशक अल्लाह सुनता देखता है

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ

ऐ ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का[167] और उन का जो तुम में हुकूमत

مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

वाले हैं[168] फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह व रसूल के हुज़ूर रुजूअ़ करो अगर

163 : जो हर नजासत व गन्दगी और क़ाबिले नफ़रत चीज़ से पाक हैं। **164 :** या'नी सायए जन्नत जिस की राह़त व आसाइश, रसाइये फ़ह्म व इह़ात़ए बयान से बाला तर है। **165 :** अस्ह़ाबे अमानात और हुक्काम को अमानतें दियानत दारी के साथ ह़क़दार को अदा करने और फ़ैसलों में इन्साफ़ करने का हुक्म दिया, बा'ज़ मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि फ़राइज़ भी अल्लाह तआ़ला की अमानतें हैं इन की अदा भी इस हुक्म में दाख़िल है। **166 :** फ़रीक़ैन में से अस्लन किसी की रिआ़यत न हो। उ़लमा ने फ़रमाया कि ह़ाकिम को चाहिये कि पांच बातों में फ़रीक़ैन के साथ बराबर सुलूक करे (1) अपने पास आने में जैसे एक को मौक़अ़ दे दूसरे को भी दे। (2) निशस्त दोनों को एक सी दे (3) दोनों की त़रफ़ बराबर मुतवज्जेह रहे (4) कलाम सुनने में हर एक के साथ एक ही त़रीक़ा रखे (5) फ़ैसला देने में ह़क़ की रिआ़यत करे जिस का दूसरे पर ह़क़ हो पूरा पूरा दिलाए। ह़दीस शरीफ़ में है : इन्साफ़ करने वालों को क़ुर्बे इलाही में नूरी मिम्बर अ़त़ा होंगे। **शाने नुज़ूल :** बा'ज़ मुफ़स्सिरीन ने इस के शाने नुज़ूल में इस वाक़िए़ का ज़िक्र किया है कि फ़त्ह़े मक्का के वक़्त सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने उ़स्मान बिन त़ल्ह़ा ख़ादिमे का'बा से का'बए मुअ़ज़्ज़मा की कलीद (चाबी) ले ली, फिर जब येह आयत नाज़िल हुई तो आप ने वोह कलीद उन्हें वापस दी और फ़रमाया कि अब येह कलीद हमेशा तुम्हारी नस्ल में रहेगी, इस पर उ़स्मान बिन त़ल्ह़ा ह़ज़बी इस्लाम लाए। अगर्चे येह वाक़िआ़ थोड़े थोड़े तग़य्युरात के साथ बहुत से मुह़द्दिसीन ने ज़िक्र किया है मगर अह़ादीस पर नज़र करने से येह क़ाबिले वुसूक़ (क़ाबिले यक़ीन) नहीं मा'लूम होता क्यूं कि इब्ने अ़ब्दुल्लाह और इब्ने मन्दा और इब्ने असीर की रिवायतों से मा'लूम होता है कि उ़स्मान बिन त़ल्ह़ा 8 हि. में मदीनए त़य्यिबा ह़ाज़िर हो कर मुशर्रफ़ ब इस्लाम हो चुके थे और इन्हों ने फ़त्ह़े मक्का के रोज़ कुन्जी ख़ुद अपनी ख़ुशी से पेश की थी, बुख़ारी और मुस्लिम की ह़दीसों से येही मुस्तफ़ाद होता है। **167 :** कि रसूल की इत़ाअ़त अल्लाह ही की इत़ाअ़त है। बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस है : सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने मेरी इत़ाअ़त की उस ने अल्लाह की इत़ाअ़त की और जिस ने मेरी ना फ़रमानी की उस ने अल्लाह की ना फ़रमानी की। **168 :** इसी ह़दीस में हुज़ूर फ़रमाते हैं : जिस ने अमीर की इत़ाअ़त की उस ने मेरी इत़ाअ़त की और जिस ने अमीर की ना फ़रमानी की उस ने मेरी ना फ़रमानी की, इस आयत से साबित हुवा कि मुस्लिम उमरा व हुक्काम की इत़ाअ़त वाजिब है जब तक

www.dawateislami.net

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۵۹﴾ ع اَلَمْ ٨/٥

अल्लाह व क़ियामत पर ईमान रखते हो[169] येह बेहतर है और इस का अन्जाम सब से अच्छा क्या तुम ने

تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ

उन्हें न देखा जिन का दा'वा है कि वोह ईमान लाए उस पर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और उस पर जो तुम

مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ

से पहले उतरा फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पन्च बनाएं और उन को तो हुक्म येह था कि

يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿۶۰﴾ وَاِذَا

उसे अस्लन न मानें और इब्लीस येह चाहता है कि उन्हें दूर बहका दे[170] और जब

قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ

उन से कहा जाए कि अल्लाह की उतारी किताब और रसूल की तरफ़ आओ तो तुम देखोगे कि मुनाफ़िक़

يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿۶۱﴾ ج فَكَيْفَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا

तुम से मुंह मोड़ कर फिर जाते हैं कैसी होगी जब उन पर कोई उफ़्ताद (मुसीबत) पड़े[171] बदला उस का

قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖۗ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّاۤ اِحْسَانًا

जो उन के हाथों ने आगे भेजा[172] फिर ऐ महबूब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों अल्लाह की क़सम खाते कि हमारा मक़्सूद तो भलाई

वोह हक़ के मुवाफ़िक़ रहें और अगर हक़ के ख़िलाफ़ हुक्म करें तो उन की इताअत नहीं। **169 :** इस आयत से मा'लूम हुवा कि अह़काम तीन क़िस्म के हैं **: एक** वोह जो ज़ाहिर किताब या'नी कुरआन से साबित हों, **एक** वोह जो ज़ाहिर ह़दीस से, **एक** वोह जो कुरआन व ह़दीस की तरफ़ ब तरीक़े क़ियास रुजूअ़ करने से। "اُولِی الْاَمْر" में इमाम, अमीर, बादशाह, हाकिम, क़ाज़ी सब दाख़िल हैं। ख़िलाफ़ते कामिला तो ज़मानए रिसालत के बा'द तीस साल रही मगर ख़िलाफ़ते नाक़िसा ख़ुलफ़ाए अ़ब्बासिया में भी थी और अब तो इमामत भी नहीं पाई जाती क्यूं कि इमाम के लिये कुरैश में से होना शर्त है और येह बात अक्सर मक़ामात में मा'दूम है, लेकिन सल्तनत व इमारत बाक़ी है और चूंकि सुल्तान व अमीर भी اُولِی الْاَمْر में दाख़िल हैं इस लिये हम पर इन की इताअ़त भी लाज़िम है। **170 शाने नुज़ूल :** बिशर नामी एक मुनाफ़िक़ का एक यहूदी से झगड़ा था यहूदी ने कहा **:** चलो सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم से तै करा लें, मुनाफ़िक़ ने ख़याल किया कि हुज़ूर तो बे रिआयत महज़ हक़ फ़ैसला देंगे उस का मतलब हासिल न होगा इस लिये उस ने बा वुजूद मुद्दइये ईमान होने के येह कहा कि का'ब बिन अशरफ़ यहूदी को पन्च बनाओ (कुरआने करीम में ताग़ूत से इस का'ब बिन अशरफ़ के पास फ़ैसला ले जाना मुराद है) यहूदी जानता था कि का'ब रिश्वत ख़ोर है इस लिये उस ने बा वुजूद हम मज़हब होने के उस को पन्च (फ़ैसला करने वाला) तस्लीम न किया, नाचार (मजबूरन) मुनाफ़िक़ को फ़ैसले के लिये सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم के हुज़ूर आना पड़ा। हुज़ूर ने जो फ़ैसला दिया वोह यहूदी के मुवाफ़िक़ हुवा, यहां से फ़ैसला सुनने के बा'द फिर मुनाफ़िक़ यहूदी के दरपै हुवा और उसे मजबूर कर के ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه के पास लाया, यहूदी ने आप से अ़र्ज़ किया कि मेरा इस का मुआ़मला सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم तै फ़रमा चुके लेकिन येह हुज़ूर के फ़ैसले से राज़ी नहीं आप से फ़ैसला चाहता है, फ़रमाया कि हां मैं अभी आ कर इस का फ़ैसला करता हूं, येह फ़रमा कर मकान में तशरीफ़ ले गए और तलवार ला कर उस को क़त्ल कर दिया और फ़रमाया **:** जो अल्लाह और उस के रसूल के फ़ैसले से राज़ी न हो उस का मेरे पास येह फ़ैसला है। **171 :** जिस से भागने बचने की कोई राह न हो, जैसी कि बिशर मुनाफ़िक़ पर पड़ी कि उस को ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ने क़त्ल कर दिया। **172 :** कुफ़्र व निफ़ाक़ और मआ़सी, जैसा कि बिशर मुनाफ़िक़ ने रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم के फ़ैसले से ए'राज़ कर के किया।

www.dawateislami.net

وَّتَوْفِيْقًا ﴿۶۲﴾ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۫ فَاَعْرِضْ

और मेल ही था[173] उन के दिलों की तो बात अल्लाह जानता है तो तुम उन से चश्म पोशी

عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيْغًا ﴿۶۳﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا

करो और उन्हें समझाओ और उन के मुआ़मले में उन से रसा (असर करने वाली) बात कहो[174] और हम ने कोई

مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

रसूल न भेजा मगर इस लिये कि अल्लाह के हुक्म से उस की इ़ताअ़त की जाए[175] और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म करें[176]

جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ

तो ऐ महबूब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों और फिर अल्लाह से मुआ़फ़ी चाहें और रसूल उन की शफ़ाअ़त फ़रमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत

تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ

तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान पाएं[177] तो ऐ महबूब तुम्हारे रब की क़सम वोह मुसल्मान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا

हाकिम न बनाएं फिर जो कुछ तुम हुक्म फ़रमा दो अपने दिलों में उस से रुकावट न पाएं और जी से

تَسْلِيْمًا ﴿۶۵﴾ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ

मान लें[178] और अगर हम उन पर फ़र्ज़ करते कि अपने आप को क़त्ल कर दो या अपने घरबार छोड़ कर

173 : और वोह उ़ज़्र व नदामत कुछ काम न दे जैसा कि बिश्र मुनाफ़िक़ के मारे जाने के बा'द उस के औलिया उस के ख़ून का बदला त़लब करने आए और बे जा मा'ज़िरतें करने और बातें बनाने लगे। अल्लाह तआ़ला ने उस के ख़ून का कोई बदला नहीं दिलाया क्यूं कि वोह कुश्तनी ही (क़त्ल ही के लाइक़) था। **174 :** जो उन के दिल में असर कर जाए। **175 :** जब कि रसूल का भेजना ही इस लिये है कि वोह मुता़अ़ (लाइक़े इ़ताअ़त) बनाए जाएं और उन की इ़ताअ़त फ़र्ज़ हो तो जो उन के हुक्म से राज़ी न हो उस ने रिसालत को तस्लीम न किया वोह काफ़िर वाजिबुल क़त्ल है। **176 :** मा'सियत व ना फ़रमानी कर के **177 :** इस से मा'लूम हुवा कि बारगाहे इलाही में रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم का वसीला और आप की शफ़ाअ़त कार बरआरी (ह़ाजत रवाई) का ज़रीआ़ है। सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की वफ़ात शरीफ़ के बा'द एक आ'राबी रौज़ए अक़्दस पर ह़ाज़िर हुवा और रौज़ए शरीफ़ा की ख़ाके पाक अपने सर पर डाली और अ़र्ज़ करने लगा : **या रसूलल्लाह !** जो आप ने फ़रमाया हम ने सुना और जो आप पर नाज़िल हुवा उस में येह आयत भी है "وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا" मैं ने बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और मैं आप के हुज़ूर में अल्लाह से अपने गुनाह की बख़्शिश चाहने ह़ाज़िर हुवा तो मेरे रब से मेरे गुनाह की बख़्शिश कराइये, इस पर क़ब्र शरीफ़ से निदा आई कि तेरी बख़्शिश की गई। इस से चन्द मसाइल मा'लूम हुए। **मस्अला :** अल्लाह तआ़ला की बारगाह में अ़र्ज़े ह़ाजत के लिये उस के मक़्बूलों को वसीला बनाना ज़रीअ़ए काम्याबी है। **मस्अला :** क़ब्र पर ह़ाजत के लिये जाना भी "جَآءُوْكَ" में दाख़िल और "ख़ैरुल कुरून" का मा'मूल है। **मस्अला :** बा'दे वफ़ात मक़्बूलाने ह़क़ को "या" के साथ निदा करना जाइज़ है। **मस्अला :** मक़्बूलाने ह़क़ मदद फ़रमाते हैं और इन की दुआ़ से ह़ाजत रवाई होती है। **178 :** मा'ना येह हैं कि जब तक आप के फ़ैसले और हुक्म को सिद्क़े दिल से न मान लें मुसल्मान नहीं हो सकते। سُبْحٰنَ اللّٰه ! इस से रसूले अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की शान मा'लूम होती है। **शाने नुज़ूल :** पहाड़ से आने वाला पानी जिस से बाग़ों में आब रसानी करते हैं उस में एक अन्सारी का ह़ज़रते ज़ुबैर رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه से झगड़ा हुवा, मुआ़मला सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم के हुज़ूर पेश किया गया, हुज़ूर ने फ़रमाया : ऐ ज़ुबैर ! तुम अपने बाग़ को पानी दे कर अपने पड़ोसी की त़रफ़ पानी छोड़ दो, येह अन्सारी को गिरां गुज़रा और उस की ज़बान से येह कलिमा निकला कि ज़ुबैर आप के फूफीज़ाद भाई हैं, बा वुजूदे

www.dawateislami.net

دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ

निकल जाओ[179] तो उन में थोड़े ही ऐसा करते और अगर वोह करते जिस बात की उन्हें नसीहत दी जाती

بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۙ﴿۶۶﴾ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّاۤ اَجْرًا

है[180] तो उस में उन का भला था और ईमान पर ख़ूब जमना और ऐसा होता तो ज़रूर हम उन्हें अपने पास से बड़ा

عَظِيْمًا ۙ﴿۶۷﴾ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۶۸﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

सवाब देते और ज़रूर उन को सीधी राह की हिदायत करते और जो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म माने

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

तो उसे उन का साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फ़ज़्ल किया या'नी अम्बिया[181] और सिद्दीक़[182]

وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ؕ﴿۶۹﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ

और शहीद[183] और नेक लोग[184] और येह क्या ही अच्छे साथी हैं येह अल्लाह का

مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿۷۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ ع ۱۰

फ़ज़्ल है और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला ऐ ईमान वालो होशियारी से काम लो[185]

فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿۷۱﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ

फिर दुश्मन की तरफ़ थोड़े थोड़े हो कर निकलो या इकठ्ठे चलो और तुम में कोई वोह है कि ज़रूर देर लगाएगा[186]

कि फ़ैसले में हज़रते ज़ुबैर को अन्सारी के साथ एहसान की हिदायत फ़रमाई गई थी लेकिन अन्सारी ने इस की क़द्र न की तो हुज़ूर ﷺ ने हज़रते ज़ुबैर को हुक्म दिया कि अपने बाग़ को सैराब कर के पानी रोक लो इन्साफ़न क़रीब वाला ही पानी का मुस्तहिक़ है, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। 179 : जैसा कि बनी इसराईल को मिस्र से निकल जाने और तौबा के लिये अपने आप को क़त्ल का हुक्म दिया था। **शाने नुज़ूल :** साबित बिन क़ैस बिन शम्मास से एक यहूदी ने कहा कि अल्लाह ने हम पर अपना क़त्ल और घरबार छोड़ना फ़र्ज़ किया था हम उस को बजा लाए, साबित ने फ़रमाया कि अगर अल्लाह हम पर फ़र्ज़ करता तो हम भी ज़रूर बजा लाते इस पर येह आयत नाज़िल हुई। 180 : या'नी रसूले करीम ﷺ की इताअ़त और आप की फ़रमां बरदारी की। 181 : तो अम्बिया के मुख़्लिस फ़रमां बरदार जन्नत में उन की सोहबत व दीदार से महरूम न होंगे। 182 : "सिद्दीक़" अम्बिया के सच्चे मुत्तबिईन को कहते हैं जो इख़्लास के साथ उन की राह पर क़ाइम रहें, मगर इस आयत में नबिय्ये करीम ﷺ के अफ़ाज़िल अस्हाब मुराद हैं जैसे कि हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़। 183 : जिन्हों ने राहे ख़ुदा में जानें दीं। 184 : वोह दीनदार जो हक़्क़ुल इबाद और हक़्क़ुल्लाह दोनों अदा करें और उन के अहवाल व आ'माल और ज़ाहिरो बातिन अच्छे और पाक हों। **शाने नुज़ूल :** हज़रते सौबान सय्यिदे आ़लम ﷺ के साथ कमाले महब्बत रखते थे जुदाई की ताब न थी, एक रोज़ इस क़दर ग़मगीन और रन्जीदा हाज़िर हुए कि चेहरे का रंग बदल गया था, हुज़ूर ने फ़रमाया : आज रंग क्यूं बदला हुवा है ? अ़र्ज़ किया : न मुझे कोई बीमारी है न दर्द, बजुज़ इस के कि जब हुज़ूर सामने नहीं होते तो इन्तिहा दरजे की वहशत व परेशानी हो जाती है, जब आख़िरत को याद करता हूं तो येह अन्देशा होता है कि वहां मैं किस तरह दीदार पा सकूंगा, आप आ'ला तरीन मक़ाम में होंगे मुझे अल्लाह तआ़ला ने अपने करम से जन्नत भी दी तो उस मक़ामे आ़ली तक रसाई कहां, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन्हें तस्कीन दी गई कि बा वुजूद फ़र्क़े मनाज़िल के फ़रमां बरदारों को बारयाबी और मइय्यत की ने'मत से सरफ़राज़ फ़रमाया जाएगा। 185 : दुश्मन के घात से बचो और उसे अपने ऊपर मौक़अ़ न दो, एक क़ौल येह भी है कि हथियार साथ रखो। **मस्अला :** इस से मा'लूम हुवा कि दुश्मन के मुक़ाबले में अपनी हिफ़ाज़त की तदबीरें जाइज़ हैं। 186 : या'नी मुनाफ़िक़ीन।

www.dawateislami.net

فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ

फिर अगर तुम पर कोई उफ़्ताद (मुसीबत) पड़े तो कहे ख़ुदा का मुझ पर एहसान था कि मैं उन के साथ

شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ

हाज़िर न था और अगर तुम्हें अल्लाह का फ़ज़्ल मिले[187] तो ज़रूर कहे[188] गोया

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

तुम में उस में कोई दोस्ती न थी ऐ काश मैं उन के साथ होता तो बड़ी मुराद पाता

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ

तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिये जो दुन्या की ज़िन्दगी बेच कर आख़िरत लेते हैं

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا

और जो अल्लाह की राह में लड़े फिर मारा जाए या ग़ालिब आए तो अन्क़रीब हम उसे बड़ा

عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ

सवाब देंगे और तुम्हें क्या हुवा कि न लड़ो अल्लाह की राह में[189] और कमज़ोर

الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ

मर्दों और औ़रतों और बच्चों के वासिते जो येह दुआ कर रहे हैं कि ऐ रब हमारे हमें इस बस्ती

هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ

से निकाल जिस के लोग ज़ालिम हैं और हमें अपने पास से कोई हिमायती दे दे और हमें

لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾ ؕ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ

अपने पास से कोई मददगार दे दे ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं[190]

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ

और कुफ़्फ़ार शैतान की राह में लड़ते हैं तो शैतान के दोस्तों

187 : तुम्हारी फ़त्ह हो और ग़नीमत हाथ आए 188 : वोही जिस के मक़ूले से येह साबित होता है कि 189 : या'नी जिहाद फ़र्ज़ है और इस के तर्क का तुम्हारे पास कोई उ़ज़्र नहीं 190 : इस आयत में मुसल्मानों को जिहाद की तरग़ीब दी गई ताकि वोह उन कमज़ोर मुसल्मानों को कुफ़्फ़ार के पन्जए ज़ुल्म से छुड़ाएं जिन्हें मक्कए मुकर्रमा में मुश्रिकीन ने क़ैद कर लिया था और त़रह़ त़रह़ की ईज़ाएं दे रहे थे और उन की औ़रतों और बच्चों तक पर बे रह़मा़ना मज़ालिम करते थे और वोह लोग उन के हाथों में मजबूर थे, इस ह़ालत में वोह अल्लाह तआ़ला से अपनी ख़लासी और मददे इलाही की दुआएं करते थे। येह दुआ़ क़बूल हुई और अल्लाह तआ़ला ने अपने ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم को उन का

www.dawateislami.net

الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ ع ٧

से[191] लड़ो बेशक शैतान का दाव कमज़ोर है[192] क्या तुम ने उन्हें न देखा जिन से कहा गया

كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

अपने हाथ रोक लो[193] और नमाज़ क़ाइम रखो और ज़कात दो फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़

الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ

किया गया[194] तो उन में बा'ज़े लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह से डरे या इस से भी ज़ाइद[195]

وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ

और बोले ऐ रब हमारे तूने हम पर जिहाद क्यूं फ़र्ज़ कर दिया[196] थोड़ी मुद्दत तक हमें और जीने

قَرِيْبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۣ وَلَا

दिया होता तुम फ़रमा दो कि दुन्या का बरत्ना थोड़ा है[197] और डर वालों के लिये आख़िरत अच्छी और तुम

تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ

पर तागे बराबर जुल्म न होगा[198] तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी[199] अगर्चे

فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ

मज़बूत क़ल्अों में हो और उन्हें कोई भलाई पहुंचे[200] तो कहें येह अल्लाह की तरफ़ से

اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۭ قُلْ كُلٌّ مِّنْ

है और उन्हें कोई बुराई पहुंचे[201] तो कहें येह हुज़ूर की तरफ़ से आई[202] तुम फ़रमा दो सब अल्लाह की

वली व नासिर किया और उन्हें मुश्रिकीन के हाथों से छुड़ाया और मक्कए मुकर्रमा फ़त्ह कर के उन की ज़बर दस्त मदद फ़रमाई। **191 :** ए'लाए दीन और रिज़ाए इलाही के लिये **192 :** या'नी काफ़िरों का, और वोह अल्लाह की मदद के मुक़ाबले में क्या चीज़ है। **193 :** क़िताल से। **शाने नुज़ूल :** मुश्रिकीन मक्कए मुकर्रमा में मुसल्मानों को बहुत ईज़ाएं देते थे, हिजरत से क़ब्ल अस्हाबे रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की एक जमाअ़त ने हुज़ूर की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया कि आप हमें काफ़िरों से लड़ने की इजाज़त दीजिये उन्हों ने हमें बहुत सताया है और बहुत ईज़ाएं देते हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया कि उन के साथ जंग करने से हाथ रोको, नमाज़ और ज़कात जो तुम पर फ़र्ज़ है वोह अदा करते रहो। **फ़ाएदा :** इस से साबित हुवा कि नमाज़ व ज़कात जिहाद से पहले फ़र्ज़ हुई। **194 :** मदीनए त़य्यिबा में और बद्र की हाज़िरी का हुक्म दिया गया। **195 :** येह ख़ौफ़ त़ब्ई था कि इन्सान की जिबिल्लत (फ़ित़रत) है कि मौत व हलाकत से घबराता और डरता है। **196 :** इस की हिक्मत क्या है ? येह सुवाल वज्हे हिक्मत दरयाफ़्त करने के लिये था न ब त़रीक़े ए'तिराज़, इसी लिये उन को इस सुवाल पर तौबीख़ व ज़ज्र न फ़रमाया गया बल्कि जवाब तस्कीन बख़्श अ़त़ा फ़रमा दिया गया। **197 :** ज़ाइल व फ़ानी है। **198 :** और तुम्हारे अज्र कम न किये जाएंगे तो जिहाद में अन्देशा व तअम्मुल न करो। **199 :** और इस से रिहाई पाने की कोई सूरत नहीं और जब मौत ना गुज़ीर है तो बिस्तर पर मर जाने से राहे ख़ुदा में जान देना बेहतर है कि येह सआ़दते आख़िरत का सबब है। **200 :** अरज़ानी व कस्रते पैदावार वग़ैरा की **201 :** गिरानी क़ह़त़-साली वग़ैरा **202 :** येह ह़ाल मुनाफ़िक़ीन का है कि जब उन्हें कोई सख़्ती पेश आती तो उस को सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की त़रफ़ निस्बत करते और कहते जब से येह आए हैं ऐसी ही सख़्तियां पेश आया करती हैं।

www.dawateislami.net

عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿۷۸﴾ مَاۤ

तरफ़ से है[203] तो उन लोगों को क्या हुवा कोई बात समझते मा'लूम ही नहीं होते ऐ सुनने वाले

اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ

तुझे जो भलाई पहुंचे वोह अल्लाह की तरफ़ से है[204] और जो बुराई पहुंचे वोह तेरी अपनी तरफ़ से है[205]

وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۷۹﴾ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ

और ऐ महबूब हम ने तुम्हें सब लोगों के लिये रसूल भेजा[206] और अल्लाह काफ़ी है गवाह[207] जिस ने रसूल का हुक्म माना

فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿۸۰﴾ ؕ وَ

बेशक उस ने अल्लाह का हुक्म माना[208] और जिस ने मुंह फेरा[209] तो हम ने तुम्हें उन के बचाने को न भेजा और

يَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ

कहते हैं हम ने हुक्म माना[210] फिर जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो उन में एक गुरौह जो कह गया था

الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

उस के ख़िलाफ़ रात को मन्सूबे गांठता है और अल्लाह लिख रखता है उन के रात के मन्सूबे[211] तो ऐ महबूब तुम उन से चश्म पोशी करो और अल्लाह

عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۸۱﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ

पर भरोसा रखो और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने को तो क्या ग़ौर नहीं करते क़ुरआन में[212] और अगर वोह

203 : गिरानी हो या अरज़ानी, क़हत हो या फ़राख़ हाली, रन्ज हो या राहत, आराम हो या तक्लीफ़, फ़त्ह हो या शिकस्त, हक़ीक़त में सब अल्लाह की तरफ़ से है। **204 :** उस का फ़ज़्लो रहमत है **205 :** कि तूने ऐसे गुनाहों का इरतिकाब किया कि तू इस का मुस्तहिक़ हुवा। **मस्अला :** यहां बुराई की निस्बत बन्दे की तरफ़ मजाज़ है और ऊपर जो मज़्कूर हुवा वोह हक़ीक़त थी। बा'ज़ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि बदी की निस्बत बन्दे की तरफ़ बर सबीले अदब है। ख़ुलासा येह कि बन्दा जब फ़ाइले हक़ीक़ी की तरफ़ नज़र करे तो हर चीज़ को उसी की तरफ़ से जाने और जब अस्बाब पर नज़र करे तो बुराइयों को अपनी शामते नफ़्स के सबब से समझे। **206 :** अरब हों या अजम आप तमाम ख़ल्क़ के लिये रसूल बनाए गए और कुल जहान आप का उम्मती किया गया, येह सय्यिदे आलम ﷺ की जलालते मन्सब और रिफ़अते मन्ज़िलत का बयान है **207 :** आप की रिसालते आम्मा पर, तो सब पर आप की इताअ़त और आप का इत्तिबाअ़ फ़र्ज़ है। **208 शाने नुज़ूल :** रसूले करीम ﷺ ने फ़रमाया : जिस ने मेरी इताअ़त की उस ने अल्लाह की इताअ़त की और जिस ने मुझ से महब्बत की उस ने अल्लाह से महब्बत की। इस पर आज कल के गुस्ताख़ बद दीनों की तरह उस ज़माने के बा'ज़ मुनाफ़िक़ों ने कहा कि मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ येह चाहते हैं कि हम इन्हें रब मान लें जैसा नसारा ने ईसा बिन मरयम को रब माना, इस पर अल्लाह तआला ने उन के रद में येह आयत नाज़िल फ़रमा कर अपने नबी ﷺ के कलाम की तस्दीक़ फ़रमा दी कि बेशक रसूल की इताअ़त अल्लाह की इताअ़त है। **209 :** और आप की इताअ़त से ए'राज़ किया। **210 शाने नुज़ूल :** येह आयत मुनाफ़िक़ीन के हक़ में नाज़िल हुई जो सय्यिदे आलम ﷺ के हुज़ूर में ईमान व इताअ़त शिआ़री का इज़्हार करते थे और कहते थे : हम हुज़ूर पर ईमान लाए हैं, हम ने हुज़ूर की तस्दीक़ की है, हुज़ूर जो हमें हुक्म फ़रमाएं उस की इताअ़त हम पर लाज़िम है। **211 :** उन के आ'माल नामों में और इस का उन्हें बदला देगा। **212 :** और इस के उ़लूम व हिकम को नहीं देखते कि इस ने अपनी फ़साहत से तमाम ख़ल्क़ को आजिज़ कर दिया है और ग़ैबी ख़बरों से मुनाफ़िक़ीन के अहवाल और उन के मक्रो कैद का इफ़्शाए राज़ कर दिया है और अव्वलीनो आख़िरीन की ख़बरें दी हैं।

www.dawateislami.net

مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾ وَاِذَا جَآءَهُمْ

ग़ैरे ख़ुदा के पास से होता तो ज़रूर उस में बहुत इख़्तिलाफ़ पाते[213] और जब उन के पास

اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ

कोई बात इत्मीनान[214] या डर[215] की आती है उस का चरचा कर बैठते हैं[216] और अगर उस में रसूल

وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا

और अपने ज़ी इख़्तियार लोगों[217] की तरफ़ रुजूअ़ लाते[218] तो ज़रूर उन से उस की हक़ीक़त जान लेते येह जो बात में काविश करते हैं[219] और अगर

فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ

तुम पर अल्लाह का फ़ज़्ल[220] और उस की रह़मत[221] न होती तो ज़रूर तुम शैत़ान के पीछे लग जाते[222] मगर थोड़े[223] तो ऐ महबूब

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى

अल्लाह की राह में लड़ो[224] तुम तक्लीफ़ न दिये जाओगे मगर अपने दम की[225] और मुसल्मानों को आमादा करो[226] क़रीब है

اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ

कि अल्लाह काफ़िरों की सख़्ती रोक दे[227] और अल्लाह की आंच (गिरिफ़्त) सब से सख़्त तर है और उस का अ़ज़ाब सब

213 : और ज़मानए आयिन्दा के मुतअ़ल्लिक़ ग़ैबी ख़बरें मुत़ाबिक़ न होतीं और जब ऐसा न हुवा और क़ुरआने पाक की ग़ैबी ख़बरों से आयिन्दा पेश आने वाले वाक़िआ़त मुत़ाबक़त करते चले गए तो साबित हुवा कि यक़ीनन वोह किताब अल्लाह की त़रफ़ से है। नीज़ उस के मज़ामीन में भी बाहम इख़्तिलाफ़ नहीं इसी त़रह़ फ़साह़तो बलाग़त में भी क्यूं कि मख़्लूक़ का कलाम फ़सीह़ भी हो तो सब यक्सां नहीं होता कुछ बलीग़ होता है तो कुछ रकीक होता है जैसा कि शुअ़रा और ज़बान दानों के कलाम में देखा जाता है कि कोई बहुत मलीह़ (दिलचस्प) और कोई निहायत फीका। येह अल्लाह तआ़ला ही के कलाम की शान है कि इस का तमाम कलाम फ़साह़तो बलाग़त की आ'ला मर्तबत पर है। **214 :** या'नी फ़त्ह़े इस्लाम **215 :** या'नी मुसल्मानों की ह़ज़ीमत की ख़बर **216 :** जो मफ़्सदे (फ़ितने फ़साद) का मूजिब होता है कि मुसल्मानों की फ़त्ह़ की शोहरत से तो कुफ़्फ़ार में जोश पैदा होता है और शिकस्त की ख़बर से मुसल्मानों की ह़ौसला शिकनी होती है। **217 :** अकाबिर सह़ाबा जो साह़िबे राय और साह़िबे बसीरत हैं **218 :** और ख़ुद कुछ दख़्ल न देते **219 मस्अला :** मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया : इस आयत में दलील है जवाज़े क़ियास पर और येह भी मा'लूम होता है कि एक इल्म तो वोह है जो ब नस्से क़ुरआनो ह़दीस ह़ासिल हो, और एक इल्म वोह है जो क़ुरआनो ह़दीस से इस्तिम्बात़ व क़ियास के ज़रीए ह़ासिल होता है। **मस्अला :** येह भी मा'लूम हुवा कि उमूरे दीनिया में हर शख़्स को दख़्ल देना जाइज़ नहीं, जो अह़ल हो उस को तफ़्वीज़ (सिपुर्द) करना चाहिये। **220 :** रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की बि'सत **221 :** नुज़ूले क़ुरआन **222 :** और कुफ़्रो ज़लाल में गिरिफ़्तार रहते **223 :** वोह लोग जो सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की बि'सत और क़ुरआने पाक के नुज़ूल से पहले आप पर ईमान लाए जैसे ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल और वरक़ा बिन नौफ़ल और क़ैस बिन साइदा **224 :** ख़्वाह कोई तुम्हारा साथ दे या न दे और तुम अकेले रह जाओ **225 शाने नुज़ूल :** बद्रे सुग़रा की जंग जो अबू सुफ़्यान से ठहर चुकी थी जब उस का वक़्त आ पहुंचा तो रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने वहां जाने के लिये लोगों को दा'वत दी, बा'ज़ों पर येह गिरां हुवा तो अल्लाह तआ़ला ने येह आयत नाज़िल फ़रमाई और अपने ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم को हुक्म दिया कि वोह जिहाद न छोड़ें अगर्चे तन्हा हों अल्लाह आप का नासिर है अल्लाह का वा'दा सच्चा है येह हुक्म पा कर रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم बद्रे सुग़रा की जंग के लिये रवाना हुए सिर्फ़ सत्तर सुवार हमराह थे। **226 :** उन्हें जिहाद की तरग़ीब दो और बस। **227 :** चुनान्चे, ऐसा ही हुवा कि मुसल्मानों का येह छोटा सा लश्कर काम्याब आया और कुफ़्फ़ार ऐसे मरऊ़ब हुए कि वोह मुसल्मानों के मुक़ाबिल मैदान में न आ सके। **फ़ाएदा :** इस आयत से साबित हुवा कि सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم शुजाअ़त में सब से आ'ला हैं कि आप को तन्हा कुफ़्फ़ार के मुक़ाबिल तशरीफ़ ले जाने का हुक्म हुवा और आप आमादा हो गए।

www.dawateislami.net

تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَ

से कर्रा (ज़बर दस्त सख़्त) जो अच्छी सिफ़ारिश करे[228] उस के लिये उस में से हिस्सा है[229] और

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

जो बुरी सिफ़ारिश करे उस के लिये उस में से हिस्सा है[230] और अल्लाह हर चीज़ पर

شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ

क़ादिर है और जब तुम्हें कोई किसी लफ़्ज़ से सलाम करे तो तुम उस से बेहतर लफ़्ज़ जवाब में कहो या

النصف

رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ

वोही कह दो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है[231] अल्लाह है कि उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं

لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ

और वोह ज़रूर तुम्हें इकट्ठा करेगा क़ियामत के दिन जिस में कुछ शक नहीं और अल्लाह से ज़ियादा किस की बात

ع ١٢ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا

सच्ची[232] तो तुम्हें क्या हुवा कि मुनाफ़िक़ों के बारे में दो फ़रीक़ हो गए[233] और अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया[234] उन के

كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

कौतकों (बुरे आ'माल) के सबब[235] क्या येह चाहते हो कि उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने गुमराह किया और जिसे अल्लाह गुमराह करे

228 : किसी से किसी की, कि उस को नफ़्अ़ पहुंचाए या किसी मुसीबत व बला से ख़लास कराए और हो वोह मुवाफ़िक़े शरअ़ तो **229 :** अज्र व जज़ा **230 :** अ़ज़ाब व सज़ा **231 मसाइले सलाम :** सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फ़र्ज़ और जवाब में अफ़्ज़ल येह है कि सलाम करने वाले के सलाम पर कुछ बढ़ाए मसलन पहला शख़्स اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ कहे तो दूसरा शख़्स وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰه कहे और अगर पहले ने وَرَحْمَةُ اللّٰهِ भी कहा था तो येह وَبَرَكَاتُهٗ और बढ़ाए, पस इस से ज़ियादा सलाम व जवाब में और कोई इज़ाफ़ा नहीं है। काफ़िर, गुमराह, फ़ासिक़ और इस्तिन्जा करते मुसल्मानों को सलाम न करें। जो शख़्स ख़ुत्बा या तिलावते क़ुरआन या ह़दीस या मुज़ाकरए इ़ल्म या अज़ान या तक्बीर में मश्ग़ूल हो, इस ह़ाल में उन को सलाम न किया जाए और अगर कोई सलाम करे तो उन पर जवाब देना लाज़िम नहीं और जो शख़्स शत़रन्ज, चोसर, ताश, गन्जिफ़ा वग़ैरा कोई ना जाइज़ खेल खेल रहा हो या गाने बजाने में मश्ग़ूल हो या पाख़ाने या ग़ुस्ल ख़ाने में हो या बे उ़ज़्र बरहना हो उस को सलाम न किया जाए। **मस्अला :** आदमी जब अपने घर में दाख़िल हो तो बीबी को सलाम करे। हिन्दूस्तान में येह बड़ी ग़लत़ रस्म है कि ज़न व शो के इतने गहरे तअ़ल्लुक़ात होते हुए भी एक दूसरे को सलाम से महरूम करते हैं बा वुजूदे कि सलाम जिस को किया जाता है उस के लिये सलामती की दुआ़ है। **मस्अला :** बेहतर सुवारी वाला कमतर सुवारी वाले को और कमतर सुवारी वाला पैदल चलने वाले को और पैदल बैठे हुए को और छोटे बड़े को और थोड़े ज़ियादा को सलाम करें। **232 :** या'नी उस से ज़ियादा सच्चा कोई नहीं, इस लिये कि उस का किज़्ब ना मुम्किन व मुह़ाल है क्यूं कि किज़्ब ऐ़ब है और हर ऐ़ब अल्लाह पर मुह़ाल है वोह जुम्ला उ़यूब से पाक है। **233 शाने नुज़ूल :** मुनाफ़िक़ीन की एक जमाअ़त सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم के साथ जिहाद में जाने से रुक गई थी उन के बाब में अस्ह़ाबे किराम के दो फ़िर्क़े हो गए, एक फ़िर्क़ा क़त्ल पर मुसिर था और एक उन के क़त्ल से इन्कार करता था, इस मुआ़मले में येह आयत नाज़िल हुई। **234 :** कि वोह हुज़ूर के साथ जिहाद में जाने से महरूम रहे। **235 :** उन के कुफ़्रो इरतिदाद और मुश्रिकीन के साथ मिलने के बाइ़स तो चाहिये कि मुसल्मान भी उन के कुफ़्र में इख़्तिलाफ़ न करें।

www.dawateislami.net

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ

तो हरगिज़ तू उस के लिये कोई राह न पाएगा वोह तो येह चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफ़िर हो जाओ जैसे वोह काफ़िर हुए तो तुम सब

سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ

एक से हो जाओ तो उन में किसी को अपना दोस्त न बनाओ[236] जब तक अल्लाह की राह में घरबार न छोड़ें[237]

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا

फिर अगर वोह मुंह फेरें[238] तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ क़त्ल करो और उन में किसी को

مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

न दोस्त ठहराओ न मददगार[239] मगर वोह जो ऐसी क़ौम से अ़लाक़ा (तअ़ल्लुक़) रखते हैं कि तुम में

وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ

उन में मुआ़हदा है[240] या तुम्हारे पास यूं आए कि उन के दिलों में सकत (ताक़त) न रही कि तुम से लड़ें[241] या

يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ

अपनी क़ौम से लड़ें[242] और अल्लाह चाहता तो ज़रूर उन्हें तुम पर क़ाबू देता तो वोह बेशक तुम से लड़ते[243] फिर अगर

اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ

वोह तुम से किनारा करें और न लड़ें और सुल्ह़ का पयाम डालें तो अल्लाह ने तुम्हें उन पर कोई

عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ

राह न रखी[244] अब कुछ और तुम ऐसे पाओगे जो येह चाहते हैं कि तुम से भी अमान में रहें

وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ

और अपनी क़ौम से भी अमान में रहें[245] जब कभी उन की क़ौम उन्हें फ़साद[246] की त़रफ़ फेरे तो उस पर औंधे गिरते हैं फिर अगर

236 : इस आयत में कुफ़्फ़ार के साथ मुवालात मम्नूअ़ की गई ख़्वाह वोह ईमान का इज़्हार ही करते हों 237 : और इस से उन के ईमान की तह़क़ीक़ न हो ले। 238 : ईमान व हिजरत से और अपनी ह़ालत पर क़ाइम रहें। 239 : और अगर तुम्हारी दोस्ती का दा'वा करें और मदद के लिये तय्यार हों तो उन की मदद न क़बूल करो। 240 : येह इस्तिस्ना क़त्ल की त़रफ़ राजेअ़ है क्यूं कि कुफ़्फ़ार व मुनाफ़िक़ीन के साथ मुवालात किसी ह़ाल में जाइज़ नहीं और अ़ह्द से येह अ़ह्द मुराद है कि उस क़ौम को और जो उस क़ौम से जा मिले उस को अम्न है जैसा कि सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने मक्कए मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाते वक़्त हिलाल बिन उ़वैमिर अस्लमी से मुआ़मला किया था। 241 : अपनी क़ौम के साथ हो कर 242 : तुम्हारे साथ हो कर 243 : लेकिन अल्लाह तआ़ला ने उन के दिलों में रो'ब डाल दिया और मुसल्मानों को उन के शर से महफ़ूज़ रखा। 244 : कि तुम उन से जंग करो। बा'ज़ मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि येह ह़ुक्म आयत ''اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ'' (उन्हें पकड़ो और जहां पाओ क़त्ल करो) से मन्सूख़ हो गया। 245 **शाने नुज़ूल :** मदीनए त़य्यिबा में क़बीलए असद व ग़त़फ़ान के लोग रियाअन कलिमए इस्लाम पढ़ते और अपने आप को मुसल्मान ज़ाहिर करते और जब उन में से कोई अपनी क़ौम से मिलता और वोह लोग उन से कहते कि तुम किस चीज़ पर ईमान लाए तो वोह लोग कहते कि बन्दरों बिच्छूओं वग़ैरा पर, इस अन्दाज़ से उन का मत़लब येह था कि

www.dawateislami.net

يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَ

वोह तुम से किनारा न करें और[247] सुल्ह़ की गरदन न डालें और अपने हाथ न रोकें तो उन्हें पकड़ो और

اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا

जहां पाओ क़त्ल करो और येह हैं जिन पर हम ने तुम्हें सरीह़ (खुला)

مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ ع ١٢

इख़्तियार दिया[248] और मुसल्मानों को नहीं पहुंचता कि मुसल्मान का ख़ून करे मगर हाथ बहक कर[249] और जो किसी मुसल्मान को

مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ

ना दानिस्ता क़त्ल करे तो उस पर एक मम्लूक मुसल्मान (मुस्लिम ग़ुलाम) का आज़ाद करना है और ख़ूंबहा कि मक़्तूल के लोगों को सिपुर्द की जाए[250] मगर

اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ

येह कि वोह मुआ़फ़ कर दें फिर अगर वोह[251] उस क़ौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है[252] और ख़ुद मुसल्मान है तो सिर्फ़ एक

رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ

मम्लूक मुसल्मान का आज़ाद करना[253] और अगर वोह उस क़ौम में हो कि तुम में उन में मुआ़हदा है तो उस के लोगों को

مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

ख़ूं-बहा सिपुर्द की जाए और एक मुसल्मान मम्लूक आज़ाद करना[254] तो जिस का हाथ न पहुंचे[255] वोह लगातार

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۙ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

दो महीने के रोज़े रखे[256] येह **अल्लाह** के यहां उस की तौबा है और **अल्लाह** जानने वाला हिक्मत वाला है

दोनों त़रफ़ से रस्मो राह रखें और किसी जानिब से उन्हें नुक़्सान न पहुंचे, येह लोग मुनाफ़िक़ीन थे इन के ह़क़ में येह आयत नाज़िल हुई। **246 :** शिर्क या मुसल्मानों से जंग **247 :** जंग से बाज़ आ कर **248 :** उन के कुफ़्र, ग़द्र और मुसल्मानों की ज़रर रसानी के सबब **249 :** या'नी मोमिन काफ़िर की मिस्ल मुबाहुद्दम नहीं है जिस का हुक्म ऊपर की आयत में मज़्कूर हो चुका तो मुसल्मान का क़त्ल करना बिग़ैर ह़क़ के रवा नहीं और मुसल्मान की शान नहीं कि उस से किसी मुसल्मान का क़त्ल सरज़द हो बजुज़ इस के कि ख़त़ाअन हो इस त़रह़ कि मारता था शिकार को या काफ़िरे ह़र्बी को और हाथ बहक कर ज़द पड़ी मुसल्मान पर या येह कि किसी शख़्स को काफ़िरे ह़र्बी जान कर मारा और था वोह मुसल्मान। **250 :** या'नी उस के वारिसों को दी जाए वोह उसे मिस्ल मीरास के तक़्सीम कर लें। दियत मक़्तूल के तर्के के हुक्म में है इस से मक़्तूल का दैन भी अदा किया जाएगा, वसिय्यत भी जारी की जाएगी। **251 :** जो ख़त़ाअन क़त्ल किया गया **252 :** या'नी काफ़िर **253 :** लाज़िम है और दियत नहीं **254 :** या'नी अगर मक़्तूल ज़िम्मी हो तो इस का वोही हुक्म है जो मुसल्मान का। **255 :** या'नी वोह किसी ग़ुलाम का मालिक न हो **256 :** लगातार रोज़ा रखना येह है कि इन रोज़ों के दरमियान रमज़ान और अय्यामे तश्रीक़ न हों और दरमियान में रोज़ों का सिल्सिला ब उ़ज़्र या बिला उ़ज़्र किसी त़रह़ तोड़ा न जाए। **शाने नुज़ूल :** येह आयत अय्याश बिन रबीआ़ मख़्ज़ूमी के ह़क़ में नाज़िल हुई, वोह क़ब्ले हिजरत मक्कए मुकर्रमा में इस्लाम लाए और घर वालों के ख़ौफ़ से मदीनए त़य्यिबा जा कर पनाह गुज़ीं हुए, उन की मां को इस से बहुत बे क़रारी हुई और उस ने ह़ारिस और अबू जह्ल अपने दोनों बेटों से जो अय्याश के सोतेले भाई थे येह कहा कि ख़ुदा की क़सम न मैं साए में बैठूं न खाना चखूं न पानी पियूं जब तक तुम अय्याश को मेरे पास न ले आओ। वोह दोनों ह़ारिस बिन ज़ैद बिन अबी उनैसा को साथ ले कर तलाश के लिये निकले और मदीनए त़य्यिबा पहुंच कर अय्याश को पा लिया और उन को मां की जज़अ़ फ़ज़अ़ बे क़रारी और

www.dawateislami.net

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ

और जो कोई मुसल्मान को जान बूझ कर क़त्ल करे तो उस का बदला जहन्नम है कि मुद्दतों उस में रहे[257] और अल्लाह ने

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿۹۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا

उस पर ग़ज़ब किया और उस पर ला'नत की और उस के लिये तय्यार रखा बड़ा अ़ज़ाब ऐ ईमान वालो जब

ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ

तुम जिहाद को चलो तो तह़क़ीक़ कर लो और जो तुम्हें सलाम करे उस से येह न

السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ

कहो कि तू मुसल्मान नहीं[258] तुम जीती दुन्या का अस्बाब चाहते हो तो अल्लाह के पास

مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ

बहुतेरी ग़नीमतें हैं पहले तुम भी ऐसे ही थे[259] फिर अल्लाह ने तुम पर एह़सान किया[260] तो तुम पर तह़क़ीक़ करना लाज़िम है[261]

खाना पीना छोड़ने की ख़बर सुनाई और अल्लाह को दरमियान दे कर येह अ़ह्द किया कि हम दीन के बाब में तुझ से कुछ न कहेंगे, इस त़रह़ वोह अ़य्याश को मदीने से निकाल लाए और मदीने से बाहर आ कर उस को बांधा और हर एक ने सो सो कोड़े मारे फिर मां के पास लाए तो मां ने कहा कि मैं तेरी मुश्कें न खोलूंगी जब तक तू अपना दीन तर्क न करे, फिर अ़य्याश को धूप में बंधा हुवा डाल दिया और इन मुसीबतों में मुब्तला हो कर अ़य्याश ने उन का कहा मान लिया और अपना दीन तर्क कर दिया तो ह़ारिस बिन ज़ैद ने अ़य्याश को मलामत की और कहा तू इसी दीन पर था अगर येह ह़क़ था तो तूने ह़क़ को छोड़ दिया और अगर बात़िल था तो तू बात़िल दीन पर रहा, येह बात अ़य्याश को बड़ी ना गवार गुज़री और अ़य्याश ने कहा कि मैं तुझ को अकेला पाऊंगा तो ख़ुदा की क़सम ज़रूर क़त्ल कर दूंगा। इस के बा'द अ़य्याश इस्लाम लाए और उन्हों ने मदीने हिजरत की और इन के बा'द ह़ारिस भी इस्लाम लाए और हिजरत कर के रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ख़िदमत में पहुंचे लेकिन उस रोज़ अ़य्याश मौजूद न थे न उन्हें ह़ारिस के इस्लाम की इत्त़िलाअ़ हुई। क़ुबा के क़रीब अ़य्याश ने ह़ारिस को देख लिया और क़त्ल कर दिया तो लोगों ने कहा कि ऐ अ़य्याश ! तुम ने बहुत बुरा किया ह़ारिस इस्लाम ला चुके थे, इस पर अ़य्याश को बहुत अफ़्सोस हुवा और उन्हों ने सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ख़िदमते अक़्दस में ह़ाज़िर हो कर वाक़िआ़ अ़र्ज़ किया और कहा कि मुझे ता वक़्ते क़त्ल उन के इस्लाम लाने की ख़बर ही न हुई, इस पर येह आयए करीमा नाज़िल हुई। **257 :** मुसल्मान को अ़मदन क़त्ल करना सख़्त गुनाह और अशद कबीरा है। ह़दीस शरीफ़ में है कि दुन्या का हलाक होना अल्लाह के नज़्दीक एक मुसल्मान के क़त्ल होने से हलका है। फिर येह क़त्ल अगर ईमान की अ़दावत से हो या क़ातिल उस क़त्ल को ह़लाल जानता हो तो येह कुफ़्र भी है। **फ़ाएदा :** خُلُود मुद्दते दराज़ के मा'ना में भी मुस्ता'मल है और क़ातिल अगर सिर्फ़ दुन्यवी अ़दावत से मुसल्मान को क़त्ल करे और उस के क़त्ल को मुबाह़ न जाने जब भी इस की जज़ा मुद्दते दराज़ के लिये जहन्नम है। **फ़ाएदा :** خُلُود का लफ़्ज़ मुद्दते त़वीला के मा'ना में होता है तो क़ुरआने करीम में इस के साथ लफ़्ज़े اَبَد मज़्कूर नहीं होता और कुफ़्फ़ार के ह़क़ में خُلُود ब मा'ना दवाम (हमेशगी) आया है तो इस के साथ اَبَد भी ज़िक्र फ़रमाया गया है। **शाने नुज़ूल :** येह आयत मक़ीस बिन सुबाबा के ह़क़ में नाज़िल हुई, इस के भाई क़बीलए बनी नज्जार में मक़्तूल पाए गए थे और क़ातिल मा'लूम न था, बनी नज्जार ने ब ह़ुक्मे रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم दियत अदा कर दी, इस के बा'द मक़ीस ने ब इग़्वाए शैत़ान एक मुसल्मान को बे ख़बरी में क़त्ल कर दिया और दियत के ऊंट ले कर मक्का को चलता हो गया और मुरतद हो गया येह इस्लाम में पहला शख़्स है जो मुरतद हुवा। **258 :** या जिस में इस्लाम की अ़लामत व निशानी पाओ उस से हाथ रोको और जब तक उस का कुफ़्र साबित न हो जाए उस पर हाथ न डालो। अबू दावूद व तिरमिज़ी की ह़दीस में है : सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم जब कोई लश्कर रवाना फ़रमाते हुक्म देते कि अगर तुम मस्जिद देखो या अज़ान सुनो तो क़त्ल न करना। **मस्अला :** अक्सर फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि अगर यहूदी या नसरानी येह कहे कि मैं मोमिन हूं तो उस को मोमिन न माना जाएगा क्यूं कि वोह अपने अ़क़ीदे ही को ईमान कहता है और अगर "لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" कहे जब भी उस के मुसल्मान होने का हुक्म न किया जाएगा जब तक कि वोह अपने दीन से बेज़ारी का इज़्हार और उस के बात़िल होने का ए'तिराफ़ न करे। इस से मा'लूम हुवा कि जो शख़्स किसी कुफ़्र में मुब्तला हो उस के लिये उस कुफ़्र से बेज़ारी और उस को कुफ़्र जानना ज़रूरी है। **259 :** या'नी जब तुम इस्लाम में दाख़िल हुए थे तो तुम्हारी ज़बान से कलिमए शहादत सुन कर तुम्हारे जानो माल महफ़ूज़ कर दिये गए थे और तुम्हारा इज़्हार बे ए'तिबार न क़रार दिया गया था, ऐसा ही इस्लाम में दाख़िल होने वालों के साथ तुम्हें भी सुलूक करना चाहिये। **शाने नुज़ूल :** येह आयत

www.dawateislami.net

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ

बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है बराबर नहीं वोह मुसल्मान कि

الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ

बे उ़ज़्र जिहाद से बैठ रहें और वोह कि राहे ख़ुदा में अपने मालों और जानों

وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ

से जिहाद करते हैं[262] अल्लाह ने अपने मालों और जानों के साथ जिहाद वालों का दरजा बैठने वालों

دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى

से बड़ा किया[263] और अल्लाह ने सब से भलाई का वा'दा फ़रमाया[264] और अल्लाह ने जिहाद वालों को[265] बैठने वालों पर

الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ لا دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ

बड़े सवाब से फ़ज़ीलत दी है उस की त़रफ़ से दरजे और बख़्शिश और रह़मत[266] और

اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾ ع اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ع ١٥

अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है वोह लोग जिन की जान फ़िरिश्ते निकालते हैं इस ह़ाल में कि वोह अपने ऊपर ज़ुल्म करते थे

قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ

उन से फ़िरिश्ते कहते हैं तुम काहे में थे कहते हैं हम ज़मीन में कमज़ोर थे[267] कहते हैं क्या

मिरदास बिन नहीक के ह़क़ में नाज़िल हुई जो अहले फ़िदक में से थे और इन के सिवा इन की क़ौम का कोई शख़्स इस्लाम न लाया था, उस क़ौम को ख़बर मिली कि लश्करे इस्लाम उन की त़रफ़ आ रहा है तो क़ौम के सब लोग भाग गए मगर मिरदास ठहरे रहे, जब उन्हों ने दूर से लश्कर को देखा तो ब ई ख़याल कि मबादा (ऐसा न हो कि) कोई ग़ैर मुस्लिम जमाअ़त हो येह पहाड़ की चोटी पर अपनी बकरियां ले कर चढ़ गए, जब लश्कर आया और इन्हों ने अल्लाहु अक्बर के ना'रों की आवाज़ें सुनीं तो ख़ुद भी तक्बीर पढ़ते हुए उतर आए और कहने लगे "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" मुसल्मानों ने ख़याल किया कि अहले फ़िदक तो सब काफ़िर हैं येह शख़्स मुग़ालत़ा देने के लिये इज़्हारे ईमान करता है, ब ई ख़याल उसामा बिन ज़ैद ने इन को क़त्ल कर दिया और बकरियां ले आए, जब सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم के हुज़ूर में ह़ाज़िर हुए तो तमाम माजरा अ़र्ज़ किया, हुज़ूर को निहायत रन्ज हुवा और फ़रमाया : तुम ने उस के सामान के सबब उस को क़त्ल कर दिया, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने उसामा को हुक्म दिया कि मक़्तूल की बकरियां उस के अह्ल को वापस करें। **260 :** कि तुम को इस्लाम पर इस्तिक़ामत बख़्शी और तुम्हारा मोमिन होना मश्हूर किया। **261 :** ताकि तुम्हारे हाथ से कोई ईमानदार क़त्ल न हो। **262 :** इस आयत में जिहाद की तरग़ीब है कि बैठ रहने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हैं, मुजाहिदीन के लिये बड़े दरजात व सवाब हैं और येह मस्अला भी साबित होता है कि जो लोग बीमारी या पीरी व ना ताक़ती या नाबीनाई या हाथ पाउं के नाकारा होने और उ़ज़्र की वज्ह से जिहाद में ह़ाज़िर न हों वोह फ़ज़ीलत से मह़रूम न किये जाएंगे अगर निय्यते सालेह़ रखते हों। ह़दीसे बुख़ारी में है : सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने ग़ज़्वए तबूक से वापसी के वक़्त फ़रमाया : कुछ लोग मदीने में रह गए हैं, हम किसी घाटी या आबादी में नहीं चलते मगर वोह हमारे साथ होते हैं, उन्हें उ़ज़्र ने रोक लिया है। **263 :** जो उ़ज़्र की वज्ह से जिहाद में ह़ाज़िर न हो सके अगर्चे वोह निय्यत का सवाब पाएंगे लेकिन जिहाद करने वालों को अ़मल की फ़ज़ीलत इस से ज़ियादा ह़ासिल है। **264 :** जिहाद करने वाले हों या उ़ज़्र से रह जाने वाले। **265 :** बिग़ैर उ़ज़्र के **266 :** ह़दीस शरीफ़ में है अल्लाह तआ़ला ने मुजाहिदीन के लिये जन्नत में सो दरजे मुहय्या फ़रमाए, हर दो दरजों में इतना फ़ासिला है जैसे आस्मान व ज़मीन में। **267 शाने नुज़ूल :** येह आयत उन लोगों के ह़क़ में नाज़िल हुई जिन्हों ने कलिमए

www.dawateislami.net

تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ

अल्लाह की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम उस में हिजरत करते तो ऐसों का ठिकाना जहन्नम है

وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۹۷﴾ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ

और बहुत बुरी जगह पलटने की[268] मगर वोह जो दबा लिये गए मर्द और औ़रतें

وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۹۸﴾ فَاُولٰٓئِكَ

और बच्चे जिन्हें न कोई तदबीर बन पड़े[269] न रास्ता जानें तो

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۹۹﴾ وَمَنْ

क़रीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआ़फ़ फ़रमाए[270] और अल्लाह मुआ़फ़ फ़रमाने वाला बख़्शने वाला है और जो

يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ

अल्लाह की राह में घरबार छोड़ कर निकलेगा वोह ज़मीन में बहुत जगह और गुन्जाइश पाएगा

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ

और जो अपने घर से निकला[271] अल्लाह व रसूल की त़रफ़ हिजरत करता फिर उसे मौत

الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۰۰﴾ وَ ع

ने आ लिया तो उस का सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर हो गया[272] और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है और

इस्लाम तो ज़बान से अदा किया मगर जिस ज़माने में हिजरत फ़र्ज़ थी उस वक़्त हिजरत न की और जब मुश्रिकीन जंगे बद्र में मुसल्मानों के मुक़ाबले के लिये गए तो येह लोग उन के साथ हुए और कुफ़्फ़ार के साथ ही मारे भी गए उन के हक़ में येह आयत नाज़िल हुई और बताया गया कि कुफ़्फ़ार के साथ होना और फ़र्ज़ हिजरत तर्क करना अपनी जान पर ज़ुल्म करना है। **268 मस्अला :** येह आयत दलालत करती है कि जो शख़्स किसी शहर में अपने दीन पर क़ाइम न रह सकता हो और येह जाने कि दूसरी जगह जाने से अपने फ़राइज़े दीनी अदा कर सकेगा उस पर हिजरत वाजिब हो जाती है। **ह़दीस में है :** जो शख़्स अपने दीन की हिफ़ाज़त के लिये एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल हो अगर्चे एक बालिश्त ही क्यूं न हो उस के लिये जन्नत वाजिब हुई और उस को ह़ज़रते इब्राहीम और सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की रफ़ाक़त मुयस्सर होगी। **269 :** ज़मीने कुफ़्र से निकलने और हिजरत करने की। **270 :** कि वोह करीम है और करीम जो उम्मीद दिलाता है पूरी करता है और यक़ीनन मुआ़फ़ फ़रमाएगा। **271 शाने नुज़ूल :** इस से पहली आयत जब नाज़िल हुई तो जुन्दअ़ बिन ज़म्रतुल्लैसी ने इस को सुना येह बहुत बूढ़े शख़्स थे, कहने लगे कि मैं मुस्तस्ना लोगों में तो हूं नहीं क्यूं कि मेरे पास इतना माल है कि जिस से मदीनए त़य्यिबा हिजरत कर के पहुंच सकता हूं, ख़ुदा की क़सम ! मक्कए मुकर्रमा में अब एक रात न ठहरूंगा मुझे ले चलो। चुनान्चे, उन को चारपाई पर ले कर चले, मक़ामे तन्ईम में आ कर उन का इन्तिक़ाल हो गया, आख़िर वक़्त उन्हों ने अपना दाहना हाथ बाएं हाथ पर रखा और कहा : या रब ! येह तेरा और येह तेरे रसूल का, मैं उस पर बैअ़त करता हूं जिस पर तेरे रसूल ने बैअ़त की, येह ख़बर पा कर सहाबए किराम ने फ़रमाया : काश ! वोह मदीने पहुंचते तो उन का अज्र कितना बड़ा होता और मुश्रिक हंसे और कहने लगे कि जिस मत़लब के लिये निकले थे वोह न मिला, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई। **272 :** उस के वा'दे और उस के फ़ज़्लो करम से, क्यूं कि ब त़रीक़े इस्तिह़क़ाक़ कोई चीज़ उस पर वाजिब नहीं, उस की शान इस से आ'ली है। **मस्अला :** जो कोई नेकी का इरादा करे और उस को पूरा करने से आ़जिज़ हो जाए वोह उस त़ाअ़त का सवाब पाएगा। **मस्अला :** त़लबे इल्म, जिहाद, ह़ज, ज़ियारत, त़ाअ़त, ज़ोहदो क़नाअ़त और रिज़्क़े ह़लाल की त़लब के लिये तर्के वत़न करना

www.dawateislami.net

اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ

जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बा'ज़ नमाज़ें क़स्र

الصَّلٰوةِ ۖۗ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِیْنَ كَانُوْا

से पढ़ो[273] अगर तुम्हें अन्देशा हो कि काफ़िर तुम्हें ईज़ा देंगे[274] बेशक कुफ़्फ़ार

لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۱۰۱﴾ وَ اِذَا كُنْتَ فِیْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ

तुम्हारे खुले दुश्मन हैं और ऐ महबूब जब तुम उन में तशरीफ़ फ़रमा हो[275] फिर नमाज़ में उन की इमामत करो[276] तो चाहिये कि

طَآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لْیَاْخُذُوْۤا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْیَكُوْنُوْا

उन में एक जमाअ़त तुम्हारे साथ हो[277] और वोह अपने हथियार लिये रहें[278] फिर जब वोह सज्दा कर लें[279] तो हट कर

مِنْ وَّرَآىِٕكُمْ ۪ وَ لْتَاْتِ طَآىِٕفَةٌ اُخْرٰى لَمْ یُصَلُّوْا فَلْیُصَلُّوْا مَعَكَ

तुम से पीछे हो जाएं[280] और अब दूसरी जमाअ़त आए जो उस वक़्त नमाज़ में शरीक न थी[281] अब वोह तुम्हारे मुक़्तदी हों

ख़ुदा व रसूल की तरफ़ हिजरत है, इस राह में मर जाने वाला अज्र पाएगा। **273 :** या'नी चार रक्अ़त वाली दो रक्अ़त। **274 मस्अला :** ख़ौफ़े कुफ़्फ़ार क़स्र के लिये शर्त नहीं। **ह़दीस :** या'ला बिन उमय्या ने ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से कहा कि हम तो अम्न में हैं, फिर हम क्यूं क़स्र करते हैं? फ़रमाया : इस का मुझे भी तअ़ज्जुब हुवा था तो मैं ने सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم से दरयाफ़्त किया : हुज़ूर ने फ़रमाया : कि तुम्हारे लिये येह **अल्लाह** की तरफ़ से सदक़ा है तुम उस का सदक़ा क़बूल करो, इस से येह मस्अला मा'लूम होता है कि सफ़र में चार रक्अ़त वाली नमाज़ को पूरा पढ़ना जाइज़ नहीं है, क्यूं कि जो चीज़ें क़ाबिले तम्लीक नहीं हैं उन का सदक़ा इस्क़ाते मह्ज़ है, रद का एह़तिमाल नहीं रखता, आयत के नुज़ूल के वक़्त सफ़र अन्देशे से ख़ाली न होते थे इस लिये आयत में इस का ज़िक्र बयाने ह़ाल है शर्ते क़स्र नहीं। ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर की क़िराअत भी इस की दलील है जिस में "اَنْ یَّفْتِنَكُمْ" बिग़ैर "اِنْ خِفْتُمْ" के है, सह़ाबा का भी येही अ़मल था कि अम्न के सफ़रों में भी क़स्र फ़रमाते, जैसा कि ऊपर की ह़दीस से साबित होता है और अह़ादीस से भी येह साबित है और पूरी चार पढ़ने में **अल्लाह** तआ़ला के सदक़े का रद करना लाज़िम आता है लिहाज़ा क़स्र ज़रूरी है। **मुद्दते सफ़र :- मस्अला :** जिस सफ़र में क़स्र किया जाता है उस की अदना मुद्दत तीन रात दिन की मसाफ़त है जो ऊंट या पैदल की मुतवस्सित रफ़्तार से तै की जाती हो और इस की मिक़्दारें ख़ुश्की और दरिया और पहाड़ों में मुख़्तलिफ़ हो जाती हैं, जो मसाफ़त मुतवस्सित रफ़्तार से चलने वाले तीन रोज़ में तै करते हों उस के सफ़र में क़स्र होगा। **मस्अला :** मुसाफ़िर की जल्दी और देर का ए'तिबार नहीं ख़्वाह वोह तीन रोज़ की मसाफ़त तीन घन्टे में तै करे जब भी क़स्र होगा और अगर एक रोज़ की मसाफ़त तीन रोज़ से ज़ियादा में तै करे तो क़स्र न होगा, ग़रज़ ए'तिबार मसाफ़त का है। **275 :** या'नी अपने अस्ह़ाब में **276 :** इस में बा जमाअ़त नमाज़े ख़ौफ़ का बयान है। **शाने नुज़ूल :** जिहाद में जब रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم को मुश्रिकीन ने देखा कि आप ने मअ़ तमाम अस्ह़ाब के नमाज़े ज़ोह़र ब जमाअ़त अदा फ़रमाई तो उन्हें अफ़्सोस हुवा कि उन्हों ने इस वक़्त में क्यूं न ह़म्ला किया और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि क्या ही अच्छा मौक़अ़ था, बा'ज़ों ने उन में से कहा : इस के बा'द एक और नमाज़ है जो मुसल्मानों को अपने मां बाप से ज़ियादा प्यारी है या'नी नमाज़े अ़स्र। जब मुसल्मान उस नमाज़ के लिये खड़े हों तो पूरी क़ुव्वत से ह़म्ला कर के उन्हें क़त्ल कर दो, उस वक़्त ह़ज़रते जिब्रील नाज़िल हुए और उन्हों ने सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم से अ़र्ज़ किया : **या रसूलल्लाह!** येह नमाज़े ख़ौफ़ है और **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है : الآیہ "وَاِذَا كُنْتَ فِیْهِمْ" **277 :** या'नी ह़ाज़िरीन को दो जमाअ़तों में तक़्सीम कर दिया जाए, एक उन में से आप के साथ रहे आप उन्हें नमाज़ पढ़ाएं और एक जमाअ़त दुश्मन के मुक़ाबले में क़ाइम रहे। **278 :** या'नी जो लोग दुश्मन के मुक़ाबिल हों, और ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا से मरवी है कि अगर जमाअ़त के नमाज़ी मुराद हों तो वोह लोग ऐसे हथियार लगाए रहें जिन से नमाज़ में कोई ख़लल न हो जैसे तलवार ख़न्जर वग़ैरा। बा'ज़ मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि हथियार साथ रखने का हुक्म दोनों फ़रीक़ों के लिये है और येह एह़तियात के क़रीब है। **279 :** या'नी दोनों सज्दे कर के रक्अ़त पूरी कर लें। **280 :** ताकि दुश्मन के मुक़ाबले में खड़े हो सकें। **281 :** और अब तक दुश्मन के मुक़ाबिल थी।

www.dawateislami.net

وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ؕ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ

और चाहिये कि अपनी पनाह और अपने हथियार लिये रहें[282] काफ़िरों की तमन्ना है कि कहीं तुम अपने

عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ

हथियारों और अपने अस्बाब से ग़ाफ़िल हो जाओ तो एक दफ़्आ तुम पर झुक पड़ें[283]

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى

और तुम पर मुज़ायक़ा नहीं अगर तुम्हें मींह (बारिश) के सबब तक्लीफ़ हो या बीमार हो

اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ

कि अपने हथियार खोल रखो और अपनी पनाह लिये रहो[284] बेशक अल्लाह ने काफ़िरों के लिये ख़्वारी (ज़िल्लत)

عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۱۰۲﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا

का अ़ज़ाब तय्यार कर रखा है फिर जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो अल्लाह की याद करो खड़े और बैठे

وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ

और करवटों पर लैटे[285] फिर जब मुत्मइन हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज़ क़ाइम करो बेशक नमाज़

282 : पनाह से ज़िरह वग़ैरा ऐसी चीज़ें मुराद हैं जिन से दुश्मन के हम्ले से बचा जा सके, इन का साथ रखना बहर हाल वाजिब है, जैसा कि क़रीब ही इर्शाद होगा "وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ" और हथियार साथ रखना मुस्तहब है। **नमाज़े ख़ौफ़ का मुख़्तसर त़रीक़ा** येह है कि पहली जमाअ़त इमाम के साथ एक रक्अ़त पूरी कर के दुश्मन के मुक़ाबिल जाए और दूसरी जमाअ़त जो दुश्मन के मुक़ाबिल खड़ी थी वोह आ कर इमाम के साथ दूसरी रक्अ़त पढ़े फिर फ़क़त़ इमाम सलाम फेरे और पहली जमाअ़त आ कर दूसरी रक्अ़त बिग़ैर क़िराअत के पढ़े और सलाम फेर दे और दुश्मन के मुक़ाबिल चली जाए फिर दूसरी जमाअ़त अपनी जगह आ कर एक रक्अ़त जो बाक़ी रही थी उस को क़िराअत के साथ पूरा कर के सलाम फेरे क्यूं कि येह लोग मस्बूक़ हैं और पहले लाहिक़। ह़ज़रते इब्ने मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم का इसी त़रह़ नमाज़े ख़ौफ़ अदा फ़रमाना मरवी है। हुज़ूर के बा'द भी नमाज़े ख़ौफ़ सह़ाबा पढ़ते रहे हैं। ह़ालते ख़ौफ़ में दुश्मन के मुक़ाबिल इस एहतिमाम के साथ नमाज़ अदा करने से मा'लूम होता है कि जमाअ़त किस क़दर ज़रूरी है। **मसाइल :** ह़ालते सफ़र में अगर सूरते ख़ौफ़ पेश आए तो इस का येह बयान हुवा लेकिन अगर मुक़ीम को ऐसी ह़ालत पेश आए तो वोह चार रक्अ़त वाली नमाज़ों में हर हर जमाअ़त को दो दो रक्अ़त पढ़ाए और तीन रक्अ़त वाली नमाज़ में पहली जमाअ़त को दो रक्अ़त और दूसरी को एक। **283 शाने नुज़ूल :** नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ग़ज़्वए ज़ातुर्रिक़ाअ़ से जब फ़ारिग़ हुए और दुश्मन के बहुत आदमियों को गिरिफ़्तार किया और अम्वाले ग़नीमत हाथ आए और कोई दुश्मन मुक़ाबिल बाक़ी न रहा तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم क़ज़ाए ह़ाजत के लिये जंगल में तन्हा तशरीफ़ ले गए तो दुश्मन की जमाअ़त में से गुवैरिस बिन ह़ुर्स मुह़ारिबी येह ख़बर पा कर तलवार लिये हुए छुपा छुपा पहाड़ से उतरा और अचानक ह़ज़रत के पास पहुंचा और तलवार खींच कर कहने लगा : या मुह़म्मद ! (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم) अब तुम्हें मुझ से कौन बचाएगा ? हुज़ूर ने फ़रमाया : अल्लाह तआ़ला, और दुआ़ फ़रमाई, जब ही उस ने हुज़ूर पर तलवार चलाने का इरादा किया औंधे मुंह गिर पड़ा और तलवार हाथ से छूट गई। हुज़ूर ने वोह तलवार ले कर फ़रमाया कि तुझ को मुझ से कौन बचाएगा ? कहने लगा : मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। फ़रमाया : "اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" पढ़ तो तेरी तलवार तुझे दे दूंगा, उस ने इस से इन्कार किया और कहा कि इस की शहादत देता हूं कि मैं कभी आप से न लड़ूंगा और ज़िन्दगी भर आप के किसी दुश्मन की मदद न करूंगा, आप ने उस की तलवार उस को दे दी, कहने लगा : या मुह़म्मद ! (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم) आप मुझ से बहुत बेहतर हैं। फ़रमाया : हां हमारे लिये येही सज़ावार है, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और हथियार और बचाव साथ रखने का हुक्म दिया गया (احمدی) **284 :** कि इस का साथ रखना हमेशा ज़रूरी है। **शाने नुज़ूल :** इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا ने फ़रमाया कि अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ ज़ख़्मी थे और उस वक़्त हथियार रखना उन के लिये बहुत तक्लीफ़ और बार था, उन के ह़क़ में येह आयत नाज़िल हुई और ह़ालते उ़ज़्र में हथियार खोल रखने की इजाज़त दी गई। **285 :** या'नी ज़िक्रे इलाही की हर ह़ाल में

www.dawateislami.net

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿۱۰۳﴾ وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ

मुसल्मानों पर वक़्त बांधा हुवा फ़र्ज़ है[286] और काफ़िरों की तलाश में सुस्ती न करो

اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ

अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो उन्हें भी दुख पहुंचता है जैसा तुम्हें पहुंचता है और तुम अल्लाह से

اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۰۴﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ ع ۱۵

वोह उम्मीद रखते हो जो वोह नहीं रखते और अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला है[287] ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़

الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَلَا تَكُنْ

सच्ची किताब उतारी कि तुम लोगों में फ़ैसला करो[288] जिस तरह तुम्हें अल्लाह दिखाए[289] और दग़ा वालों

لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿۱۰۵﴾ ۙ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا

की तरफ़ से न झगड़ो और अल्लाह से मुआफ़ी चाहो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला

رَّحِيْمًا ﴿۱۰۶﴾ ۚ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

मेहरबान है और उन की तरफ़ से न झगड़ो जो अपनी जानों को ख़ियानत में डालते हैं[290] बेशक अल्लाह

मुदावमत करो और किसी हाल में अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल न रहो। हज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا ने फ़रमाया : अल्लाह तआ़ला ने हर फ़र्ज़ की एक हद मुअ़य्यन फ़रमाई सिवाए ज़िक्र के, इस की कोई हद न रखी। फ़रमाया : ज़िक्र करो खड़े, बैठे, करवटों पर लैटे, रात में हो या दिन में, ख़ुश्की हो या तरी में, सफ़र में और हज़र में, ग़ना में और फ़क़्र में, तन्दुरुस्ती और बीमारी में, पोशीदा और ज़ाहिर। **मस्अला :** इस से नमाज़ों के बा'द बिग़ैर फ़स्ल के कलिमए तौहीद पढ़ने पर इस्तिद्लाल किया जा सकता है जैसा कि मशाइख़ की आ़दत है और अहादीसे सहीहा से साबित है। **मस्अला :** ज़िक्र में तस्बीह़, तह़मीद, तह़लील, तक्बीर, सना, दुआ़ सब दाख़िल हैं। **286 :** तो लाज़िम है कि इस के अवक़ात की रिआ़यत की जाए। **287 शाने नुज़ूल :** उहुद की जंग से जब अबू सुफ़्यान और उन के साथी वापस हुए तो रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ने जो सह़ाबा उहुद में ह़ाज़िर हुए थे उन्हें मुश्रिकीन के तआ़क़ुब में जाने का हुक्म दिया। अस्ह़ाब ज़ख़्मी थे उन्हों ने अपने ज़ख़्मों की शिकायत की, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई। **288 शाने नुज़ूल :** अन्सार के क़बीले बनी ज़फ़र के एक शख़्स तु'मह बिन उबैरिक़ ने अपने हमसाए क़तादा बिन नो'मान की ज़िरह चुरा कर आटे की बोरी में ज़ैद बिन समीन यहूदी के यहां छुपाई, जब ज़िरह की तलाश हुई और तु'मह पर शुबा किया गया तो वोह इन्कार कर गया और क़सम खा गया। बोरी फटी हुई थी और आटा उस में से गिरता जाता था, उस के निशान से लोग यहूदी के मकान तक पहुंचे और बोरी वहां पाई गई, यहूदी ने कहा कि तु'मह उस के पास रख गया है और यहूद की एक जमाअ़त ने इस की गवाही दी और तु'मह की क़ौम बनी ज़फ़र ने येह अ़ज़्म कर लिया कि यहूदी को चोर बताएंगे और इस पर क़सम खा लेंगे ताकि क़ौम रुस्वा न हो और उन की ख़्वाहिश थी कि रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم तु'मह को बरी कर दें और यहूदी को सज़ा दें, इसी लिये उन्हों ने हुज़ूर के सामने तु'मह के मुवाफ़िक़ और यहूदी के ख़िलाफ़ झूटी गवाही दी और इस गवाही पर कोई जर्ह व क़द्ह न हुई, इस वाक़िए के मुतअ़ल्लिक़ येह आयत नाज़िल हुई। (इस वाक़िए के मुतअ़ल्लिक़ मुतअ़द्दद रिवायात आई हैं और उन में बाहम इख़्तिलाफ़ात भी हैं) **289 :** और इ़ल्म अ़त़ा फ़रमाए। इ़ल्मे यक़ीनी को कुव्वते ज़ुहूर की वज्ह से रूयत से ता'बीर फ़रमाया। हज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मरवी है कि हरगिज़ कोई न कहे जो अल्लाह ने मुझे दिखाया उस पर मैं ने फ़ैसला किया, क्यूं कि अल्लाह तआ़ला ने येह मन्सब ख़ास अपने नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم को अ़त़ा फ़रमाया, आप की राय हमेशा सवाब होती है क्यूं कि अल्लाह तआ़ला ने ह़क़ाइक़ व ह़वादिस आप के पेशे नज़र कर दिये हैं और दूसरे लोगों की राय ज़न का मर्तबा रखती है। **290 :** मा'सियत का इरतिकाब कर के।

www.dawateislami.net

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا

नहीं चाहता किसी बड़े दग़ाबाज़ गुनहगार को आदमियों से छुपते हैं और अल्लाह

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ

से नहीं छुपते[291] और अल्लाह उन के पास है[292] जब दिल में वोह बात तज्वीज़ करते हैं जो अल्लाह

الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ

को ना पसन्द है[293] और अल्लाह उन के कामों को घेरे हुए है सुनते हो येह जो तुम हो[294]

عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ

दुन्या की ज़िन्दगी में तो उन की त़रफ़ से झगडे़ तो उन की त़रफ़ से कौन झगड़ेगा अल्लाह से क़ियामत के दिन या कौन

يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ

उन का वकील होगा और जो कोई बुराई या अपनी जान पर ज़ुल्म करे फिर

يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا

अल्लाह से बख़्शिश चाहे तो अल्लाह को बख़्शने वाला मेह्रबान पाएगा और जो गुनाह कमाए तो

يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ

उस की कमाई उसी की जान पर पड़े और अल्लाह इल्मो ह़िक्मत वाला है[295] और जो कोई

خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا

ख़त़ा या गुनाह कमाए[296] फिर उसे किसी बे गुनाह पर थोप दे उस ने ज़रूर बोहतान और खुला गुनाह

مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ ع ١٦

उठाया और ऐ मह़बूब अगर अल्लाह का फ़ज़्लो रह़मत तुम पर न होता[297] तो उन में के कुछ लोग येह चाहते

اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ

कि तुम्हें धोका दे दें और वोह अपने ही आप को बहका रहे हैं[298] और तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेंगे[299]

291 : ह़या नहीं करते 292 : उन का ह़ाल जानता है उस पर उन का कोई राज़ छुप नहीं सकता 293 : जैसे तु'मह की त़रफ़दारी में झूटी क़सम और झूटी शहादत। 294 : ऐ क़ौमे तु'मह ! 295 : किसी को दूसरे के गुनाह पर अ़ज़ाब नहीं फ़रमाता। 296 : सग़ीरा या कबीरा 297 : तुम्हें नबी व मा'सूम कर के और राज़ों पर मुत्त़लअ़ फ़रमा के 298 : क्यूं कि इस का वबाल उन्हीं पर है 299 : क्यूं कि अल्लाह ने आप को हमेशा के लिये मा'सूम किया है।

www.dawateislami.net

وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ

और **अल्लाह** ने तुम पर किताब[300] और हिक्मत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे[301]

وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿۱۱۳﴾ لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا

और **अल्लाह** का तुम पर बड़ा फ़ज़्ल है[302] उन के अक्सर मश्वरों में कुछ भलाई नहीं[303] मगर

مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْ

जो हुक्म दे ख़ैरात या अच्छी बात या लोगों में सुल्ह करने का और जो **अल्लाह** की रिज़ा

ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۱۴﴾ وَ مَنْ

चाहने को ऐसा करे उसे अ़न्क़रीब हम बड़ा सवाब देंगे और जो

يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ

रसूल का ख़िलाफ़ करे बा'द इस के कि हक़ रास्ता उस पर खुल चुका और मुसल्मानों की राह से

الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾ ع اِنَّ

जुदा राह चले हम उसे उस के ह़ाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख़ में दाख़िल करेंगे और क्या ही बुरी जगह पलटने की[304]

اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ

अल्लाह इसे नहीं बख़्शता कि उस का कोई शरीक ठहराया जाए और इस से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआ़फ़ फ़रमा देता है[305]

وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿۱۱۶﴾ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ

और जो **अल्लाह** का शरीक ठहराए वोह दूर की गुमराही में पड़ा येह शिर्क वाले **अल्लाह** के

300 : या'नी क़ुरआने करीम **301 :** उमूरे दीन व अह़कामे शरअ़ व उ़लूमे ग़ैब। **मस्अला :** इस आयत से साबित हुवा कि **अल्लाह** तआ़ला ने अपने ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم को तमाम काएनात के उ़लूम अ़ता फ़रमाए और किताबो ह़िक्मत के असरारो ह़क़ाइक़ पर मुत्तलअ़ किया। येह मस्अला क़ुरआने करीम की बहुत आयात और अह़ादीसे कसीरा से साबित है। **302 :** कि तुम्हें इन ने'मतों के साथ मुमताज़ किया। **303 :** येह सब लोगों के ह़क़ में आ़म है। **304 :** येह आयत दलील है इस की, कि इज्माअ़ हुज्जत है इस की मुख़ालफ़त जाइज़ नहीं जैसे कि किताब व सुन्नत की मुख़ालफ़त जाइज़ नहीं। (مدارک) और इस से साबित हुवा कि त़रीक़े मुस्लिमीन ही सिराते़ मुस्तक़ीम है। ह़दीस शरीफ़ में वारिद हुवा कि जमाअ़त पर **अल्लाह** का हाथ है। एक और ह़दीस में है कि सवादे आ'ज़म या'नी बड़ी जमाअ़त का इत्तिबाअ़ करो जो जमाअ़ते मुस्लिमीन से जुदा हुवा वोह दोज़ख़ी है। इस से वाज़ेह़ है कि ह़क़ मज़्हबे अहले सुन्नत व जमाअ़त है। **305 शाने नुज़ूल :** ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا का क़ौल है कि येह आयत एक कुहन साल (उ़म्र रसीदा) आ'राबी के ह़क़ में नाज़िल हुई जिस ने सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ख़िदमत में ह़ाज़िर हो कर अ़र्ज़ किया : **या नबिय्यल्लाह!** मैं बूढ़ा हूं, गुनाहों में ग़र्क़ हूं, बजुज़ इस के कि जब से मैं ने **अल्लाह** को पहचाना और उस पर ईमान लाया उस वक़्त से कभी मैं ने उस के साथ शिर्क न किया और उस के सिवा किसी और को वली न बनाया और जुर्अत के साथ गुनाहों में मुब्तला न हुवा और एक पल भी मैं ने येह गुमान न किया कि मैं **अल्लाह** से भाग सकता हूं। शरमिन्दा हूं, ताइब हूं, मग़्फ़िरत चाहता हूं, **अल्लाह** के यहां मेरा क्या ह़ाल होगा, इस पर येह आयत नाज़िल हुई, येह आयत नस्से सरीह़ है इस पर कि शिर्क से बख़्शा न जाएगा अगर मुश्रिक अपने शिर्क पर मरे, क्यूं कि येह साबित हो चुका है कि मुश्रिक जो अपने शिर्क से तौबा करे और ईमान लाए तो उस की तौबा व ईमान मक़्बूल है।

www.dawateislami.net

وقف لازم

دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَ اِنْ یَّدْعُوْنَ اِلَّا شَیْطٰنًا مَّرِیْدًا ۙ﴿۱۱۷﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ

सिवा नहीं पूजते मगर कुछ औ़रतों को[306] और नहीं पूजते मगर सरकश शैत़ान को[307] जिस पर अल्लाह ने ला'नत की

وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِیْبًا مَّفْرُوْضًا ۙ﴿۱۱۸﴾ وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ

और बोला[308] क़सम है मैं ज़रूर तेरे बन्दों में से कुछ ठहराया हुवा हिस्सा लूंगा[309] क़सम है मैं ज़रूर उन्हें बहका दूंगा

وَ لَاُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ

और ज़रूर उन्हें आरज़ूएं दिलाऊंगा[310] और ज़रूर उन्हें कहूंगा कि वोह चौपायों के कान चीरेंगे[311] और ज़रूर उन्हें कहूंगा

فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ یَّتَّخِذِ الشَّیْطٰنَ وَلِیًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

कि वोह अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ बदल देंगे[312] और जो अल्लाह को छोड़ कर शैत़ान को दोस्त बनाए

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِیْنًا ؕ﴿۱۱۹﴾ یَعِدُهُمْ وَ یُمَنِّیْهِمْ ؕ وَ مَا یَعِدُهُمُ

वोह सरीह़ टोटे (खुले नुक़्सान) में पड़ा शैत़ान उन्हें वा'दे देता है और आरज़ूएं दिलाता है[313] और शैत़ान उन्हें

الشَّیْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ؕ﴿۱۲۰﴾ اُولٰٓىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَ لَا یَجِدُوْنَ عَنْهَا

वा'दे नहीं देता मगर फ़रेब के[314] उन का ठिकाना दोज़ख़ है और उस से बचने की

مَحِیْصًا ﴿۱۲۱﴾ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ

जगह न पाएंगे और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कुछ देर जाती है कि हम उन्हें बाग़ों में ले जाएंगे

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَ مَنْ

जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा हमेशा उन में रहें अल्लाह का सच्चा वा'दा और

306 : या'नी मुअन्नस बुतों को जैसे लात, उ़ज़्ज़ा, मनात वग़ैरा, येह सब मुअन्नस हैं और अ़रब के हर क़बीले का बुत था जिस की वोह इ़बादत करते थे और उस को उस क़बीले की उन्सा (औ़रत) कहते थे, ह़ज़रते आ़इशा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا की क़िराअत में اِلَّا اَوۡثَانًا और ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) की क़िराअत में "اِلَّا اُنۡثًا" आया है, इस से भी साबित होता है कि "اَنۡاث" से मुराद बुत हैं। एक क़ौल येह भी है कि मुश्रिकीने अ़रब अपने बातिल मा'बूदों को ख़ुदा की बेटियां कहते थे और एक क़ौल येह है कि मुश्रिकीन बुतों को ज़ेवर वग़ैरा पहना कर औ़रतों की त़रह़ सजाते थे 307 : क्यूं कि उसी के इ़ग़वा (बहकाने) से बुत परस्ती करते हैं 308 : शैत़ान 309 : उन्हें अपना मुत़ीअ़ बनाऊंगा 310 : त़रह़ त़रह़ की, कभी उ़म्रे त़वील की, कभी लज़्ज़ाते दुन्या की, कभी ख़्वाहिशाते बातिला की, कभी और कभी और 311 : चुनान्चे उन्हों ने ऐसा किया कि ऊंटनी जब पांच मरतबा बियाह लेती तो वोह उस को छोड़ देते और उस से नफ़्अ़ उठाना अपने ऊपर ह़राम कर लेते और उस का दूध बुतों के लिये कर लेते और उस को बह़ीरा कहते थे, शैत़ान ने उन के दिल में येह डाल दिया था कि ऐसा करना इ़बादत है। 312 : मर्दों का औ़रतों की शक्ल में ज़नाना लिबास पहनना, औ़रतों की त़रह़ बातचीत और ह़रकात करना, जिस्म को गोद कर सुरमा या सिन्दूर (सुर्ख़ रंग का एक पाउडर जिसे हिन्दू औ़रतें मांग में लगाती हैं) वग़ैरा जिल्द में पैवस्त कर के नक़्शो निगार बनाना, बालों में बाल जोड़ कर बड़ी बड़ी जटें बनाना भी इस में दाख़िल है। 313 : और दिल में त़रह़ त़रह़ की उम्मीदें और वस्वसे डालता है ताकि इन्सान गुमराही में पड़े 314 : कि जिस चीज़ के नफ़्ए़ और फ़ाएदे की तवक़्क़ोअ़ दिलाता है दर ह़क़ीक़त उस में सख़्त ज़रर और नुक़्सान होता है।

www.dawateislami.net

اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ

अल्लाह से ज़ियादा किस की बात सच्ची काम न कुछ तुम्हारे ख़यालों पर है[315] और न किताब वालों की हवस पर[316]

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا

जो बुराई करेगा[317] उस का बदला पाएगा और अल्लाह के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएगा न

نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

मददगार[318] और जो कुछ भले काम करेगा मर्द हो या औरत और हो मुसल्मान[319]

فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ

तो वोह जन्नत में दाख़िल किये जाएंगे और उन्हें तिल भर नुक़्सान न दिया जाएगा और उस से बेहतर

دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ

किस का दीन जिस ने अपना मुंह अल्लाह के लिये झुका दिया[320] और वोह नेकी वाला है और इब्राहीम के दीन पर चला[321]

حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

जो हर बातिल से जुदा था और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना गहरा दोस्त बनाया[322] और अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है

وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾ ع وَيَسْتَفْتُوْنَكَ ع ١٥

और जो कुछ ज़मीन में और हर चीज़ पर अल्लाह का क़ाबू है[323] और तुम से औरतों के बारे

فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ

में फ़तवा पूछते हैं[324] तुम फ़रमा दो कि अल्लाह तुम्हें उन का फ़तवा देता है और वोह जो तुम पर क़ुरआन में पढ़ा जाता है

315 : जो तुम ने सोच रखा है कि बुत तुम्हें नफ़्अ़ पहुंचाएंगे। **316 :** जो कहते कि हम अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं, हमें आग चन्द रोज़ से ज़ियादा न जलाएगी, यहूदो नसारा का येह ख़याल भी मुश्रिकीन की तरह बातिल है। **317 :** ख़्वाह मुश्रिकीन में से हो या यहूदो नसारा में से **318 :** येह वईद कुफ़्फ़ार के लिये है **319 मस्अला :** इस में इशारा है कि आ'माल दाख़िले ईमान नहीं। **320 :** या'नी इताअ़त व इख़्लास इख़्तियार किया **321 :** जो मिल्लते इस्लाम के मुवाफ़िक़ है। हज़रते इब्राहीम की शरीअ़त व मिल्लत सय्यिदे अम्बिया صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की मिल्लत में दाख़िल है और ख़ुसूसिय्याते दीने मुहम्मदी कि इस के इलावा हैं, दीने मुहम्मदी का इत्तिबाअ़ करने से शरअ़ व मिल्लते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام का इत्तिबाअ़ हासिल होता है, चूंकि अ़रब और यहूदो नसारा सब हज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام से इन्तिसाब (निस्बत रखने) पर फ़ख़्र करते थे और आप की शरीअ़त इन सब को मक़्बूल थी और शरए मुहम्मदी इस पर हावी है तो इन सब को दीने मुहम्मदी में दाख़िल होना और इस को क़बूल करना लाज़िम है। **322 :** ख़ुल्लत सफ़ाए मुवद्दत (सच्ची महब्बत) और ग़ैर से इन्क़िताअ़ को कहते हैं, हज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَات येह औसाफ़ रखते थे, इस लिये आप को ख़लील कहा गया, एक क़ौल येह भी है कि ख़लील उस मुहिब को कहते हैं जिस की महब्बत कामिला हो और उस में किसी क़िस्म का ख़लल और नुक़्सान न हो, येह मा'ना भी हज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَات में पाए जाते हैं। तमाम अम्बिया के जो कमालात हैं सब सय्यिदे अम्बिया صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم को हासिल हैं। हुज़ूर अल्लाह के ख़लील भी हैं जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है। और हबीब भी जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ़ की हदीस में है कि मैं अल्लाह का हबीब हूं और येह फ़ख़्र नहीं कहता। **323 :** और वोह उस के इहाते इल्मो क़ुदरत में है। **इहाता बिल इल्म** येह है कि किसी शै के लिये जितने वुजूह हो सकते हैं उन में से कोई वज्ह इल्म से ख़ारिज न हो। **324 : शाने नुज़ूल :** ज़मानए जाहिलिय्यत में अ़रब के लोग औरत और छोटे बच्चों को मय्यित के माल का

www.dawateislami.net

فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُوْنَ اَنْ

उन यतीम लड़कियों के बारे में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उन का मुक़र्रर है[325] और उन्हें निकाह़ में भी

تَنْكِحُوْهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى

लाने से मुंह फेरते हो और कमज़ोर[326] बच्चों के बारे में और येह कि यतीमों के ह़क़ में

بِالْقِسْطِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾ وَ اِنِ

इन्साफ़ पर क़ाइम रहो[327] और तुम जो भलाई करो तो **अल्लाह** को उस की ख़बर है और अगर

امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ

कोई औ़रत अपने शोहर की ज़ियादती या बे रग़बती का अन्देशा करे[328] तो उन पर गुनाह नहीं कि

يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ

आपस में सुल्ह़ कर लें[329] और सुल्ह़ ख़ूब है[330] और दिल लालच के फन्दे में हैं[331]

وَ اِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾ وَ لَنْ

और अगर तुम नेकी और परहेज़ गारी करो[332] तो **अल्लाह** को तुम्हारे कामों की ख़बर है[333] और तुम से

تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ

हरगिज़ न हो सकेगा कि औ़रतों को बराबर रखो चाहे कितनी ही ह़िर्स करो[334] तो येह तो न हो कि एक त़रफ़ पूरा

वारिस नहीं क़रार देते थे, जब आयते मीरास नाज़िल हुई तो उन्हों ने अ़र्ज़ किया : **या रसूलल्लाह**! क्या औ़रत और छोटे बच्चे वारिस होंगे ? आप ने उन को इस आयत से जवाब दिया। ह़ज़रते आ़इशा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया कि यतीमों के औलिया का दस्तूर येह था कि अगर यतीम लड़की साह़िबे मालो जमाल होती तो उस से थोड़े महर पर निकाह़ कर लेते और अगर हुस्नो माल न रखती तो उसे छोड़ देते और अगर हुस्ने सूरत न रखती और होती मालदार तो उस से निकाह़ न करते और इस अन्देशे से दूसरे के निकाह़ में भी न देते कि वोह माल में ह़िस्सेदार हो जाएगा। **अल्लाह** तआ़ला ने येह आयतें नाज़िल फ़रमा कर उन्हें इन आ़दतों से मन्अ़ फ़रमाया। **325 :** मीरास से **326 :** यतीम **327 :** उन के पूरे ह़ुक़ूक़ उन को दो। **328 : ज़ियादती** तो इस त़रह़ कि उस से अ़लाह़दा रहे, खाने पहनने को न दे या कमी करे या मारे या बद ज़बानी करे और **ए'राज़** येह कि मह़ब्बत न रखे, बोलचाल तर्क कर दे या कम कर दे। **329 :** और इस सुल्ह़ के लिये अपने ह़ुक़ूक़ का बार कम करने पर राज़ी हो जाएं। **330 :** और ज़ियादती और जुदाई दोनों से बेहतर है। **331 :** हर एक अपनी राह़तो आसाइश चाहता और अपने ऊपर कुछ मशक़्क़त गवारा कर के दूसरे की आसाइश को तरजीह़ नहीं देता। **332 :** और बा वुजूद ना मरग़ूब होने के अपनी मौजूदा औ़रतों पर सब्र करो और ब रिआ़यते ह़क़्क़े सोह़बत उन के साथ अच्छा बरताव करो और उन्हें ईज़ा व रन्ज देने से और झगड़ा पैदा करने वाली बातों से बचते रहो और सोह़बतो मुआ़शरत में नेक सुलूक करो और येह जानते रहो कि वोह तुम्हारे पास अमानतें हैं **333 :** वोह तुम्हें तुम्हारे आ'माल की जज़ा देगा। **334 :** या'नी अगर कई बीबियां हों तो येह तुम्हारी मक़्दिरत (त़ाक़त) में नहीं कि हर अम्र में तुम उन्हें बराबर रखो और किसी अम्र में किसी को किसी पर तरजीह़ न होने दो न मैलो मह़ब्बत में न ख़्वाहिशो रग़बत में न इ़श्रतो इख़्तिलात़ में न नज़रो तवज्जोह में, तुम कोशिश कर के येह तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर इतना तुम्हारे मक़्दूर में नहीं है और इस वज्ह से इन तमाम पाबन्दियों का बार तुम पर नहीं रखा गया और मह़ब्बते क़ल्बी और मैले त़ब्ई जो तुम्हारा इख़्तियारी नहीं है इस में बराबरी करने का तुम्हें ह़ुक्म नहीं दिया गया।

www.dawateislami.net

الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَ اِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ

झुक जाओ कि दूसरी को अधर (दरमियान) में लटकती छोड़ दो[335] और अगर तुम नेकी और परहेज़ गारी करो तो बेशक **अल्लाह**

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾ وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ كَانَ

बख़्शने वाला मेहरबान है और अगर वोह दोनों[336] जुदा हो जाएं तो **अल्लाह** अपनी कशाइश से तुम में हर एक को दूसरे से बे नियाज़ कर देगा[337] और

اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ

अल्लाह कशाइश वाला हिक्मत वाला है और **अल्लाह** ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में और बेशक

وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

ताकीद फ़रमा दी है हम ने उन से जो तुम से पहले किताब दिये गए और तुम को कि **अल्लाह** से डरते रहो[338]

وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ

और अगर कुफ़्र करो तो बेशक **अल्लाह** ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में[339] और **अल्लाह**

غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۳۱﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ

बे नियाज़ है[340] सब ख़ूबियों वाला और **अल्लाह** ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में और **अल्लाह** काफ़ी है

وَكِيْلًا ﴿۱۳۲﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَ يَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ

कारसाज़ (काम बनाने वाला) ऐ लोगो वोह चाहे तो तुम्हें ले जाए[341] और औरों को ले आए और **अल्लाह** को

عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿۱۳۳﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ

इस की कुदरत है जो दुन्या का इन्आ़म चाहे तो **अल्लाह** ही के पास दुन्या व आख़िरत

١٩ ع ٨ ١٦ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿۱۳۴﴾ۧ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

दोनों का इन्आ़म है[342] और **अल्लाह** सुनता देखता है ऐ ईमान वालो

335 : बल्कि येह ज़रूर है कि जहां तक तुम्हें कुदरतो इख़्तियार है वहां तक यक्सां बरताव करो, महब्बत इख़्तियारी शै नहीं तो बातचीत, हुस्ने अख़्लाक़, खाने, पहनने, पास रखने और ऐसे उमूर में बराबरी करना इख़्तियारी है, इन उमूर में दोनों के साथ यक्सां सुलूक करना लाज़िम व ज़रूरी है। **336 :** ज़न व शो (मियां बीवी) बाहम सुल्ह़ न करें और वोह जुदाई ही बेहतर समझें और ख़ुलअ़ के साथ तफ़रीक़ हो जाए, या मर्द औ़रत को त़लाक़ दे कर उस का महर और इ़द्दत का नफ़्क़ा अदा कर दे और इस त़रह़ वोह **337 :** और हर एक को बेहतर बदल अ़त़ा फ़रमाएगा **338 :** उस की फ़रमां बरदारी करो और उस के हुक्म के ख़िलाफ़ न करो, तौह़ीद व शरीअ़त पर क़ाइम रहो। इस आयत से मा'लूम हुवा कि तक़्वा और परहेज़ गारी का हुक्म क़दीम है, तमाम उम्मतों को इस की ताकीद होती रही है। **339 :** तमाम जहान उस के फ़रमां बरदारों से भरा है, तुम्हारे कुफ़्र से उस का क्या ज़रर। **340 :** तमाम ख़ल्क़ से और उन की इ़बादत से। **341 :** मा'दूम कर दे **342 :** मा'ना येह हैं कि जिस को अपने अ़मल से दुन्या मक़्सूद हो और उस की मुराद इतनी है जो **अल्लाह** उस को दे देता है और सवाबे आख़िरत से वोह मह़रूम रहता है और जिस ने अ़मल रिज़ाए इलाही और सवाबे आख़िरत के लिये किया तो **अल्लाह** दुन्या व आख़िरत दोनों में सवाब देने वाला

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ

इन्साफ़ पर ख़ूब क़ाइम हो जाओ अल्लाह के लिये गवाही देते चाहे इस में तुम्हारा अपना नुक़्सान हो या मां बाप का

وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا

या रिश्तेदारों का जिस पर गवाही दो वोह ग़नी हो या फ़क़ीर हो[343] बहर हाल अल्लाह को इस का सब से ज़ियादा इख़्तियार है तो ख़्वाहिश के पीछे

الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

न जाओ कि हक़ से अलग पड़ो और अगर तुम हेर फेर करो[344] या मुंह फेरो[345] तो अल्लाह को तुम्हारे

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۳۵﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

कामों की ख़बर है[346] ऐ ईमान वालो ईमान रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर[347]

وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ

और उस किताब पर जो अपने इन रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो पहले

قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

उतारी[348] और जो न माने अल्लाह और उस के फ़िरिश्तों और किताबों और रसूलों और क़ियामत को[349]

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿۱۳۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ

तो वोह ज़रूर दूर की गुमराही में पड़ा बेशक वोह लोग जो ईमान लाए फिर काफ़िर हुए फिर ईमान लाए फिर

كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

काफ़िर हुए फिर और कुफ़्र में बढ़े[350] अल्लाह हरगिज़ न उन्हें बख़्शे[351] न उन्हें राह

है तो जो शख़्स अल्लाह से फ़क़त दुन्या का तालिब हो वोह नादान ख़सीस और कम हिम्मत है। **343 :** किसी की रिआयत व तरफ़ दारी में इन्साफ़ से न हटो और कोई क़राबत व रिश्ता हक़ कहने में मुख़िल न होने पाए। **344 :** हक़ के बयान में और जैसा चाहिये न कहो **345 :** अदाए शहादत से **346 :** जैसे अमल होंगे वैसा बदला देगा। **347 :** या'नी ईमान पर साबित रहो, येह मा'ना इस सूरत में हैं कि "يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا" का ख़िताब मुसल्मानों से हो और अगर ख़िताब यहूदो नसारा से हो तो मा'ना येह हैं कि ऐ बा'ज़ किताबों बा'ज़ रसूलों पर ईमान लाने वालो तुम्हें येह हुक्म है, और अगर ख़िताब मुनाफ़िक़ीन से हो तो मा'ना येह हैं कि ऐ ईमान का ज़ाहिरी दा'वा करने वालो इख़्लास के साथ ईमान ले आओ, यहां रसूल से सय्यिदे अम्बिया صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم और किताब से क़ुरआने पाक मुराद है। **शाने नुज़ूल :** हज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ने फ़रमाया : येह आयत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम और असद व उसैद और सा'लबा बिन क़ैस और सलाम व सलमा व यामीन के हक़ में नाज़िल हुई, येह लोग मोमिनीने अहले किताब में से थे, रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया : हम आप पर और आप की किताब पर और हज़रते मूसा पर और तौरैत पर और उ़ज़ैर पर ईमान लाते हैं और इस के सिवा बाक़ी किताबों और रसूलों पर ईमान न लाएंगे। हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने उन से फ़रमाया कि तुम अल्लाह पर और उस के रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم पर और क़ुरआन पर और इस से पहली हर किताब पर ईमान लाओ, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। **348 :** या'नी क़ुरआने पाक पर और उन तमाम किताबों पर ईमान लाओ जो अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन से पहले अपने अम्बिया पर नाज़िल फ़रमाई। **349 :** या'नी इन में से किसी एक का भी इन्कार करे, कि एक रसूल और एक किताब का इन्कार भी सब का इन्कार है। **350 शाने नुज़ूल :** हज़रते इब्ने

www.dawateislami.net

سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ﴿١٣٨﴾ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ

दिखाए ख़ुश ख़बरी दो मुनाफ़िक़ों को कि उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है वोह जो मुसल्मानों को

الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ

छोड़ कर काफ़िरों को दोस्त बनाते हैं[352] क्या उन के पास इ़ज़्ज़त

الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ

ढूंडते हैं तो इ़ज़्ज़त तो सारी अल्लाह के लिये है[353] और बेशक अल्लाह तुम पर किताब[354] में उतार चुका

اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا

कि जब तुम अल्लाह की आयतों को सुनो कि उन का इन्कार किया जाता और उन की हंसी बनाई जाती है तो उन लोगों के साथ

مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

न बैठो जब तक वोह और बात में मश्ग़ूल न हों[355] वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो[356] बेशक अल्लाह

جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۙ﴿١٤٠﴾ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ

काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों सब को जहन्नम में इकट्ठा करेगा वोह जो तुम्हारी ह़ालत तका (देखा)

بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَ

करते हैं तो अगर अल्लाह की त़रफ़ से तुम को फ़त्ह़ मिले कहें क्या हम तुम्हारे साथ न थे[357] और

اِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ

अगर काफ़िरों का हिस्सा हो तो उन से कहें क्या हमें तुम पर क़ाबू न था[358] और हम ने तुम्हें

अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا ने फ़रमाया कि येह आयत यहूद के ह़क़ में नाज़िल हुई, जो ह़ज़रते मूसा عَلَیْہِ السَّلَام पर ईमान लाए फिर बछड़ा पूज कर काफ़िर हुए, फिर इस के बा'द ईमान लाए फिर ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام और इन्जील का इन्कार कर के काफ़िर हो गए, फिर सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم और क़ुरआन का इन्कार कर के और कुफ़्र में बढ़े। एक क़ौल येह है कि येह आयत मुनाफ़िक़ीन के ह़क़ में नाज़िल हुई, कि वोह ईमान लाए, फिर काफ़िर हो गए ईमान के बा'द, फिर ईमान लाए या'नी उन्हों ने अपने ईमान का इज़्हार किया ताकि उन पर मोमिनीन के अह़काम जारी हों, फिर कुफ़्र में बढ़े या'नी कुफ़्र पर उन की मौत हुई। **351 :** जब तक कुफ़्र पर रहें और कुफ़्र पर मरें क्यूं कि कुफ़्र बख़्शा नहीं जाता, मगर जब कि काफ़िर तौबा करे और ईमान लाए जैसा कि फ़रमाया : ''قُلْ لِّلَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا اِنْ یَّنْتَهُوْا یُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ'' (तुम काफ़िरों से फ़रमाओ अगर वोह बाज़ रहे तो जो हो गुज़रा वोह उन्हें मुआ़फ़ फ़रमा दिया जाएगा) **352 :** येह मुनाफ़िक़ीन का ह़ाल है जिन का ख़याल था कि इस्लाम ग़ालिब न होगा और इस लिये वोह कुफ़्फ़ार को साह़िबे क़ुव्वत और शौकत समझ कर उन से दोस्ती करते थे और उन से मिलने में इ़ज़्ज़त जानते थे, बा वुजूदे कि कुफ़्फ़ार के साथ दोस्ती मम्नूअ़ और उन के मिलने से त़लबे इ़ज़्ज़त बात़िल। **353 :** और उस के लिये जिस को वोह इ़ज़्ज़त दे जैसे कि अम्बिया व मोमिनीन। **354 :** या'नी क़ुरआन **355 :** कुफ़्फ़ार की हम नशीनी और उन की मजलिसों में शिर्कत करना ऐसे ही और बे दीनों और गुमराहों की मजलिसों की शिर्कत और उन के साथ याराना व मुसाह़बत मम्नूअ़ फ़रमाई गई। **356 :** इस से साबित हुवा कि कुफ़्र के साथ राज़ी होने वाला भी काफ़िर है। **357 :** इस से उन की मुराद ग़नीमत में शिर्कत करना और ह़िस्सा चाहना है। **358 :** कि हम तुम्हें क़त्ल करते गिरिफ़्तार करते, मगर हम ने येह कुछ नहीं किया।

www.dawateislami.net

مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ

मुसल्मानों से बचाया[359] तो अल्लाह तुम सब में[360] क़ियामत के दिन फ़ैसला कर देगा[361] और अल्लाह काफ़िरों को

اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿۱۴۱﴾ ع اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ ع ٧

मुसल्मानों पर कोई राह न देगा[362] बेशक मुनाफ़िक़ लोग अपने गुमान में अल्लाह को फ़रेब दिया चाहते

اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ

हैं[363] और वोही उन्हें ग़ाफ़िल कर के मारेगा और जब नमाज़ को खड़े हों[364] तो हारे जी से[365] लोगों का

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۴۲﴾ ۙ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ

दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा[366] बीच में डग मगा रहे हैं[367]

لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَآءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ

न इधर के न उधर के[368] और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उस के लिये कोई राह न

سَبِيْلًا ﴿۱۴۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ

पाएगा ऐ ईमान वालो काफ़िरों को दोस्त न बनाओ

دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۴۴﴾

मुसल्मानों के सिवा[369] क्या येह चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिये सरीह़ हुज्जत कर लो[370]

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

बेशक मुनाफ़िक़ दोज़ख़ के सब से नीचे त़बक़े में हैं[371] और तू हरगिज़ उन का कोई

359 : और उन्हें त़रह़ त़रह़ के ह़ीलों से रोका और उन के राज़ों पर तुम्हें मुत्त़लअ़ किया तो अब हमारे इस सुलूक की क़द्र करो और ह़िस्सा दो। (येह मुनाफ़िक़ों का ह़ाल है) **360 :** ऐ ईमानदारो और मुनाफ़िक़ो ! **361 :** कि मोमिनीन को जन्नत अ़त़ा करेगा और मुनाफ़िक़ों को दाख़िले जहन्नम करेगा। **362 :** या'नी काफ़िर न मुसल्मानों को मिटा सकेंगे न ह़ुज्जत में ग़ालिब आ सकेंगे। उ़लमा ने इस आयत से चन्द मसाइल मुस्तम्बित़ किये हैं (1) काफ़िर मुसल्मान का वारिस नहीं। (2) काफ़िर मुसल्मान के माल पर इस्तीला पा कर मालिक नहीं हो सकता। (3) काफ़िर, मुसल्मान ग़ुलाम के ख़रीदने का मजाज़ नहीं (4) ज़िम्मी के इ़वज़ मुसल्मान क़त्ल न किया जाएगा। (جمل) **363 :** क्यूं कि ह़क़ीक़त में तो अल्लाह को फ़रेब देना मुम्किन नहीं। **364 :** मोमिनीन के साथ **365 :** क्यूं कि ईमान तो है नहीं जिस से ज़ौक़े त़ाअ़त और लुत़्फ़े इ़बादत ह़ासिल हो, महज़ रियाकारी है, इस लिये मुनाफ़िक़ को नमाज़ बार मा'लूम होती है। **366 :** इस त़रह़ कि मुसल्मानों के पास हुए तो नमाज़ पढ़ ली और अ़लाह़दा हुए तो नदारद (छोड़ दी)। **367 :** कुफ़्र व ईमान के **368 :** न ख़ालिस मोमिन न खुले काफ़िर। **369 :** इस आयत में मुसल्मानों को बताया गया कि कुफ़्फ़ार को दोस्त बनाना मुनाफ़िक़ीन की ख़स्लत है, तुम इस से बचो। **370 :** अपने निफ़ाक़ की और मुस्तह़िक़े जहन्नम हो जाओ। **371 :** मुनाफ़िक़ का अ़ज़ाब काफ़िर से भी ज़ियादा है क्यूं कि वोह दुन्या में इज़्हारे इस्लाम कर के मुजाहिदीन के हाथों से बचा रहा है और कुफ़्र के बा वुजूद मुसल्मानों को मुग़ालत़ा देना और इस्लाम के साथ इस्तिह़्ज़ा (मज़ाक़) करना इस का शेवा रहा है।

www.dawateislami.net

نَصِيْرًا ﴿۱۴۵﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا

मददगार न पाएगा मगर वोह जिन्हों ने तौबा की[372] और संवरे (अपनी इस्लाह़ की) और अल्लाह की रस्सी मज़बूत़ थामी और अपना दीन ख़ालिस

دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ

अल्लाह के लिये कर लिया तो येह मुसल्मानों के साथ हैं[373] और अ़न्क़रीब अल्लाह मुसल्मानों को

اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۴۶﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ

बड़ा सवाब देगा और अल्लाह तुम्हें अ़ज़ाब दे कर क्या करेगा अगर तुम ह़क़ मानो और ईमान लाओ

وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۷﴾

और अल्लाह है सिला देने वाला जानने वाला

372 : निफ़ाक़ से 373 : दारैन में।

www.dawateislami.net

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

अल्लाह पसन्द नहीं करता बुरी बात का ए'लान करना[374] मगर मज़्लूम से[375] और अल्लाह

سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۸﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ

सुनता जानता है अगर तुम कोई भलाई अ़लानिया करो या छुप कर या किसी की बुराई से दर गुज़रो तो बेशक

اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۴۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَ

अल्लाह मुआ़फ़ करने वाला क़ुदरत वाला है[376] वोह जो अल्लाह और उस के रसूलों को नहीं मानते और

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ

चाहते हैं कि अल्लाह से उस के रसूलों को जुदा कर दें[377] और कहते हैं हम किसी पर ईमान लाए और

نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿۱۵۰﴾ اُولٰٓئِكَ

किसी के मुन्किर हुए[378] और चाहते हैं कि ईमान व कुफ़्र के बीच में कोई राह निकाल लें येही

هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۱۵۱﴾ وَالَّذِيْنَ

हैं ठीक ठीक काफ़िर[379] और हम ने काफ़िरों के लिये ज़िल्लत का अ़ज़ाब तय्यार कर रखा है और वोह जो

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ

अल्लाह और उस के सब रसूलों पर ईमान लाए और उन में से किसी पर ईमान में फ़र्क़ न किया उन्हें अ़न्क़रीब

374 : या'नी किसी के पोशीदा ह़ाल का ज़ाहिर करना। इस में ग़ीबत भी आ गई चुग़ल ख़ोरी भी। आ़क़िल वोह है जो अपने ऐ़बों को देखे, एक क़ौल येह भी है कि बुरी बात से गाली मुराद है। **375 :** कि उस को जाइज़ है कि ज़ालिम के ज़ुल्म बयान करे, वोह चोर या ग़ासिब की निस्बत कह सकता है कि इस ने मेरा माल चुराया, ग़स्ब किया। **शाने नुज़ूल :** एक शख़्स एक क़ौम का मेहमान हुवा था, उन्हों ने अच्छी त़रह़ उस की मेज़बानी न की, जब वोह वहां से निकला तो उन की शिकायत करता निकला। इस वाक़िए़ के मुतअ़ल्लिक़ येह आयत नाज़िल हुई, बा'ज़ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि येह आयत ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ के बाब में नाज़िल हुई, एक शख़्स सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم के सामने आप (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) की शान में ज़बान दराज़ी करता रहा, आप ने कई बार सुकूत किया मगर वोह बाज़ न आया तो एक मरतबा आप ने उस को जवाब दिया, इस पर हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم उठ खड़े हुए, ह़ज़रत सिद्दीक़े अक्बर ने अ़र्ज़ किया : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم येह शख़्स मुझ को बुरा कहता रहा तो हुज़ूर ने कुछ न फ़रमाया मैं ने एक मरतबा जवाब दिया तो हुज़ूर उठ गए, फ़रमाया : एक फ़िरिश्ता तुम्हारी त़रफ़ से जवाब दे रहा था जब तुम ने जवाब दिया तो फ़िरिश्ता चला गया और शैत़ान आ गया। इस के मुतअ़ल्लिक़ येह आयत नाज़िल हुई। **376 :** तुम उस के बन्दों से दर गुज़र करो वोह तुम से दर गुज़र फ़रमाएगा। **ह़दीस :** तुम ज़मीन वालों पर रह़्म करो आस्मान वाला तुम पर रह़्म करेगा। **377 :** इस त़रह़ कि अल्लाह पर ईमान लाएं और उस के रसूलों पर न लाएं। **378 : शाने नुज़ूल :** येह आयत यहूदो नसारा के ह़क़ में नाज़िल हुई, कि यहूद ह़ज़रते मूसा عَلَیْہِ السَّلَام पर ईमान लाए और ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام और सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم के साथ उन्हों ने कुफ़्र किया और नसारा ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام पर ईमान लाए और उन्हों ने सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم के साथ कुफ़्र किया। **379 :** बा'ज़ रसूलों पर ईमान लाना उन्हें कुफ़्र से नहीं बचाता क्यूं कि एक नबी का इन्कार भी तमाम अम्बिया के इन्कार के बराबर है।

www.dawateislami.net

يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۵۲﴾ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ

अल्लाह उन के सवाब देगा[380] और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है[381] ऐ महबूब ! अहले किताब[382] तुम

الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰۤى اَكْبَرَ

से सुवाल करते हैं कि उन पर आस्मान से एक किताब उतार दो[383] तो वोह तो मूसा से इस से भी बड़ा

مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ

सुवाल कर चुके[384] कि बोले हमें अल्लाह को अ़लानिया (ज़ाहिर कर के) दिखा दो तो उन्हें कड़क ने आ लिया उन के गुनाहों पर फिर

اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ

बछड़ा ले बैठे[385] बा'द इस के कि रोशन आयतें[386] उन के पास आ चुकीं तो हम ने येह मुआ़फ़ फ़रमा दिया[387]

وَ اٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۵۳﴾ وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ

और हम ने मूसा को रोशन ग़लबा दिया[388] फिर हम ने उन पर तूर को ऊंचा किया उन से अ़हद लेने को

وَ قُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ

और उन से फ़रमाया कि दरवाज़े में सज्दा करते दाख़िल हो और उन से फ़रमाया कि हफ़्ते में ह़द से न बढ़ो[389]

وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۱۵۴﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ

और हम ने उन से गाढ़ा (पुख़्ता) अ़हद लिया[390] तो उन की कैसी बद अ़हदियों के सबब हम ने उन पर ला'नत की और इस लिये कि वोह

380 : मुरतकिबे कबीरा भी इस में दाख़िल है क्यूं कि वोह अल्लाह और उस के सब रसूलों पर ईमान रखता है। "मो'तज़िला" साहिबे कबीरा (कबीरा गुनाह करने वाले) के ख़ुलूदे अ़ज़ाब (हमेशा जहन्नम में रहने) का अ़क़ीदा रखते हैं। इस आयत से उन के इस अ़क़ीदे का बुत़लान साबित हुवा। **381 मस्अला :** येह आयत सिफ़ाते फ़े'लिया (जैसे कि मग़्फ़िरत व रह़मत) के क़दीम होने पर दलालत करती है क्यूं कि ह़ुदूस के क़ाइल को कहना पड़ता है कि अल्लाह तआ़ला अज़ल में ग़फ़ूर व रह़ीम नहीं था फिर हो गया (مَعَاذَاللّٰه)। उस के इस क़ौल को येह आयत बात़िल करती है। **382 :** बराहे सरकशी **383 :** यक्बारगी। **शाने नुज़ूल :** यहूद में से का'ब बिन अशरफ़, फ़िन्हास बिन आज़ूरा ने सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم से कहा कि अगर आप नबी हैं तो हमारे पास आस्मान से यक्बारगी किताब लाइये जैसा ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام तौरैत लाए थे। येह सुवाल उन का त़लबे हिदायत व इत्तिबाअ़ के लिये न था बल्कि सरकशी व बग़ावत से था, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। **384 :** या'नी येह सुवाल उन का कमाले जह्ल (इन्तिहाई जहालत के सबब) से है और इस क़िस्म की जहालतों में उन के बाप दादा भी गिरिफ़्तार थे। अगर सुवाल त़लबे रुश्द (हिदायत त़लब करने) के लिये होता तो पूरा कर दिया जाता मगर वोह तो किसी ह़ाल में ईमान लाने वाले न थे। **385 :** उस को पूजने लगे **386 :** तौरैत और ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के मो'जिज़ात जो अल्लाह तआ़ला की वह्दानिय्यत और ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के सिद्क़ पर वाज़ेहुद्दलालह (वाज़ेह़ दलील) थे और बा वुजूदे कि तौरैत हम ने यक्बारगी ही नाज़िल की थी लेकिन "خُوئے بَد را بَہانہ بِسیار" (बद ख़स्लत के लिये बहाने बहुत) बजाए इत़ाअ़त करने के उन्हों ने ख़ुदा के देखने का सुवाल किया। **387 :** जब उन्हों ने तौबा की। इस में हुज़ूर के ज़माने के यहूदियों के लिये तवक़्क़ोअ़ है कि वोह भी तौबा करें तो अल्लाह उन्हें भी अपने फ़ज़्ल से मुआ़फ़ फ़रमाए। **388 :** ऐसा तसल्लुत़ अ़त़ा फ़रमाया कि जब आप ने बनी इसराईल को तौबा के लिये ख़ुद उन के अपने क़त्ल का हुक्म दिया वोह इन्कार न कर सके और उन्हों ने इत़ाअ़त की। **389 :** या'नी मछली का शिकार वग़ैरा जो अ़मल इस रोज़ तुम्हारे लिये ह़लाल नहीं, न करो। सूरए बक़र में इन तमाम अह़काम की तफ़्सीलें गुज़र चुकीं। **390 :** कि जो उन्हें हुक्म दिया गया है वोह करें और जिस की मुमानअ़त की गई है उस से बाज़ रहें, फिर उन्हों ने इस अ़हद को तोड़ा।

www.dawateislami.net

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ

आयाते इलाही के मुन्किर हुए[391] और अम्बिया को नाहक़ शहीद करते[392] और उन के इस कहने पर कि हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ हैं[393] बल्कि

طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ

अल्लाह ने उन के कुफ़्र के सबब उन के दिलों पर मोहर लगा दी है तो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े और इस लिये कि उन्हों ने कुफ़्र किया[394]

وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ

और मरयम पर बड़ा बोहतान उठाया (बांधा) और उन के इस कहने पर कि हम ने मसीह

عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ

ईसा बिन मरयम अल्लाह के रसूल को शहीद किया[395] और है येह कि उन्हों ने न उसे क़त्ल किया न उसे सूली दी बल्कि उन के लिये उस की शबीह (शक्लो सूरत) का

لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ

एक बना दिया गया[396] और वोह जो उस के बारे में इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं ज़रूर उस की तरफ़ से शुब्हे में पड़े हुए हैं[397] उन्हें उस की कुछ भी ख़बर नहीं[398]

اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿۱۵۷﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ

मगर येही गुमान की पैरवी[399] और बेशक उन्हों ने उस को क़त्ल न किया[400] बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ़ उठा लिया[401] और

اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ

अल्लाह ग़ालिब हिक्मत वाला है कोई किताबी ऐसा नहीं जो उस की मौत से पहले

قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۚ ﴿۱۵۹﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ

उस पर ईमान न लाए[402] और क़ियामत के दिन वोह उन पर गवाह होगा[403] तो यहूदियों के बड़े

391 : जो अम्बिया के सिद्क़ पर दलालत करते थे, जैसे कि हज़रते मूसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के मो'जिज़ात। **392 :** अम्बिया का क़त्ल करना तो नाहक़ है ही, किसी तरह हक़ हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां मक़्सूद येह है कि उन के जो'म में भी उन्हें इस का कोई इस्तिहक़ाक़ (हक़ हासिल) न था। **393 :** लिहाज़ा कोई पन्द (नसीहत) व वा'ज़ कारगर नहीं हो सकता। **394 :** हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के साथ भी। **395 :** यहूद ने दा'वा किया कि उन्हों ने हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को क़त्ल कर दिया और नसारा ने इस की तस्दीक़ की थी, अल्लाह तआला ने इन दोनों की तक्ज़ीब फ़रमा दी। **396 :** जिस को उन्हों ने क़त्ल किया और ख़याल करते रहे कि येह हज़रते ईसा हैं, बा वुजूदे कि उन का येह ख़याल ग़लत था। **397 :** और यक़ीनी नहीं कह सकते कि वोह मक़्तूल कौन है। बा'ज़े कहते हैं कि येह मक़्तूल ईसा हैं, बा'ज़ कहते हैं कि येह चेहरा तो ईसा का है और जिस्म ईसा का नहीं, लिहाज़ा येह वोह नहीं। इसी तरद्दुद (शशो पन्ज) में हैं। **398 :** जो हक़ीक़ते हाल है। **399 :** और अट्कलें दौड़ाना। **400 :** उन का दा'वाए क़त्ल झूटा है। **401 :** सहीहो सालिम ब सूए आस्मान (आस्मान की तरफ़)। **अहादीस** में इस की तफ़्सीलें वारिद हैं, सूरए आले इमरान में इस वाक़िए का ज़िक्र गुज़र चुका है। **402 :** इस आयत की तफ़्सीर में चन्द क़ौल हैं : **एक क़ौल** येह है कि यहूदो नसारा को अपनी मौत के वक़्त जब अ़ज़ाब के फ़िरिश्ते नज़र आते हैं तो वोह हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام पर ईमान ले आते हैं जिन के साथ उन्हों ने कुफ़्र किया था और उस वक़्त का ईमान मक़्बूल व मो'तबर नहीं। **दूसरा क़ौल** येह है कि क़रीबे क़ियामत जब हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام आस्मान से नुज़ूल फ़रमाएंगे उस वक़्त के तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे, उस वक़्त हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَات शरीअ़ते मुहम्मदिय्यह के मुताबिक़ हुक्म करेंगे, और इसी दीन के अइम्मा में से एक इमाम की हैसिय्यत में होंगे और नसारा ने इन की निस्बत

www.dawateislami.net

الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ

ज़ुल्म के[404] सबब हम ने वोह बा'ज़ सुथरी चीज़ें कि उन के लिये हलाल थीं[405] उन पर हराम फ़रमा दीं और इस लिये कि उन्हों ने बहुतों

سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿۱۶۰﴾ وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ

(बहुत से लोगों) को अल्लाह की राह से रोका और इस लिये कि वोह सूद लेते हालां कि वोह इस से मन्अ़ किये गए थे और लोगों का

اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶۱﴾

माल नाहक़ खा जाते[406] और उन में जो काफ़िर हुए हम ने उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब तय्यार कर रखा है

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ

हां जो उन में इ़ल्म में पक्के[407] और ईमान वाले हैं वोह ईमान लाते हैं उस पर जो ऐ महबूब तुम्हारी

اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ

त़रफ़ उतरा और जो तुम से पहले उतरा[408] और नमाज़ क़ाइम रखने वाले और ज़कात

الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا

देने वाले और अल्लाह और क़ियामत पर ईमान लाने वाले ऐसों को अ़न्क़रीब हम बड़ा सवाब

۲۲ ع ۲ عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾ ع اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْۢ

देंगे बेशक ऐ महबूब हम ने तुम्हारी त़रफ़ वह्य भेजी जैसे वह्य नूह़ और उस के बा'द पैग़म्बरों को

بَعْدِهٖ ۚ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ

भेजी[409] और हम ने इब्राहीम और इस्माईल और इस्ह़ाक़ और या'क़ूब और इन के बेटों

जो गुमान बांध रखे हैं उन का इब्त़ाल (रद) फ़रमाएंगे, दीने मुह़म्मदी की इशाअ़त करेंगे, उस वक़्त यहूदो नसारा को या तो इस्लाम क़बूल करना होगा या क़त्ल कर डाले जाएंगे। जिज़्या क़बूल करने का हुक्म ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام के नुज़ूल करने के वक़्त तक है। **तीसरा क़ौल** येह है कि आयत के मा'ना येह हैं कि हर किताबी अपनी मौत से पहले सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم पर ईमान ले आएगा। **चौथा क़ौल** येह है कि अल्लाह तआ़ला पर ईमान ले आएगा लेकिन वक़्ते मौत का ईमान मक़्बूल नहीं, नाफ़ेअ़ न होगा। **403 :** या'नी ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام यहूद पर तो येह गवाही देंगे कि उन्हों ने आप की तक्ज़ीब की और आप के ह़क़ में ज़बाने त़ा'न दराज़ की और नसारा पर येह कि उन्हों ने आप को रब ठहराया और ख़ुदा का शरीक गर्दाना और अहले किताब में से जो लोग ईमान ले आएं उन के ईमान की भी आप शहादत देंगे। **404 :** नक़्ज़े अ़ह्द (वा'दा ख़िलाफ़ी) वग़ैरा जिन का ऊपर आयात में ज़िक्र हो चुका। **405 :** जिन का सूरए अन्आ़म की आयह "وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا" में बयान है। **406 :** रिश्वत वग़ैरा ह़राम त़रीक़ों से। **407 :** मिस्ल ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्ह़ाब के, जो इ़ल्मे रासिख़ (ज़बर दस्त इ़ल्म) और अ़क़्ले साफ़ी (या'नी शुकूको शुबुहात से पाक अ़क़्ल) और बसीरते कामिला रखते थे। उन्हों ने अपने इ़ल्म से दीने इस्लाम की ह़क़ीक़त को जाना और सय्यिदे अम्बिया صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم पर ईमान लाए। **408 :** पहले अम्बिया पर। **409 : शाने नुज़ूल :** यहूदो नसारा ने सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم से जो येह सुवाल किया था कि उन के लिये आस्मान से यक्बारगी किताब नाज़िल की जाए तो वोह आप की नुबुव्वत पर ईमान लाएं, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन पर ह़ुज्जत क़ाइम की गई कि ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام

www.dawateislami.net

وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۱۶۳﴾

और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलैमान को वह्य की और हम ने दावूद को ज़बूर अ़ता फ़रमाई

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

और रसूलों को जिन का ज़िक्र आगे हम तुम से फ़रमा चुके[410] और उन को जिन का ज़िक्र तुम से

عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۚ ﴿۱۶۴﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

न फ़रमाया[411] और अल्लाह ने मूसा से हक़ीक़तन कलाम फ़रमाया[412] रसूल ख़ुश ख़बरी देते[413] और डर सुनाते[414]

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا

कि रसूलों के बा'द अल्लाह के यहां लोगों को कोई उ़ज़्र न रहे[415] और अल्लाह ग़ालिब

حَكِيْمًا ﴿۱۶۵﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَ

हिक्मत वाला है लेकिन ऐ महबूब अल्लाह इस का गवाह है जो उस ने तुम्हारी त़रफ़ उतारा वोह उस ने अपने इ़ल्म से उतारा है और

الْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ؕ ﴿۱۶۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ

फ़िरिश्ते गवाह हैं और अल्लाह की गवाही काफ़ी वोह जिन्हों ने कुफ़्र किया[416] और

صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿۱۶۷﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

अल्लाह की राह से रोका[417] बेशक वोह दूर की गुमराही में पड़े बेशक जिन्हों

के सिवा ब कसरत अम्बिया हैं जिन में से ग्यारह के अस्माए शरीफ़ा यहां आयत में बयान फ़रमाए गए हैं, अहले किताब इन सब की नुबुव्वत को मानते हैं, इन सब ह़ज़रात में से किसी पर यक्बारगी किताब नाज़िल न हुई तो जब इस वज्ह से इन की नुबुव्वत तस्लीम करने में अहले किताब को कुछ पसो पेश न हुवा तो सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की नुबुव्वत तस्लीम करने में क्या उ़ज़्र है और मक़्सूद रसूलों के भेजने से ख़ल्क़ की हिदायत और इन को अल्लाह तआ़ला की तौह़ीद व मा'रिफ़त का दर्स देना और ईमान की तक्मील और त़रीक़े इ़बादत की ता'लीम है, किताब के मुतफ़र्रिक़ त़ौर पर नाज़िल होने से येह मक़्सद बर वज्हे अतम ह़ासिल होता है कि थोड़ा थोड़ा ब आसानी दिल नशीन होता चला जाता है। इस ह़िक्मत को न समझना और ए'तिराज़ करना कमाले ह़माक़त (इन्तिहाई बे वुक़ूफ़ी) है। **410 :** क़ुरआन शरीफ़ में नाम बनाम फ़रमा चुके हैं। **411 :** और अब तक उन के अस्मा की तफ़्सील क़ुरआने पाक में ज़िक्र नहीं फ़रमाई गई। **412 :** तो जिस त़रह़ ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام से बे वासित़ा कलाम फ़रमाना दूसरे अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام की नुबुव्वत में क़ादेह़ (ऐब लगाने वाला) नहीं जिन से इस त़रह़ कलाम नहीं फ़रमाया गया, ऐसे ही ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام पर किताब का यक्बारगी नाज़िल होना दूसरे अम्बिया की नुबुव्वत में कुछ भी क़ादेह़ नहीं हो सकता। **413 :** सवाब की ईमान लाने वालों को **414 :** अ़ज़ाब का कुफ़्र करने वालों को **415 :** और येह कहने का मौक़अ़ न हो कि अगर हमारे पास रसूल आते तो हम ज़रूर उन का ह़ुक्म मानते और अल्लाह के मुत़ीओ़ फ़रमां बरदार होते। इस आयत से येह मस्अला मा'लूम होता है कि अल्लाह तआ़ला रसूलों की बि'सत से क़ब्ल ख़ल्क़ पर अ़ज़ाब नहीं फ़रमाता जैसा दूसरी जगह इर्शाद फ़रमाया : "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا" (और हम अ़ज़ाब करने वाले नहीं जब तक रसूल न भेज लें)। और येह मस्अला भी साबित होता है कि मा'रिफ़ते इलाही बयाने शरअ़ व ज़बाने अम्बिया ही से ह़ासिल होती है अ़क़्ले महज़ (सिर्फ़ अ़क़्ल) से इस मन्ज़िल तक पहुंचना मुयस्सर नहीं होता। **416 :** सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की नुबुव्वत का इन्कार कर के। **417 :** हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ना'त व सिफ़त छुपा कर और लोगों के दिलों में शुबा डाल कर (येह ह़ाल यहूद का है।)

www.dawateislami.net

كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ اِلَّا

ने कुफ़्र किया[418] और हद से बढ़े[419] अल्लाह हरगिज़ उन्हें न बख़्शेगा[420] न उन्हें कोई राह दिखाए मगर

طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

जहन्नम का रास्ता कि उस में हमेशा हमेशा रहेंगे और येह अल्लाह को आसान है

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا

ऐ लोगो तुम्हारे पास येह रसूल[421] हक़ के साथ तुम्हारे रब की तरफ़ से तशरीफ़ लाए तो ईमान लाओ

لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

अपने भले को और अगर तुम कुफ़्र करो[422] तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों और ज़मीन में है और अल्लाह

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا

इल्मो हिक्मत वाला है ऐ किताब वालो अपने दीन में ज़ियादती न करो[423] और अल्लाह पर

عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

न कहो मगर सच[424] मसीह ईसा मरयम का बेटा[425] अल्लाह का रसूल ही है

وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَ

और उस का एक कलिमा[426] कि मरयम की तरफ़ भेजा और उस के यहां की एक रूह तो अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ[427] और

418 : अल्लाह के साथ 419 : किताबे इलाही में हुज़ूर के औसाफ़ बदल कर और आप की नुबुव्वत का इन्कार कर के 420 : जब तक वोह कुफ़्र पर क़ाइम रहें या कुफ़्र पर मरें। 421 : सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 422 : और सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की रिसालत का इन्कार करो तो इस में उन का कुछ ज़रर नहीं और अल्लाह तुम्हारे ईमान से बे नियाज़ है। 423 **शाने नुज़ूल :** येह आयत नसारा के हक़ में नाज़िल हुई जिन के कई फ़िर्क़े हो गए थे और हर एक हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की निस्बत जुदागाना कुफ़्री अ़क़ीदा रखता था। नस्तूरी आप को ख़ुदा का बेटा कहते थे, मरकूसी कहते कि वोह तीन में के तीसरे हैं। और इस कलिमे की तौजीहात में भी इख़्तिलाफ़ था : बा'ज़ तीन उक़्नूम मानते थे और कहते थे कि बाप, बेटा, रूहुल क़ुदुस। बाप से ज़ात, बेटे से ईसा, रूहुल क़ुदुस से इन में हुलूल करने वाली हयात मुराद लेते थे। तो उन के नज़्दीक "इलाह" तीन थे और इस तीन को एक बताते थे "तौहीद फ़ित्तस्लीस" (तीनों के मज्मूए़ को ख़ुदा समझने) और "तस्लीस फ़ित्तौहीद" (तीनों में से हर एक को ख़ुदा समझने) के चक्कर में गिरिफ़्तार थे। बा'ज़ कहते थे कि ईसा नासूतिय्यत (बशरिय्यत) और उलूहिय्यत (मा'बूदिय्यत) के जामेअ़ हैं, मां की तरफ़ से इन में "नासूतिय्यत" आई, और बाप की तरफ़ से "उलूहिय्यत" आई, تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (अल्लाह इन की बातों से बहुत ही बरतरो बुलन्द है)। येह फ़िर्क़ा बन्दी नसारा में एक यहूदी ने पैदा की जिस का नाम बौलुस था और उस ने उन्हें गुमराह करने के लिये इस क़िस्म के अ़क़ीदों की ता'लीम की। इस आयत में अहले किताब को हिदायत की गई कि वोह हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के बाब में इफ़्राते तफ़रीत (कमी ज़ियादती) से बाज़ रहें, ख़ुदा और ख़ुदा का बेटा भी न कहें और इन की तन्क़ीस (शान में कमी) भी न करें। 424 : अल्लाह का शरीक और बेटा भी किसी को न बनाओ और हुलूल व इत्तिहाद (या'नी हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام की ज़ात में ख़ुदा के उतर आने और अल्लाह عَزَّوَجَلَّ, हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام व हज़रते मरयम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا का मिल कर एक ख़ुदा होने) का ऐब भी मत लगाओ और इस ए'तिक़ादे हक़ पर रहो कि 425 : है और इस मोहतरम के लिये इस के सिवा कोई नसब नहीं 426 : कि "कुन" फ़रमाया और वोह बिग़ैर बाप और बिग़ैर नुत्फ़े के महज़ अम्रे इलाही से पैदा हो गए। 427 : और तस्दीक़

www.dawateislami.net

لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ

तीन न कहो[428] बाज़ रहो अपने भले को **अल्लाह** तो एक ही ख़ुदा है[429] पाकी उसे

اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى وقف لازم

इस से कि उस के कोई बच्चा हो उसी का माल है जो आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में[430] और **अल्लाह** काफ़ी

بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ع ﴿۱۷۱﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا

कारसाज़ (काम बनाने वाला) है हरगिज़ मसीह **अल्लाह** का बन्दा बनने से कुछ नफ़रत नहीं करता[431] और न

الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ

मुक़र्रब फ़िरिश्ते और जो **अल्लाह** की बन्दगी से नफ़रत और तकब्बुर करे

فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

तो कोई दम जाता है कि वोह उन सब को अपनी त़रफ़ हांकेगा[432] तो वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये

فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا

उन की मज़दूरी उन्हें भरपूर दे कर अपने फ़ज़्ल से उन्हें और ज़ियादा देगा और वोह जिन्हों ने[433] नफ़रत

وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

और तकब्बुर किया था उन्हें दर्दनाक सज़ा देगा और **अल्लाह** के सिवा न अपना कोई

وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۳﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ

हिमायती पाएंगे न मददगार ऐ लोगो बेशक तुम्हारे पास **अल्लाह** की त़रफ़ से वाज़ेह़ दलील आई[434] और

اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۷۴﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا

हम ने तुम्हारी त़रफ़ रोशन नूर उतारा[435] तो वोह जो **अल्लाह** पर ईमान लाए और उस की रस्सी मज़बूत़

करो कि **अल्लाह** वाह़िद है, बेटे और औलाद से पाक है और उस के रसूलों की तस्दीक़ करो और इस की, कि ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **अल्लाह** के रसूलों में से हैं **428 :** जैसा कि नसारा का अ़क़ीदा है कि वोह कुफ़्रे मह़ज़ (ख़ालिस कुफ़्र) है **429 :** कोई उस का शरीक नहीं। **430 :** और वोह सब का मालिक है और जो मालिक हो वोह बाप नहीं हो सकता। **431 शाने नुज़ूल :** नसाराए नजरान का एक वफ़्द सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुवा, उस ने हुज़ूर से कहा कि आप ह़ज़रते ईसा को ऐब लगाते हैं कि वोह **अल्लाह** के बन्दे हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया कि ह़ज़रते ईसा के लिये येह आ़र की बात नहीं। इस पर येह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई। **432 :** या'नी आख़िरत में इस तकब्बुर की सज़ा देगा। **433 :** इबादते इलाही बजा लाने से **434 :** दलीले वाज़ेह़ से सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की ज़ाते गिरामी मुराद है जिन के सिद्क़ पर इन के मो'जिज़े शाहिद हैं और मुन्किरीन की अ़क़्लों को हैरान कर देते हैं। **435 :** या'नी क़ुरआने पाक।

بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِیْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا

थामी तो अन्क़रीब **अल्लाह** उन्हें अपनी रह्मत और अपने फ़ज़्ल में दाख़िल करेगा[436] और उन्हें अपनी त़रफ़ सीधी राह

مُّسْتَقِيْمًا ؕ ﴿۱۷۵﴾ يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِی الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا

दिखाएगा ऐ मह़बूब तुम से फ़तवा पूछते हैं तुम फ़रमा दो कि **अल्लाह** तुम्हें कलालह[437] में फ़तवा देता है अगर किसी मर्द

هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَ هُوَ يَرِثُهَاۤ

का इन्तिक़ाल हो जो बे औलाद है[438] और उस की एक बहन हो तो तर्के में से उस की बहन का आधा है[439] और मर्द अपनी बहन का वारिस होगा

اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ

अगर बहन की औलाद न हो[440] फिर अगर दो बहनें हों तर्के में उन का दो तिहाई

وَ اِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ

और अगर भाई बहन हों मर्द भी और औरतें भी तो मर्द का ह़िस्सा दो औरतों के बराबर

ع ۲۴ ۵ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾ ع

अल्लाह तुम्हारे लिये साफ़ बयान फ़रमाता है कि कहीं बहक न जाओ और **अल्लाह** हर चीज़ जानता है

اٰيَاتُهَا ۱۲۰ ۵ سُوْرَةُ الْمَآىِٕدَةِ مَدَنِيَّةٌ ۱۱۲ رُكُوْعَاتُهَا ۱۶

सूरए माइदह मदनिय्या है, इस में एक सो बीस आयात और सोलह रुकूअ़ हैं[1]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो बहुत मेहरबान रह़्म वाला

436 : और जन्नत व दरजाते आ़लिया अ़ता फ़रमाएगा। 437 : "कलालह" उस को कहते हैं जो अपने बा'द न बाप छोड़े न औलाद।
438 शाने नुज़ूल : ह़ज़रते जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه से मरवी है कि वोह बीमार थे तो रसूले करीम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم मअ़ ह़ज़रत सिद्दीक़े अक्बर رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه के इयादत के लिये तशरीफ़ लाए, ह़ज़रते जाबिर बेहोश थे, ह़ज़रत ने वुज़ू फ़रमा कर आबे वुज़ू उन पर डाला, उन्हें इफ़ाक़ा हुवा आंख खोल कर देखा तो हुज़ूर तशरीफ़ फ़रमा हैं, अ़र्ज़ किया : **या रसूलल्लाह!** मैं अपने माल का क्या इन्तिज़ाम करूं? इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई (بخاری و مسلم), अबू दावूद की रिवायत में येह भी है कि सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ने ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه से फ़रमाया : ऐ जाबिर! मेरे इ़ल्म में तुम्हारी मौत इस बीमारी से नहीं है। इस ह़दीस से चन्द मस्अले मा'लूम हुए। **मस्अला :** बुज़ुर्गों का आबे वुज़ू तबर्रुक है और इस को हुसूले शिफ़ा के लिये इस्ति'माल करना सुन्नत है। **मस्अला :** मरीज़ों की इयादत सुन्नत है। **मस्अला :** सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم को **अल्लाह** तआ़ला ने उ़लूमे ग़ैब अ़ता फ़रमाए हैं, इस लिये हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم को मा'लूम था कि ह़ज़रते जाबिर की मौत इस मरज़ में नहीं है। 439 : अगर वोह बहन सगी या बाप शरीक हो। 440 : या'नी अगर बहन बे औलाद मरी और भाई रहा तो वोह भाई उस के कुल माल का वारिस होगा। 1 : सूरए माइदह मदीनए त़य्यिबा में नाज़िल हुई सिवाए आयत "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ" के, येह आयत रोज़े अ़रफ़ा, ह़ज्जतुल वदाअ़ में नाज़िल हुई और सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ने ख़ुत़्बे में इस को पढ़ा इस में एक सो बीस आयतें और बारह हज़ार चार सो चौंसठ ह़र्फ़ हैं।

www.dawateislami.net